



Annual Report

वार्षिक रिपोर्ट
2002-2003

AR 2002



कोल इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001



विषय-सूची

क्रम सं.	पृष्ठ संख्या
1. बोर्ड के सदस्य	3
2. 2002-2003 के दौरान प्रबन्धन	4
3. बैंकर्स एवं लेखा परीक्षक	5
4. सूचना	6
5. अध्यक्षीय प्रतिवेदन	7
6. प्रचालकीय आँकड़े	11
7. निदेशकीय प्रतिवेदन	16
8. तुलन-पत्र	42
9. लाभ एवं हानि लेखा	43
10. लेखाओं पर अनुसूचियाँ	44
11. लेखा-नीतियाँ एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ	67
12. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (1) (ई) के अनुसरण में दिनांक 31.3.2003 तक का विवरण	81
13. भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ एवं लेखाओं का पुनरीक्षण	82
14. लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं कम्पनी के उत्तर	86


मण्डल के सदस्य




श्री लक्ष्मी चन्द



डा. एस. बेहरिया



श्री एस.वी. घोष दस्तीदार



श्री सी. एच. खिस्ती



श्री शशि कुमार



श्री डी. के. वर्मा



श्री अब्दुल कलाम



श्री एम. के. थापर



श्री एम. के. सिन्हा

निदेशक मण्डल के सदस्य

(25 सितम्बर, 2003 की स्थिति)

अध्यक्ष :

श्री लक्ष्मी चन्द : अपर सचिव, कोयला मंत्रालय

कार्यकारी निदेशकगण :

श्री सी. एच. खिस्ती : कार्मिक एवं औ. सं.
श्री डी. के. वर्मा : वित्त
श्री शशि कुमार : विपणन
श्री अब्दुल कलाम : तकनीकी

निदेशकगण :

डा. एस. बेहुरिया : संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री एस.बी. घोष दस्तीदार : अपर सदस्य (यातायात)
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
श्री एम. के. सिन्हा : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
संवटोरिया
श्री एम. के. थापर : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
बिलासपुर।

कम्पनी सचिव :

डॉ. एच. सरकार



2002-2003

2002-2003 के दौरान प्रबन्धन

अध्यक्ष :

श्री एन. के. शर्मा : 14.02.2001 से

कार्यकारी निदेशकगण :

श्री सी. एच. खिस्ती : कार्मिक एवं औ. सं. (06.02.96 से)
श्री ए. चटर्जी : वित्त (27.01.97 से 31.08.2002 तक)
श्री डी. के. वर्मा : वित्त (01.09.2002 से)
श्री शशि कुमार : विपणन (01.12.2001 से) एवं तकनीकी 08.07.2002 से
23.01.2003 तक अतिरिक्त प्रभार)
श्री अब्दुल कलाम : तकनीकी (23.01.2003 से)

निदेशकगण :

श्री सी. डी. आढ़ा : अपर सचिव
कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (17.08.99 से)
डा. एस. बेहुरिया : संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (24.03.2000 से)
श्री के. के. गुप्ता : अपर सदस्य (यातायात), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
(16.07.2002 से)
श्री आर. के. चेचानी : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
(02.07.2002 से)
श्री बी. एन. पान : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(19.07.2002 से)
श्री जी. के. झा : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(18.07.2001 से 31.05.2002 तक)
श्री अशोक मेहता : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(18.07.2001 से 18.07.2002 तक)

कम्पनी सचिव :

डॉ. एच. सरकार : 30.09.97 से

बैंकर्स एवं अंकेक्षक

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
पंजाब नेशनल बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
केनरा बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ इण्डिया
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर
इलाहाबाद बैंक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
आईएनजी व्यास बैंक
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
एबीएन एमरो बैंक
बी एन पी परिबास
एच.एस.बी.सी. लिमिटेड
डच बैंक
सिटो बैंक
क्रेडिट लियोनेस

साँविधिक अंकेक्षक

मेसर्स एस. घोष एण्ड कं.
चार्टर्ड लेखाकार
भारत भवन, 3, चित्तरंजन एवेन्यू
कोलकाता-700 072



2002-2003

सूचना

सं. :सीआईएल /XI (D) : 04043/192/2003

दिनांक : 19 सितम्बर, 2003

कोल इण्डिया लिमिटेड की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

कोल इण्डिया लिमिटेड के सभी अंशधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार 25 सितम्बर, 2003 को अपराह्न 3.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय कोल भवन, 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए सम्पन्न होगी :-

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2003 तक के लिये अंकेक्षित तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरणों के साथ-साथ साँविधिक अंकेक्षकों, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा निदेशक मण्डल के प्रतिवेदनों की प्राप्ति, उन पर विचार एवं उनको पारित करना।
2. अधिमानी शेयर पूँजी पर लाभांश घोषित करना।
3. श्री लक्ष्मी चन्द, जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्ति हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।
4. डा. एस. बेहुरिया, जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्ति हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।
5. श्री एस.बी. घोष दस्तीदार, जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्ति हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।
6. श्री एम.के. सिन्हा, जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्ति हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।
7. श्री एम.के. थापर, जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्ति हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।
8. निम्नलिखित प्रस्ताव का सामान्य प्रस्ताव के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त हो तो संसोधन (नों) सहित या रहित पास करना।

बोर्ड के आदेशानुसार

ह./-

(डा. एच. सरकार)

कम्पनी सचिव

कोलकाता,

दिनांक 19 सितम्बर, 2003

टिप्पणी :

1. यदि कोई सदस्य, जो बैठक में भाग लेने एवं मतदान के अधिकारी हैं, चाहे तो अपनी ओर से किसी एक प्रतिनिधि को, जो उनकी ओर से मतदान करने के अधिकारी भी होंगे, की नियुक्ति हेतु सक्षम हैं। आवश्यक नहीं कि वह नामित व्यक्ति प्रतिनिधि कम्पनी का सदस्य ही हो।
2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 172 (2) के प्रावधान के अधीन कम्पनी के अंशधारियों से आग्रह किया जाता है कि वे अल्प सूचना के आधार पर कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने की स्वीकृति दें।

अध्यक्षीय प्रतिवेदन

मित्रगण,

कोल इण्डिया लिमिटेड की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष का निदेशकीय प्रतिवेदन और सांविधिक अंकेषकों की रिपोर्ट तथा भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं समीक्षा आपके पास पहले से उपलब्ध है।

2. कोल इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 2002-03 को समाप्त वित्तीय वर्ष में उत्पादन, उत्पादकता, प्रेषण, अधिभार निष्कासन इत्यादि में विशिष्ट निष्पादन किया है। वर्ष के दौरान क्षमता उपयोगिता में 2% और प्रति व्यक्ति उत्पादकता (प्रति पाली व्यक्ति निष्पादन) में 9% की उन्नति करते हुए सीआईएल ने कच्चे कोयले के उत्पादन में 4% की दर से वृद्धि दर्ज करते हुए 286.00 मि. टन के लक्ष्य के स्थान पर 290.69 मि. टन उपलब्धि प्राप्त कर अब तक का सर्वाधिक उत्पादन स्तर स्थापित किया है। 2001-02 में 490.13 मि. घन मी. अधिभार निष्कासन की तुलना में प्रतिवेदनाधीन वर्ष में 501.20 मि. घन मी. हुआ जो 2% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष के दौरान 289.22 मि. टन का महत्वपूर्ण प्रेषण हुआ है जो विगत वर्ष की तुलना में 2.4% की वृद्धि के साथ अब तक का सर्वाधिक है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 2400 करोड़ रुपये की व्यापक बिक्री (समग्र बिक्री) हुई जो अभी तक सर्वाधिक है। इन सब के परिणामस्वरूप वर्ष 2002-03 में सीआईएल ने समग्र रूप से अभी तक का सर्वाधिक कर पूर्व लाभ अर्थात् 2865.50 करोड़ रुपये अर्जित किया है। आपके निदेशकों ने अनुशंसा की है कि अधिमानी शेयरों पर 10% प्रति शेयर की दर से 9041.80 लाख रुपये का लाभांश सरकार को भुगतान किया जाय। वर्ष 2002-03 के लिए ईक्रीटी शेयर पर किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई है।

3. 2006-07 (दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि) में अखिल भारतीय स्तर पर कच्चे कोयले की प्रक्षेपित माँग 460.50 मि. टन होगी जिसके स्थान पर सीआईएल की प्रक्षेपण भागीदारी 350 मि. टन आकलित की गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीआईएल ने



72 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की योजना बनाई है। इससे दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भरपूर सहयोग मिलने की संभावना है। आलोच्य वर्ष के दौरान सीआईएल की अनुषंगियों द्वारा 16 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। 4 परियोजनाएँ सीआईएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई हैं जिन्हें कोयला मंत्रालय की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। इन परियोजनाओं से लगभग 57 मि. टन उत्पादन क्षमता की वृद्धि होगी। 350 मि. टन उत्पादन क्षमता लाने हेतु दसवीं योजना अवधि में अनुमानतः 14310 करोड़ रुपये की पूँजी का निवेश अपेक्षित है। इस लागत पूँजी की प्रतिपूर्ति हेतु उन्नत मशीनीकरण द्वारा उत्पादकता में संवर्धन क्षमता उपयोगिता इत्यादि में वृद्धि जैसे उपाय किए जा रहे हैं। आंतरिक श्रोतों से निधि न उपलब्ध होने पर बाजार से ऋण और आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि से उधार तथा वित्तीय संस्थाओं से संस्त्रोत एकत्रित किया जाएगा।

4. 2002-03 के दौरान सीसीएल के परिचालन प्रक्षेत्र में आनेवाली मगध (12 मि. टन) और आम्रपाली (12 मि. टन) कोयला खनन परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं तथा उन्हें कोयला मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूर्व विचारित संयुक्त उद्यम परिचालन पद्धति के स्थान पर सीसीएल द्वारा सृजित स्रोतों के माध्यम से किया जायेगा। ये परियोजनाएँ एनटीपीसी के दो नये सुपर थर्मल संयंत्रों, जिनकी स्थापना

बाढ़ और नार्थ करनपुरा में प्रस्तावित है और इनमें से प्रत्येक की क्षमता 2000 मेगावाट है, के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में कोयले की आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी।

5. देशज, मितव्ययी, यथा अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के वैकल्पिक रूप में कोल बेड मिथेन के विकास से प्राकृतिक गैस की माँग एवं पूर्ति के बीच की दूरी को पाटने में महत्त्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार कोल बेड मिथेन (सीबीएम) को वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग करने हेतु इच्छुक है। कोल बेड मिथेन के संदोहन के लिए गैर समाविष्ट संयुक्त उद्यम संगठन हेतु सीआईएल और ओएनजीसी के मध्य संपन्न एक समझौते के अनुसार भारत सरकार ने मनोनयन के आधार पर सीआईएल और ओएनजीसी के संघ को दो प्रक्षेत्र, एक पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में और दूसरा झारखण्ड के झरिया कोयला क्षेत्र में आबंटित किया है। अन्वेषी चरण में इस उद्यम में सीआईएल की भागीदारी पूर्णतया तकनीकी-निवेश और विशेषज्ञता सेवा तक ही सीमित होगी। जब अन्वेषी प्रयोग वाणिज्यिक उद्यम के रूप में सूचीबद्ध हो जायेंगे तब सीआईएल को यह अधिकार होगा कि वह या तो सीधे अथवा अपने अधिकृतों नामितों द्वारा इस प्रकार के वाणिज्यिक उद्यम में 26% तक हिस्सा लेने के विकल्प का प्रयोग कर सके। ब्लाकों के संचालन हेतु ओएनजीसी के साथ एक संयुक्त परिचालन अनुबंध (जेओए) को अंतिम रूप दिया जा चुका है। संयुक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद इन दो ब्लाकों में अन्वेषण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बीसीसीएल के झरिया कोयला क्षेत्र में मुनीडीह और सुदामडीह खदानों में कोल इण्डिया लिमिटेड ने यूएनडीपी/जीईएफ द्वारा निधिबद्ध सीबीएम पर आधारित परियोजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया है। यह परियोजना मिथेन की वाणिज्यिक प्रति प्राप्ति और प्राप्त मिथेन की उपयोगिता का निरूपण करेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय और नेचुरल कैप्सन्ड सीबीएम-II द्वारा सीएम ब्लाकों की निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु कोल इण्डिया गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल) के साथ भी संयुक्त रूप से काम कर रही है। यदि प्रस्ताव को आकर्षित करने वाला पाया गया तो गेल के साथ संयुक्त रूप से एक या दो प्रक्षेत्रों के विषय में निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

6. यह वास्तविक संतुष्टि का विषय है कि लम्बे प्रयासों के बाद भी राज्य विद्युत संगठनों से बकाया कोयला विक्रय मूल्य प्राप्ति हेतु समंजन प्रतिभूतिकरण योजना को कार्यरूप दिया गया है। विभिन्न अनुषंगी कंपनियों को 1.9.2003 को 1496.81 करोड़ रुपये का शुद्ध बाण्ड कतिपय राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं। कुछ अन्य राज्य सरकारें अपने विद्युत बोर्डों द्वारा इस प्रकार की देयता हेतु शीघ्र ही 1101.86 करोड़ रुपये के मूल्य के बाण्ड जारी करने वाली है। ये बाण्ड 8.5% कर मुक्त ब्याज वहन करेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से प्रत्येक वर्ष संचयी आधार पर बाण्डों का 10% परोक्ष बाजार में बेचने योग्य होगा। इस प्रकार 10 वर्षों की अवधि में सभी बाण्डों को विपणन हेतु मुक्त कर लिया जायेगा। यद्यपि ये बाण्ड 1.10.2006 से अर्थात् 5 वर्षों की विलंबित अवधि के पश्चात् 20 बराबर छः माही किरतों में 15 वर्षों की अवधि के बाद परिपक्व होंगे, इनके प्रतिभूतिकरण योजना से कोयला कंपनियों की निधि तरलता में एक सीमा तक सुधार होगा।

7. कोल इण्डिया लिमिटेड की 3 अनुषंगी कंपनियाँ जैसे-ईसीएल, बीसीसीएल एवं सीसीएल, पूरे कोल इण्डिया लिमिटेड की कुल श्रमशक्ति के 50% से अधिक विशाल श्रमशक्ति के भार से दबी है। किन्तु ये कंपनियाँ सीआईएल के कुल उत्पादन का लगभग 30% मात्र ही योगदान करती है। उनकी रुग्णता का यही एक प्रमुख कारण है। ये सभी तीनों कंपनियाँ रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार रुग्ण कंपनी के रूप में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में पंजीबद्ध हैं। इस वर्ष के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड ने 18000 से अधिक श्रमशक्ति की कमी कर पाई है। इसमें से 72% का योगदान ईसीएल, बीसीसीएल एवं सीसीएल का रहा है। यद्यपि, ईसीएल के घाटे में थोड़ा सा सुधार हुआ है, भाकोकोलि प्रतिवेदनाधीन वित्तीय वर्ष में विगत वर्ष की तुलना में, अपने घाटे में महत्त्वपूर्ण कमी लाया है। दूसरी ओर सीसीएल ने अपने घाटे के पथ से मुड़कर स्वयं को लाभ में बदला है। वर्ष के दौरान सीसीएल का कर पूर्व लाभ 384.65 करोड़ रुपये था जबकि विगत वर्ष वहाँ 108.32 करोड़ रुपये की हानि थी। इसके प्रतिफलन वर्ष 2002-03 के अंत तक कंपनी का शुद्ध मूल्य धनात्मक हो गया। इस

प्रकार के सुधारात्मक परिणामों से कानूनी औपचारिकताओं की संतुष्टि के पश्चात सीसीएल को बीआईएफआर की परिधि से बाहर आने की सम्भावना है। ईसीएल और बीसीसीएल के पुनरूद्धार हेतु पुनर्स्थापना योजनाएँ संबंधित कंपनियों के सभी पणधारियों की सलाह से सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

8. कोल इण्डिया लिमिटेड का ध्येय सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता पर यथोचित ध्यान देते हुए मितव्ययिता एवं दक्षतापूर्वक योजनाबद्ध परिणाम में कोयले का उत्पादन करना है। अतः खदानों के परिचालन में सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष के दौरान इस दिशा में किए गए विविध उपायों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। किन्तु इतने से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। अतः और सुधार हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं। सभी कोयला कंपनियों में विधिवत् संगठित बचाव सेवा-संगठन बनाये गए हैं, मानव संसाधन विकास, कर्मचारियों के कल्याण, बेहतर पर्यावरण इत्यादि हेतु विशेष कदम उठाये जा रहे हैं। इन सभी के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान

औद्योगिक संबंध की स्थिति में रचनात्मक सुधार परिलक्षित हो रहा है।

9. मुझे विश्वास है कि आनेवाले दिनों में कोल इण्डिया लिमिटेड नयी ऊँचाईयों के कीर्तिमान स्थापित करेगा और साथ ही अपने सभी अंशधारियों यथा कर्मचारियों, सरकार, उपभोक्ताओं एवं वृहद रूप में राष्ट्र की आशाओं को पूरा करते हुए सभी स्तरों पर विगत समय से अधिक उच्च स्तरीय निष्पादन प्रभावित करेगा।

10. अन्त में मैं कोयला मंत्रालय, अन्यान्य मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, अपने कर्मचारी वृन्द, श्रम संगठनों, अपने उपभोक्तागण तथा आपूर्तिकर्ताओं को भी उनकी अबाधित सहायता और अनवरत सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

लक्ष्मी चन्द
अध्यक्ष









कोलकता

दिनांक : 25 सितम्बर, 2003



श्री कड़िया मुण्डा, माननीय कोयला मंत्री, भारत सरकार एवं श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, माननीय कोयला राज्य मंत्री एक भूमिगत कोयला खान के निरीक्षण पर जाते हुए

कोयला इण्डिया लिमिटेड की कार्य क्षमता का आंकलन — एक दृष्टि में



परिचालनात्मक सांख्यिकी (कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों के लिये समेकित)

31 मार्च को समाप्त	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994
1. (क) कच्चे कोयले का उत्पादन (मिलियन टनों में)										
भूगर्भीय	48.42	49.22	50.56	52.32	53.32	53.97	55.20	54.81	55.60	56.55
खुलोमुख	242.27	230.43	217.58	208.26	203.16	206.58	195.42	182.46	167.46	159.55
योग	290.69	279.65	268.14	260.58	256.48	260.55	250.62	237.27	223.06	216.10
(ख) ऊपरी परत प्रेषण : यांत्रिक खुलोमुख (मि. घन मीटर में)	501.20	490.13	487.39	462.40	452.10	428.14	395.30	361.57	340.03	325.46
2. प्रेषण (ऑफटेक) कच्चा कोयला (मिलियन टनों में)										
विद्युत	219.93	217.18	207.43	195.08	182.10	189.66	177.14	164.04	148.29	142.54
इस्यात / हाई कोक	12.28	12.37	13.87	15.45	18.35	19.21	19.35	20.51	21.38	21.26
रेलवे	—	—	—	—	0.03	0.05	0.13	0.27	0.59	1.78
भरलू और वायलर में प्रयुक्त	1.36	1.65	1.95	2.20	2.58	2.69	2.86	3.01	3.20	3.28
अन्योन्य	55.65	51.23	50.56	50.91	49.15	48.90	51.45	51.53	49.13	47.75
योग	289.22	282.43	273.81	263.64	252.21	260.51	250.93	239.36	222.59	216.61
3. औसत श्रमशक्ति	510671	530986	552061	574477	599293	619576	631999	638814	648519	659647
4. उत्पादकता										
(क) प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसत (टनों में)	569.23	526.65	485.71	453.60	427.97	420.53	396.53	371.42	343.95	327.60
(ख) प्रति व्यक्ति पाली उत्पादन (ओएमएस)										
(i) भूमिगत (टनों में)	0.69	0.64	0.63	0.61	0.59	0.57	0.57	0.56	0.57	0.55
(ii) खुली मुख (टनों में)	6.30	6.08	5.90	5.44	5.52	5.07	5.12	4.75	4.35	4.00
(iii) सर्वांगीण (टनों में)	2.67	2.45	2.29	2.10	2.03	1.93	1.86	1.75	1.64	1.52



एक खुली खान में परिचालित एक हाईड्रोलिक शॉवेल एवं डम्पर



2002-2003

वित्तीय स्थिति (कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगियों के लिए समेकित पर आधारित)

(करोड़ रु. में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994
(क) क्या स्वामित्व में है										
सकल स्थिर परिसम्पत्तियाँ	26827.45	26069.55	25305.86	24546.79	21667.79	20082.20	18445.26	17119.09	15570.04	13554.87
घटाकर : ह्रास	15379.63	13883.68	12664.34	11457.95	10167.28	9157.31	8212.82	7381.46	6530.28	5667.04
(1) शुद्ध स्थिर परिसम्पत्तियाँ	11447.82	12185.87	12641.52	13088.84	11500.51	10924.89	10232.44	9737.63	9039.76	7887.83
(2) चालू पूंजीगत कार्य प्रगति पर	1258.44	1112.96	1104.99	1194.11	1722.60	1893.85	2114.24	2281.38	2326.80	2737.41
(3) कर परिसम्पत्तियों को आस्थगित करते हुए	161.54									
(4) विविध खर्चें तथा अन्याय	-225.85	160.88	216.44	70.84	81.02	126.23	516.42	213.79	234.65	165.69
(5) निवेश (आन्तरिक)	80.08	80.08	80.10	80.10	0.10	12.72	2.94	0.08	0.10	0.08
(6) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ :										
(i) (क) कोयले, कोक आदि का भण्डार	1149.51	1067.99	1145.46	1242.19	1491.86	1299.44	1142.61	1363.89	1374.86	1656.35
(ख) भण्डार एवं पुर्जे आदि की सूची	946.90	984.50	1101.09	1121.20	1034.89	1017.35	1022.67	911.17	889.91	810.37
(ग) अन्य भण्डारिक स्थिति	102.15	98.31	104.37	104.62	91.91	60.26	50.04	57.24	52.91	42.33
(ii) विविध देनदार (सीएमपीडीआईएल सहित)	4245.60	4503.80	4797.61	4155.22	3997.49	3357.44	2597.72	2167.95	2555.55	2443.31
(iii) नगद एवं बैंक में शेष जमा	1590.82	1131.84	767.27	787.08	786.93	499.28	401.87	255.18	340.59	218.13
(iv) ऋण एवं अग्रिम (अन्य चालू परिसम्पत्ति एवं समंजन सहित)	3177.53	2838.48	3163.53	2788.46	3389.48	2150.87	1428.07	823.74	735.11	761.87
(v) ओवर वर्डन रिमूवल समयोजन	-1003.43	-658.98	-449.05	-468.46	-409.31	-468.93	-222.61	-158.31	-44.21	20.09
कुल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (6)	10209.08	9965.94	10630.28	9730.31	10383.25	7915.71	6420.37	5420.86	5904.72	5952.45
(7) वर्तमान देयता एवं प्रावधानों को घटाकर (प्रादभूत व्याज एवं बकाये शामिल नहीं)	12363.99	12408.58	14021.56	10032.33	10185.89	8660.34	7140.41	5946.96	4816.42	4278.21
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (6-7)	-2154.91	-2442.64	-3391.28	-302.02	197.36	-744.63	-720.04	-526.10	1088.30	1674.24
योग (क)	10567.12	11097.15	10651.77	14131.87	13501.59	12213.06	12146.00	11706.78	12689.61	12465.25
(ख) क्या स्वामित्व में है										
(1) 10% रिडीमिबल प्रीफरेंस शेयर	904.18	904.18	904.18	904.18	904.18	904.18	904.18			
(2) सरकारी ऋण	143.36	812.72	898.56	1446.20	1920.58	2230.82	2534.72	3737.83	3813.58	3813.67
(3) अर्जित व्याज आय एवं देय	98.51	262.63	163.59	80.57	26.93	38.01	53.27	59.82	1122.64	1289.26
(4) अन्तर कम्पनी ऋण	286.43	467.04	722.74	840.48	964.48	240.21	155.49	102.82	130.00	300.00
(5) सावाधि ऋण (वित्तीय संस्थान एवं बैंक से)	28.36	324.29	262.54	481.12	367.36	135.22	73.46	99.27	116.13	59.38
(6) वाण्ड्स	47.47	64.39	563.46	584.33	884.03	1084.03	1484.03	1100.00	1100.00	800.00
(7) कर देयता को आस्थगित करते हुए	470.47									
(8) अन्याय	2705.81	2760.15	2809.41	2710.46	1290.97	957.43	932.19	1057.62	941.10	759.04
उप-योग (1 से 7)	4684.59	5595.40	6324.48	7047.34	6358.55	5589.90	6137.34	6157.36	7223.45	7021.35
(9) बैंक से उधार (ओ. डा. तथा अन्य सहित)	1033.88	1009.58	388.72	944.87	716.45	704.71	593.58	561.89	472.37	692.41
योग (ख)	5718.47	6604.98	6713.20	7992.21	7075.00	6294.61	6730.92	6719.25	7695.82	7713.76
शुद्ध मूल्य (क - ख)	4848.65	4492.17	3938.57	6139.66	6426.59	5918.45	5415.08	4987.53	4993.79	4751.49
प्रतिनिधित्व										
(1) इक्रिटो पूंजी (लम्बित आवंटन सहित)	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6104.84
(2) सुरक्षित	4132.50	3687.96	3000.76	2484.64	1721.09	985.10	390.49	316.65	324.80	414.53
(3) कर देयता को आस्थगित करते हुए										
(4) लाभ/हानि (+)/(-)	-5600.21	-5512.15	-5378.55	-2661.34	-1522.14	-1114.62	-1040.31	-1312.29	-1647.37	-1767.88
(5) मिश्रित व्यय (देय/भार सहित)					-88.72	-268.39	-251.46	-333.19		
शुद्ध मूल्य (1 से 5 तक)	4848.65	4492.17	3938.57	6139.66	6426.59	5918.45	5415.08	4987.53	4993.79	4751.49
नियोजित पूंजी	9274.48	9560.68	9166.75	12786.35	11671.04	10154.97	9462.07	9151.79	9005.52	8272.89

आय एवं व्यय स्थिति (कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगियों के लिए समेकित पर आधारित)

(करोड़ रु. में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994
(क) जिनसे अर्जित किया गया										
सकल विक्रय	24228.07	22745.75	20811.00	19589.19	18646.19	18795.13	16597.78	13378.60	11778.51	11103.62
विकासशील खानों से प्राप्त कोयले को घटाकर	51.86	66.27	67.57	62.64	73.43	88.22	114.72	77.45	31.51	11.38
लंबी घटाकर (राजस्व, सेस आदि)	3898.83	3439.38	3252.74	3136.79	3174.09	3385.80	3192.02	2826.93	2429.43	2209.00
(1) शुद्ध विक्रय	20277.36	19240.10	17490.69	16389.76	15398.67	15321.11	13291.04	10474.22	9317.57	8883.24
(2) भण्डारों में वृद्धि/ह्रास	82.66	-77.77	-102.21	-240.23	179.47	166.07	-230.70	-30.18	-298.68	-3.99
(3) बायलर एवं घरेलू खपत	148.89	172.15	186.32	194.37	214.91	222.03	214.45	190.65	188.25	177.36
(4) अन्य राजस्व प्राप्तियाँ										
सोएम्पीडोआईएल	123.39	131.35	155.98	92.67	99.27	97.38	92.83	93.15	79.74	70.27
अन्य (परिवहन एवं वसूलियों एवं निर्माण के बाद समा.)	493.15	376.90	320.84	344.31	272.49	205.00	234.74	382.08	263.02	205.10
कोयला मूल्य नियमन लेखा								-0.25	2.57	39.39
योग (क) (1 से 4)	21125.45	19842.73	18051.62	16780.88	16164.81	16011.59	13602.36	11109.67	9552.47	9371.37
(ख) भुगतान किया गया/प्रावधानित किया गया										
कर्मियों को परिश्रमिक एवं सुविधाएँ (सकल राजस्व)	8187.57	8108.35	10204.32	6927.95	6128.37	5989.98	5396.36	5012.36	4178.51	3624.55
घटाकर : अन्य राजस्व शोर्ष में स्थानान्तरित	481.81	328.37	430.54	386.20	351.18	341.80	331.48	345.46	210.47	214.83
(1) शुद्ध वेतन एवं मजदूरी (स्व. सेवा निवृत्ति योजना को छोड़कर)	7705.76	7779.98	9773.78	6541.75	5777.19	5648.18	5064.88	4666.90	3968.04	3409.72
(2) स्व. सेवा निवृत्ति भुगतान (शुद्ध ग्रान्ट प्राप्ति का कुल)	76.90	165.61	98.41	116.65	96.18	16.39	24.40	31.82	7.54	
(3) सामाजिक शोर्ष (एलएलटीसी एवं घरेलू कोयला सहित)	1402.74	1231.99	1242.42	1126.94	1104.57	1071.11	979.80	890.19	696.71	621.80
घटाकर : सामाजिक शोर्ष (विभागीय एवं संस्थानिक)	68.38	62.15	58.11	57.15	60.13	53.08	48.22	40.89	39.39	38.15
सामाजिक शोर्ष (विभागीय एवं संस्थानिक छोड़कर)	1334.36	1169.84	1184.31	1069.79	1044.44	1018.03	931.58	849.30	657.32	583.65
(4) भण्डार एवं पुर्जे (सकल आरक्षित)	3104.79	2954.02	2782.89	2587.62	2413.39	2355.37	2075.66	1786.50	1599.99	1462.19
घटाकर : अन्य राजस्व शोर्ष में स्थानान्तरित	43.30	40.84	40.68	42.02	38.39	36.43	31.26	30.13	31.01	30.08
भण्डार एवं पुर्जे (शुद्ध)	3061.49	2904.18	2742.21	2545.60	2375.00	2318.94	2044.40	1756.37	1568.98	1432.11
(5) (i) विद्युत एवं ईंधन (कोयला खपत को छोड़कर)	1435.32	1378.30	1346.63	1317.70	1218.85	1191.56	1098.46	814.58	707.16	644.20
(ii) बायलर एवं कोलियरी खपत	52.69	55.66	57.28	56.02	56.37	53.58	53.24	48.33	46.47	44.38
(6) टेकदार (यातायात एवं मरम्मत)	888.87	809.56	892.92	812.74	745.34	699.47	631.47	651.16	565.59	464.94
(7) विविध व्यय	649.62	655.95	653.60	814.51	595.28	633.02	476.66	437.37	397.25	420.58
(8) संदिग्ध ऋण के प्रावधान, अप्रयुक्त इत्यादि	640.41	843.31	537.10	578.77	812.01	471.92	174.91	146.57	9.87	287.46
(9) ब्याज (एस.ओ. एवं पी.पी. सहित)	400.57	588.77	681.77	695.68	659.66	742.79	686.02	-129.26	497.96	708.93
(10) ह्रास (एस.ओ. एवं पी.पी. सहित)	1672.46	1519.09	1503.52	1518.54	1290.78	1240.30	1150.22	1089.82	969.82	912.63
(11) ओ.बी.आर. समायोजन	344.45	207.44	-19.31	56.94	26.99	159.73	67.44	109.72	63.01	-19.28
(12) पी.पी. समायोजन (सोपीआए एवं ब्याज ह्रास छोड़कर)	-2.95	10.48	13.87	-37.68	14.93	13.69	61.26	25.55	63.73	81.73
योग (ख)	18259.95	18088.17	19466.09	16087.01	14713.02	14207.60	12464.94	10498.23	9522.74	8971.05
वर्ष के लिए लाभ/हानि (क - ख)	2865.50	1754.56	-1414.47	693.87	1451.79	1803.99	1137.42	611.44	29.73	400.32
निवेश भत्ता आरक्षित	31.22	21.62		42.24		21.45	35.25	29.00	91.42	-72.75
लाभ पर कर	-1412.20	-1235.54	-660.29	-846.78	-942.85	-991.69	-883.29	-34.55	-0.64	-0.92
प्रस्तावित लाभांश	-90.42	-90.42	-90.42	-115.67	-115.68	-109.37	-96.74	-249.95		
लाभांश पर कर	-124.49	-	-61.82	-104.41	-82.12	-181.85	-63.60	-	-	-
जनरल रिजर्व में स्थानान्तरित	-257.42	-256.85	-123.30	-197.75	-200.73	-234.99	-107.01	-20.86	-	-
प्राधिकृत शेयर एवं बॉन्ड रिडीम्पशन निधि	-607.39	-326.97	-357.91	-610.70	-517.92	-380.00	-	-	-	-
अन्य समायोजन	-492.86	-	-	-	-1.85	249.95	-	-	-	-
गत वर्ष से संचयित लाभ/हानि	-5512.15	-5378.55	-2661.34	-1522.14	-1114.62	-1040.31	-1312.29	-1647.37	-1767.88	-2094.53
तुलन पत्र में संचयित लाभ/हानि	-5600.21	-5512.15	-5378.55	-2661.34	-1522.14	-1114.62	-1040.31	-1312.29	-1647.37	-1767.88
संचयित लाभ/हानि (रिजर्व में अन्तरण के पूर्व)	-1467.71	-1824.19	-2377.79	-176.70	144.43	-168.56	-687.80	-1031.54	-1358.48	-1387.56

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं संबंधित अनुपात
(क) वित्तीय सूचना
(कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों का अंकेक्षित लेखाओं का समेकीकरण)

(करोड़ रु. में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994
(क) परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित										
(1) (i) प्रत्येक 1000 रु. के (सोआईएल) इन्क्रिटी शेयरों की संख्या	63163644	63163644	63163644	63163644	63163644	63163644	63163644	63163644	63163644	61034440
(ii) अंशधारक की निधियाँ										
(क) इन्क्रिटी	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6104.84
(ख) आरक्षित	4132.50	3687.96	3000.76	2484.64	1721.09	985.10	390.49	316.65	324.80	414.53
(ग) संचयीकृत हानि	-5600.21	-5512.15	-5378.55	-2661.34	-1522.14	-1114.62	-1040.31	-1312.29	-1647.37	-1767.88
(घ) विविध व्यय (स्थगित देयता)					88.72	268.39	251.46	333.19		
शुद्ध मूल्य	4848.65	4492.17	3938.57	6139.66	6426.59	5918.45	5415.08	4987.53	4993.79	4751.49
(2) ऋण	4214.12	5595.40	6324.48	7047.34	6358.55	5589.90	6137.34	6157.36	7223.45	7021.35
(3) नियोजित पुंजी	9274.48	9560.68	6166.75	12786.35	11671.04	10154.97	9462.07	9151.79	9005.52	8272.89
(4) (i) शुद्ध स्थिर परिसम्पत्तियाँ	11447.82	12185.87	12641.52	13088.84	11500.51	10924.89	10232.44	9737.63	9039.76	7887.83
(ii) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	10209.08	9965.94	10630.28	9730.31	10383.25	7915.71	6420.37	5420.86	5904.72	5952.45
(iii) शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (डक्यू. सी.)	-2154.91	-2442.64	-3391.28	-302.02	197.36	-744.63	-720.04	-526.10	1088.30	1674.24
(5) वर्तमान देयताएँ (अर्जित एवं देय व्याज छोड़कर)	12363.99	12408.58	14021.56	10032.33	10185.89	8660.34	7140.41	5946.96	4816.42	4278.21
(6) (क) विविध ऋण (शुद्ध) (मोएफण्डोआईएल को छोड़कर)	4165.09	4417.57	4701.37	4129.32	3975.98	3337.32	2545.85	2113.89	2533.48	2431.26
(ख) नकद एवं बैंक	1590.82	1131.84	767.27	787.08	786.93	499.28	401.87	255.18	340.59	218.13
(7) अथशेष भण्डार										
(क) भण्डार एवं पुर्जे (शुद्ध)	946.90	984.50	1101.09	1121.20	1034.89	1017.35	1022.67	911.17	889.91	810.37
(ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध)	1149.51	1067.99	1145.46	1242.19	1491.86	1299.44	1142.61	1363.89	1374.86	1656.35
(8) भण्डार एवं पुर्जे का औसत भण्डार (शुद्ध)	965.70	1042.80	1111.15	1078.05	1026.12	1020.01	966.92	900.54	850.14	780.43
(ख) लाभ/हानि से संबंधित										
(1) (क) सकल मार्जिन	4938.53	3862.42	770.82	2908.09	3402.23	3787.08	2973.66	1572.00	1497.51	2021.88
(ख) सकल लाभ	3266.07	2343.33	-732.70	1389.55	2111.45	2546.78	1823.44	482.18	527.69	1109.25
(ग) शुद्ध लाभ (कर एवं निवेश भत्ता आदि से पूर्व)	2865.50	1754.56	-1414.47	693.87	1451.79	1803.99	1137.42	611.44	29.73	400.32
(घ) शुद्ध लाभ (कर के बाद)	1453.30	519.02	-2074.76	-152.90	508.94	812.30	254.13	576.89	29.09	399.40
(ङ) शुद्ध लाभ (कर एवं प्रिफरेंस शेयर पर लाभांश के बाद)	1362.88	428.60	-2165.18	-243.32	418.52	721.88	163.71	576.89	29.09	399.40
(2) (क) सकल विक्रय	24228.07	22745.75	20811.00	19589.19	18646.19	18795.13	16597.78	13378.60	11778.51	11103.62
(ख) शुद्ध विक्रय (उगाही एवं विकास आदि के बाद)	20277.36	19240.10	17490.69	16389.76	15398.67	15321.11	13291.04	10474.22	9317.57	8883.24
(ग) उत्पादन का विक्रय मूल्य	20508.91	19334.48	17574.80	16343.90	15793.05	15709.21	13274.79	10634.69	9207.14	9045.34
(3) विक्रय माल का लागत (विक्रय-लाभ)	17411.86	17485.54	18905.16	15695.89	13946.88	13517.12	12153.62	9862.78	9287.84	8482.92
(4) (क) कुल व्यय (वसूली को छोड़कर)	18259.95	18088.17	19466.09	16087.01	14713.02	14207.60	12464.94	10498.23	9522.74	8971.05
(ख) वेतन एवं मजदूरी (सकल राजस्व मात्र)	8187.57	8108.35	10204.32	6927.95	6128.37	5989.98	5396.36	5012.36	4178.51	3624.55
(ग) भण्डार एवं पुर्जे (सकल राजस्व मात्र)	3104.79	2945.02	2782.89	2587.62	2413.39	2355.37	2075.66	1786.50	1599.99	1462.19
(घ) विद्युत एवं ईंधन	1435.32	1378.30	1346.63	1317.70	1218.85	1191.56	1098.46	814.58	707.16	644.20
(ङ) व्याज एवं होस (सकल राजस्व मात्र)	2073.03	2107.86	2185.29	2214.22	1950.44	1983.09	1836.24	960.56	1467.78	1621.56
(5) भण्डार एवं पुर्जे (सकल) औसत खपत प्रति माह	258.73	245.42	231.91	215.64	201.12	196.28	172.97	148.88	133.33	121.85
(6) (क) वर्ष के दौरान नियोजित औसत श्रमशक्ति	510671	530987	552061	574477	599293	619576	631999	638814	648519	659647
(ख) सामाजिक शोष (एलटीसी/एलएलटीसी सहित)	1402.74	1231.99	1242.42	1126.94	1104.57	1071.11	979.80	890.19	696.71	621.80
(ग) प्रति कर्मा पर सामाजिक शोष व्यय (000रु.)	27.47	23.20	22.51	19.62	18.43	17.29	15.50	13.94	10.74	9.43
(7) (क) मूल्य योग	16082.80	15127.69	13584.66	12517.25	12242.10	12242.51	10171.52	8108.56	6964.27	7006.19
(ख) प्रति कर्मचारी (000रु.) मूल्य योग	314.93	284.90	246.07	217.89	204.28	197.59	160.94	126.93	107.39	106.21

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं संबंधित अनुपात
(ख) वित्तीय अनुपात/प्रतिशत
(कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों का अंकेक्षित लेखाओं का समेकीकरण)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994
(क) लाभप्रदता अनुपात										
(1) शुद्ध विक्रय के % के रूप में										
(क) सकल मार्जिन	24.35	20.07	4.41	17.74	22.09	24.72	22.37	15.01	16.07	22.76
(ख) सकल लाभ	16.11	12.18	-4.19	8.48	13.71	16.62	13.72	4.60	5.66	12.49
(ग) शुद्ध लाभ	14.13	9.12	-8.09	4.23	9.43	11.77	8.56	5.84	0.32	4.51
(2) कुल व्यय के % के रूप में										
(क) वेतन एवं मजदूरी (सकल राजस्व)	44.84	44.83	52.42	43.07	41.65	42.16	43.29	47.74	43.88	40.40
(ख) भण्डार एवं पुर्ज (सकल राजस्व)	17.00	16.28	14.30	16.09	16.40	16.58	16.65	17.02	16.80	16.30
(ग) विद्युत एवं ईंधन	7.86	7.62	6.92	8.19	8.28	8.39	8.81	7.76	7.43	7.18
(घ) व्याज एवं ह्रास (सकल राजस्व)	11.35	11.65	11.23	13.76	13.26	13.96	14.73	9.15	15.41	18.08
(3) नियोजित पूँजी % के अनुसार										
(क) सकल मार्जिन	53.25	40.40	8.41	22.74	29.15	37.29	31.43	17.18	16.63	24.44
(ख) सकल लाभ	35.22	24.51	-7.99	10.87	18.09	25.08	19.27	5.27	5.86	13.41
(ग) शुद्ध लाभ	30.90	18.35	-15.43	5.43	12.44	17.76	12.02	6.68	0.33	4.84
(4) प्रचालन अनुपात (विक्रय-लाभ/विक्रय)										
	0.86	0.91	1.08	0.96	0.91	0.88	0.91	0.94	1.00	0.95
(ख) लिक्विडिटी अनुपात										
(1) वर्तमान अनुपात (वर्तमान परिसम्पत्तियाँ/ वर्तमान देयतायें)										
	0.83	0.80	0.76	0.97	1.02	0.91	0.90	0.91	1.23	1.39
(2) त्वरित अनुपात (त्वरित परिसम्पत्तियाँ / चालू देयतायें)										
	0.47	0.45	0.39	0.49	0.47	0.44	0.41	0.40	0.60	0.62
(ग) टर्न ओवर अनुपात										
(1) पूँजी टर्न ओवर अनुपात (शुद्ध विक्रय/नियोजित पूँजी)										
	2.19	2.01	1.91	1.28	1.32	1.51	1.40	1.14	1.03	1.07
(2) महीनों की संख्या के अनुसार विविध देनदार										
(क) सकल विक्रय	2.06	2.33	2.71	2.53	2.56	2.13	1.84	1.90	2.58	2.63
(ख) शुद्ध विक्रय	2.46	2.76	3.23	3.02	3.10	2.61	2.30	2.42	3.26	3.28
(3) शुद्ध विक्रय के अनुसार अनुपात										
(क) विविध देनदार	0.21	0.23	0.27	0.25	0.26	0.22	0.19	0.20	0.27	0.27
(ख) कोयला भण्डार	0.06	0.06	0.07	0.08	0.10	0.08	0.09	0.13	0.15	0.19
(4) सामग्री एवं पुर्जों का भण्डार										
(क) औसत भण्डार / वार्षिक खपत	0.31	0.35	0.40	0.42	0.43	0.43	0.47	0.50	0.53	0.53
(ख) महीनों की संख्या खपत के एवज पर अवशेष भण्डार	3.66	4.01	4.75	5.20	5.15	5.18	5.91	6.12	6.67	6.65
(5) कोयला, कोक, धूले हुए कोयले आदि का भण्डार										
(क) महीनों की संख्या के उत्पादन मूल्यों के अनुसार	0.67	0.66	0.78	0.91	1.13	0.99	1.03	1.54	1.79	2.20
(ख) शुद्ध विक्रय महीनों की संख्या के अनुसार	0.79	0.73	0.73	0.95	1.28	1.15	1.13	1.66	1.78	2.34
(ग) महीनों की संख्या के अनुसार शुद्ध विक्रय	0.68	0.67	0.79	0.91	1.16	1.02	1.03	1.56	1.77	2.24
(घ) संरचनात्मक अनुपात										
(1) ऋण : इक्विटी	0.67	0.89	1.00	1.12	1.01	0.88	0.97	0.97	1.14	1.15
(2) ऋण : शुद्ध मूल्य	0.87	1.25	1.61	1.15	0.99	0.94	1.13	1.23	1.45	1.48
(3) शुद्ध मूल्य : इक्विटी	0.77	0.71	0.62	0.97	1.02	0.94	0.86	0.79	0.79	0.78
(4) शुद्ध स्थिर परिसम्पत्तियाँ : शुद्ध मूल्य	2.36	2.71	3.21	2.13	1.79	1.85	1.89	1.95	1.81	1.66
(ङ) अंशधारक के व्याज										
(1) शेयर का कितनाही मूल्य (₹.) (शुद्ध मूल्य / इक्विटी की संख्या)	767.63	711.20	623.55	972.02	1017.45	937.00	857.31	789.62	790.61	778.49
(2) प्रति शेयर लाभांश (₹.)				4.00	4.00	3.00	1.00			

निदेशकीय प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

कोल इण्डिया लिमिटेड

महानुभावों,

निदेशक परिषद की ओर से, मैं आपके समक्ष कोल इण्डिया लिमिटेड का 30वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा जो दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित है, के साथ ही साथ साँविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं समीक्षा को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ।

वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने निम्नलिखित आठ अनुषंगी कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व बनाये रखा :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

आसाम में स्थित खदानें तथा नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अन्तर्गत मेघालय में एक अन्वेषण मूलक खदान कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित होती रही है। इसी प्रकार आलोच्य वर्ष के दौरान डानकुनी कोल काम्प्लेक्स को भी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी) के साथ लीज पर रहने दिया गया है।

निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ

विगत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2002-2003 में कोल इण्डिया लिमिटेड का इसकी अनुषंगी कम्पनियों सहित निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं को नीचे दर्शाया गया है:

	2002-2003	2001-2002	2000-2001
उत्पादन (मि. टन में)	290.69	279.65	268.14
कोयले का प्रेषण (मि. टन में)	289.22	282.43	273.81
विक्रय (सकल) (करोड़ रु. में)	24,228.07	22,745.75	20,811.00
सकल लाभ (करोड़ रु. में)	3,266.07	2,343.33	-732.70
नियोजित पूँजी (करोड़ रु. में)	9,274.48	9,560.68	9,166.75
शुद्ध मूल्य (करोड़ रु. में)	4,848.65	4,492.17	3,938.57
कर के पहले लाभ (करोड़ रु. में)	2,865.50	1,754.56	-1,414.47
कर के बाद लाभ (करोड़ रु. में)	1,453.30	519.02	-2,074.76
नियोजित पूँजी से सकल लाभ	35.22%	24.51%	-8.00%
शुद्ध मूल्य पर कर के बाद लाभ	59.10%	39.06%	-35.9%
कोयला भण्डार (शुद्ध) (महीनों की संख्या के आधार पर शुद्ध विक्रय)	0.68	0.67	0.79
विविध देनदार (सकल)			
(सकल विक्रय महीनों की संख्या के सम्यन्ध में)	2.06	2.33	2.71

2. वित्तीय निष्पादन

2.1 वित्तीय परिणाम

सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों में सामूहिक रूप से वर्ष 2001-2002 में 1754.56 करोड़ रुपये पूर्व कर लाभ की तुलना में वर्ष 2002-2003 में 2865.50 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

आलोच्य वर्ष की तुलना में 2001-02 के दौरान लाभ (+) अथवा हुई हानि (-) के सम्बन्ध में कम्पनीवार स्थिति नीचे तालिक में दी गयी है :

	2002-2003		2001-2002	
	लाभ(+)/हानि(-)		लाभ(+)/हानि(-)	
ईसीएल	(-)	338.78	(-)	277.64
बीसीसीएल	(-)	507.13	(-)	755.00
सीसीएल	(+)	384.65	(-)	108.32
एनसीएल	(+)	1293.01	(+)	1387.34
डब्ल्यूसीएल	(+)	472.52	(+)	310.20
एसईसीएल	(+)	882.13	(+)	768.87
एमसीएल	(+)	882.31	(+)	719.60
सीएमपीडीआईएल	(+)	1.99	(+)	2.80
सीआईएल/एनईसी	(+)	280.08	(+)	561.80
उप-योग	(+)	3,350.78	(+)	2609.65
घटाकर : अनुषंगियों का लाभांश	(-)	485.28	(-)	855.09
कुल	(+)	2865.50	(+)	1754.56

2.2 लाभांश आय एवं दी गई राशि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीआईएल के हिसाब से लाभांश आय इसकी चार लाभप्रद अनुषंगी कम्पनियों नामतय: एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, एमसीएल तथा एसईसीएल की अनुशंसा के आधार पर गत वर्ष 855.09 करोड़ रुपये अन्तिम लाभांश के प्रतिकूल अन्तरिम लाभांश के रूप में 485.25 करोड़ रुपये था, जिसका अनुषंगीवार विवरण नीचे दिया गया है :

अनुषंगी कम्पनी का नाम	करोड़ रुपये में
एनसीएल	197.00 *(384.02)
डब्ल्यूसीएल	53.96 *(53.48)
एमसीएल	114.91 *(202.34)
एसईसीएल	117.41 *(215.25)

* (कोष्ठक में दर्शाये गए आँकड़े विगत वर्ष के हैं)

आपके निदेशकों ने प्रत्येक 1000 रुपये के 9041800 रिडिमेबल नॉन-कमुलेटिव प्रिफरेंस शेयरों पर 10% उस पर लागू कर के भुगतान के साथ 9041.80 लाख रुपये के लाभांश के भुगतान की अनुशंसा की है।

3. कोयला विपणन

3.1 कच्चे कोयले की निकासी

2002-2003 में 286.40 मि. टन वार्षिक लक्ष्य पर 289.22 मि. टन वास्तविक निकासी की गई, जिससे लक्ष्य के संबंध में 100.99% की उपलब्धि का पता चलता है। विगत वर्ष की 282.43 मि.टन निकासी पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 2.41% कोयला निकासी में वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्रवार निकासी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान विद्युत एवं सीमेंट क्षेत्र लक्ष्य से और विगत वर्ष की निकासी से अधिक कोयला प्राप्त किए हैं। इस्पात क्षेत्र के संबंध में विगत वर्ष 1237 मि. टन निष्पादन की तुलना में 12.28 मि. टन कम निकासी हुई है। निकासी में यह गिरावट मुख्यतया वाशरियों हेतु भेजे जाने वाले कोकिंग कोल की उपयुक्त गुणवत्ता में लगातार कमी और इस्पात क्षेत्र द्वारा धुले कोयले की युक्ति गुणता का पैरामीटर लागू

करने के कारण रही। 2002-03 में लक्ष्य की तुलना में क्षेत्रवार प्रेषण का विश्लेषण साथ ही साथ पिछले वर्ष का वास्तविक नीचे सारिणी में दिया गया है :

वर्ष	आँकड़े मिलियन टनों में					
	2002-03		2001-02		विगत वर्ष से वृद्धि	
क्षेत्र	लक्ष्य	निकासी	संतुष्टी %	निकासी	निरपेक्ष	%
विद्युत (यूटिल)/ कच्चा कोयला	214.32	219.93	102.62	217.18	2.75	1.27
(मिडलिंग्स*)	4.06	1.71	42.22	1.80	-0.09	-4.89
(नॉन कोकिंग वास्ट कोल)	8.31	6.63	79.72	5.54	1.08	19.56
(बेनिफिसियेटे कोल)	0.44	0.24	54.55	0.06	0.18	306.78
लोको	0.01	0.00	92.00	0.01	-0.01	-54.00
स्टील	14.16	12.28	86.69	12.37	-0.09	-0.77
सीमेंट	7.06	8.36	118.37	7.73	0.63	8.11
उर्वरक	3.05	2.49	81.74	3.20	-0.71	-22.09
निर्यात	0.05	0.01	26.00	0.02	-0.01	-35.00
बीआरके/अन्याय	45.87	44.80	97.68	40.27	4.53	11.25
कोलियरी खपत	1.90	1.36	71.48	1.65	-0.29	-17.82
कच्चा कोयला निकासी	286.40	289.22	100.99	282.43	6.80	2.41

* मिडलिंग्स कोयले में विद्युत क्षेत्र हेतु धुला कोयला (तापोय) शामिल है।

2002-2003 में निकासी के लक्ष्य की तुलना में कम्पनीवार वास्तविक आँकड़ों के साथ विगत वर्ष 2001-02 की वास्तविक स्थिति नीचे सारिणी में दी गई है :

कम्पनी	आँकड़े मिलियन टनों में					
	2002-03		2001-02		विगत वर्ष से वृद्धि	
	लक्ष्य	निकासी	संतुष्टी %	निकासी	निरपेक्ष	%
ईसीएल	29.00	27.29	94.11	28.38	-1.08	-3.81
बीसीसीएल	28.20	22.22	78.80	25.20	-2.98	-11.81
सीसीएल	34.25	36.74	107.26	33.30	3.44	10.32
एनसीएल	44.00	44.43	100.97	42.68	1.74	4.09
डब्ल्यूसीएल	37.00	38.16	103.13	38.09	0.08	0.20
एसईसीएल	65.25	68.37	104.78	65.10	3.27	5.02
एमसीएल	48.00	51.37	107.02	49.06	2.31	4.71
एनईसी	0.70	0.64	92.00	0.62	0.02	3.37
सीआईएल	286.40	289.22	100.99	282.43	6.8	2.41

यद्यपि समीक्षाधीन वर्ष में सामूहिक रूप से समग्र सीआईएल की निकासी लक्ष्य से अधिक हुई किन्तु विशेष रूप

से ईसीएल, बीसीसीएल एवं एनईसी 2002-03 में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहीं। यदि इसकी तुलना विगत वर्ष के स्तर से की जाती है तो यह स्पष्ट होता है कि मात्र ईसीएल और बीसीसीएल के निष्पादन में कमी हुई है। ईसीएल तथा बीसीसीएल के निष्पादन के मार्ग में वहाँ अत्यावश्यक संसाधनों के प्रतिबन्धों के साथ ही साथ ओपन-कास्ट खनन इत्यादि के लिए भूमि की अनुपलब्धता सामने आती है। एनईसी में अवरोध का कारण माँग में कमी तथा कानून एवं व्यवस्था में गम्भीर समस्या प्रमुख रुकावटें थीं। इससे अलग, ईसीएल में आउट-सोर्सिंग कोयला उत्पादन में श्रम संघों के एक सेक्सन द्वारा दृढ़ता पूर्वक विरोध किया गया, बीसीसीएल के कमाण्ड क्षेत्रों में अनियमित रूप से कानून एवं व्यवस्था की समस्या, उत्पादन के व्यस्ततम महीनों में अपर्याप्त वैगनों की उपलब्धता भी वर्ष के दौरान निकासी निष्पादन में कमी के प्रमुख कारण थे।

देश में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में विगत वर्ष के 343.167 बिलियन यूनिट्स की तुलना में 2002-2003 में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई। तापीय क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोयला कम्पनियाँ सतत् प्रयत्नशील रहीं जिससे

प्लांट लोड फैक्टर (पीएल) और स्पेसिफिक कोल कन्जम्पशन दोनों में समग्र वृद्धि दिखाई दी। कोयला आधारित विद्युत ईकाइयों का समस्त निष्पादन नीचे सारणी में दिया गया है :-

पैरामीटर	2002-03	2001-02
कोयला आधारित उत्पादन (बी.यू.)	362.17	343.17
पीएलएफ (%में)	72.40	70.20
विशेष कोयला उपभोग (केजी/केडब्ल्यूएच)	0.70	0.70
कोयला प्राप्ति (मि.टन)	250.03	243.47
कोयला उपभोग (मि.टन)	253.07	240.35

3.2 विभिन्न माध्यमों द्वारा कोयला एवं कोयला उत्पाद का प्रेषण

2002-03 में विभिन्न माध्यमों से कोयला एवं कोयला उत्पाद का प्रेषण 284.33 मि.टन हुआ जो वर्ष 2001-02 के 277.39 मि.टन प्रेषण की तुलना में 2.50% की वृद्धि है। वर्ष 2002-2003 एवं 2001-02 में प्रेषण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :



एनसीएल, खुली कोयला खान, जयन्त में परिचालित बड़ी ड्रेगलाइनें और अन्य भारी खनन मशीनें

विभिन्न माध्यमों द्वारा कोयला तथा कोयला उत्पाद के आँकड़े मि. टन में

वर्ष	रेल	सड़क	एमजीआर	बेल्ट	रोप	सर्वांगीण
2002-2003	167.82	36.49	66.73	7.69	5.60	284.33
2001-2002	166.47	32.09	65.54	7.27	6.02	277.39
वृद्धि/हास	1.37	4.40	1.18	0.42	-0.41	6.94
वृद्धि %	0.82	13.70	1.80	5.75	-6.87	2.50

3.3 वैगन लदाई

वर्ष 2002-03 के दौरान 19282 एफडब्ल्यूडब्ल्यू/प्रति दिन वैगन लदाई हुई जो अब तक का रिकार्ड है। यह निष्पादन 196 एफडब्ल्यूडब्ल्यू/प्रति दिन के लक्ष्य से अधिक है जो विगत वर्ष के निष्पादन से 1% वृद्धि प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2002-03 में कम्पनीवार लदाई के लक्ष्य की तुलना में 2001-02 में वास्तविक उपलब्धि को नीचे दिखाया गया है :

आँकड़े एफडब्ल्यूडब्ल्यू/प्रति दिनों में

कम्पनी	2002-03		2001-02		गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि प्रतिशत	
	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि %	वास्तविक	निरपेक्ष	प्रतिशत
ईसीएल	1960	2050	105	2096	-46	-2
बीसीसीएल	2745	2156	79	2515	-359	-14
सीसीएल	3203	3393	106	2937	456	16
एनसीएल	879	725	82	663	62	9
डब्ल्यूसीएल	2714	2823	104	2835	-12	0
एसईसीएल	4212	4072	97	4148	-76	-2
एमसीएल	3666	4006	109	3841	165	4
एनईसी	49	57	116	51	6	12
सीआईएल	19428	19282	99	19086	196	1



तालिका से यह स्पष्ट है कि बीसीसीएल, एनसीएल तथा एसईसीएल वैगन लदान लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहे। ईसीएल, बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल तथा एसईसीएल के मामले में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि अन्य चार कम्पनियों सीआईएल में गत वर्ष की उपलब्धियों से बेहतर निष्पादन में सहायक सिद्ध हुई। कानून व्यवस्था समस्या, वैगनों की अनुपलब्धता विशेष रूप से 2002-2003 के अन्तिम तिमाही में वैगन लदान में हुई कमी के प्रमुख कारण थे। इसके अतिरिक्त बीसीसीएल की वाशरियों में परिवहन अवरोध के कारण कम कोयले की आपूर्ति, एनसीएल में साइडिंग पर सीएचपी के लगातार ब्रेक-डाउन तथा एसईसीएल में सड़क द्वारा निजी वाशरियों को कोयले के प्रेषण से भी वैगन लदान निष्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ा।

कोयला कम्पनियों को कभी-कभी विद्युत एवं इस्पात क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा बकाये की अपर्याप्त निकासी के कारण आपूर्ति को रोकना पड़ा।

3.4 उपभोक्ता संतुष्टि

गुणवत्ता पर उपभोक्ता संतुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए बड़े आकार के पत्थरों/बोल्डरों, बाहरी सामग्री इत्यादि की आपूर्ति से उत्तरोत्तर निष्कासन करते हुए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

- (क) उपभोक्ताओं को विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में चूर्ण/समुचित आकार वाले कोयले का अधिक मात्रा में प्रेषण करने के लिए 230.04 मि. टन प्रति वर्ष की कुल हैण्डलिंग क्षमता वाला कोल हैण्डलिंग प्लांट बनाया गया है (31.03.03



की स्थिति)। इसके अतिरिक्त क्रशिंग क्षमता की वाशरियों से उपभोक्ताओं को चूर्णित/क्रशिंग साइज्ड कोयले के प्रेषण के लिए 30 मि.टन कोयला उपलब्ध कराया गया है। यह 2001-02 में 96.0% के विपरीत 2002-03 में 96.22% तक पावर युटिलाइज्ड में साइज्ड कोयले के प्रेषण में सुधार का प्रभाव है।

(ख) यथोचित माप के पश्चात ही कोयला प्रेषण को सुनिश्चित करना, 162 इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्टआउट सुविधा के साथ इलेक्ट्रॉनिक/यॉन्ट्रिकी तौलघर, लदान/प्रेषण बिन्दुओं पर स्थापित किए गए हैं। इन स्थापनाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौल घरों के माध्यम से माप के साथ प्रेषण में सुधार 2001-02 में 93% से बढ़कर 2002-03 में 95.46% तक संभव हो सका है।

372 रोड तौल घर भी हैं जिससे रोड डिस्पैच को 100% पूरा किया जाता है।

(ग) कोयले में ओ.बी. मटेरियल के मिश्रण की सम्भावना को कम करने के लिए, कोयले की गुणवत्ता इत्यादि में वृद्धि हेतु विखण्डन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए शेल/पत्थरों को चुनने, परम्परागत तरीके के साथ ही साथ सरफेस माइनर वाली चयनित खदान, समुचित ब्लास्टिंग प्रक्रिया/तकनीक का अंगीकरण जैसे उपाय किए गए हैं।

(घ) उपभोक्ता की गरिमा को सुनिश्चित करने के साथ उनके द्वारा किये गये भुगतानों के कम से कम बराबर उन्हें कोयला आपूर्ति की जाती है तथा गुणवत्ता से सम्बन्धित मामलों पर उनसे होने वाले विवादों की सम्भावनाओं को दूर करने/कम करन के लिए अधिकांश उपभोक्ताओं से विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र से अब कोयले की आपूर्ति के लिए भुगतान अपेक्षित है जिसमें उनके लिए ग्रेड के अनुसार यथा आपूर्ति के सैंम्पलिंग के विश्लेषण से प्रदर्शित होता है, इसके लिए



एनसीएल, वृक्षारोपण पथ

काम में लगी संयुक्त रूप से अथवा स्वतंत्र तीसरी पार्टी एजेन्सी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, विश्लेषण किया जाता है।

यह प्रथा लम्बे समय से प्रचलित है तथा अधिकतर कोयला कम्पनियों में चालू है।

- (च) कोयला खानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न प्रोग्राम्ड खानों पर चयनित खनन अपनाया गया है, एमसीएल की चिन्हित ओपनकास्ट परियोजनाओं में 15 सरफेस माइनर्स स्थापित किये गये हैं। अन्य अनुषंगियाँ भी सरफेस माइनर्स के डिप्लायमेन्ट के लिए ओसीपी के चयन की प्रक्रिया में लगी हुई हैं।

3.5 कोयले के उदारीकृत विपणन की दिशा में उठाये गये कदम

छोटे खरीददारों को कोयले की उपलब्धता में सुधार करने के सम्बन्ध में खुली बिक्री योजना (ओ.एस.एस.) तथा ट्रेड चैनल नेटवर्क (टीसीएन) जैसी उदारीकृत योजना के अन्तर्गत कोयला निर्गत किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

- (i) 2001-02 वर्ष में 30.73 लाख टन के विपरीत 2002-03 के दौरान 43.27 लाख टन ओ.एस.एस. के अन्तर्गत कोयला विक्रय किया गया।
- (ii) टी.सी.एन. के माध्यम से 2001-02 के दौरान 8.87 टन के विपरीत 2002-03 में 9.20 लाख टन कोयला बिक्री किया गया।

3.6 निर्यात

2002-03 के दौरान, सीआईएल ने नेपाल को 0.126 लाख टन कोयले का निर्यात किये गये बिल की राशि 2.97 करोड़ रुपये थी। कोयले के निर्यात के लिए रेलवे तथा सड़क परिवहन दोनों का उपयोग किया गया था। 2002-03 के साथ ही साथ गत वर्ष का नेपाल को कोयले का निर्यात नीचे दिखाया गया है :

	2002-03	2001-02
मात्रा (000 टनों में)	12.65	16.36
बिलिंग (करोड़ रु. में)	2.97	3.81

3.7 कोयला, कोक इत्यादि का भण्डार

कोयले के पिट हेड भण्डार एवं उसके उत्पादों का शुद्ध समायोजित मूल्य वर्ष 2002-2003 की समाप्ति के समय 1149.51 करोड़ रुपये भण्डार के हास इत्यादि के प्रावधान के बाद था जो शुद्ध विक्रय मूल्य के 0.68 महीनों के बराबर है। कम्पनीवार 31.3.2003 एवं 31.3.2002 की भण्डार की स्थिति नीचे प्रदर्शित है :

कम्पनी	दिनांक	दिनांक	शुद्ध विक्री महीनों की संख्या के अनुसार भण्डार	
	31.3.2003 को भण्डार का शुद्ध मूल्य	31.3.2002 को भण्डार का शुद्ध मूल्य	31.3.2003 को	31.3.2002 को
ईसीएल	111.43	117.48	0.49	0.51
बीसीसीएल	450.89	394.43	2.73	2.27
सीसीएल	259.86	271.51	1.09	1.38
एनसीएल	40.78	16.70	0.15	0.07
डब्ल्यूसीएल	45.04	52.35	0.17	0.21
एसईसीएल	147.08	154.08	0.42	0.47
एमसीएल	54.53	31.53	0.33	0.20
एनईसी/सीआईएल	39.90	29.90	—	—
कुल	1149.51	1067.98	0.68	0.67

3.8 कोयला विक्रय से संबंधित बकाया

दिनांक 31.3.2003 को शुद्ध कोयला बिक्री बकाया की राशि 1931.44 करोड़ (गत वर्ष 1920.92 करोड़ रुपये) अप्राप्त एवं संदिग्ध रूप में 4165.09 करोड़ रुपये (गत वर्ष 4417.57 करोड़ रुपये) प्रावधान के बाद थी जो कि सीआईएल के 2.06 महीने (विगत वर्ष 2.33 महीने) के संयुक्त सकल बिक्री के बराबर है। 31.3.2003 को अनुषंगीवार कोयला बिक्री बकाया विवरण नीचे प्रदर्शित है :

कम्पनी	31.3.2003 को कोयले का बिक्रीगत उधार		दिनांक 31.3.2002 को कोयले का बिक्रीगत उधार	
	सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध
ईसीएल	1,243.39	1,077.35	1,446.25	1,274.61
बीसीसीएल	865.94	407.90	874.83	398.86
सीसीएल	986.42	668.68	1,162.67	628.46
एनसीएल	139.72	129.58	154.72	76.36
डब्ल्यूसीएल	955.91	471.93	665.86	423.12
एसईसीएल	1,482.76	1,172.83	1,524.35	1,241.26
एमसीएल	411.46	236.63	499.06	374.87
एनईसी/सीआईएल	10.93	0.19	10.75	0.03
योग	6,096.53	4,165.09	6,338.49	4,417.57

2002-2003

3.9 राजस्व, उपकर तथा विक्रय कर, स्टोविंग एक्साइज ड्यूटी तथा प्रवेश कर का भुगतान

वर्ष 2002-2003 के दौरान, कोल इण्डिया एवं इसकी अनुषंगियों द्वारा 3852.48 करोड़ (गत वर्ष 3553.07 करोड़ रुपये) राजस्व, उपकर, विक्रय कर एवं अन्यान्य देयताओं के रूप में भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
(आँकड़े मिलियन टनों में)

	2002-2003	2001-2002
राजस्व	2,248.13	1,960.38
उपकर (सेस)	601.16	620.58
बिक्री-कर	924.04	863.71
स्टोविंग एक्स— शुल्क	65.43	101.97
प्रवेश कर	13.72	6.43
कुल	3,852.48	3,553.07

4. कोयला उत्पादन

4.1 कच्चे कोयले का उत्पादन

वर्ष 2002-2003 के दौरान कोयले का उत्पादन 290.69

मि. टन था जबकि गत वर्ष 279.65 मि. टन रहा। अनुषंगीवार विवरण निम्नलिखित है :

(आँकड़े मिलियन टनों में)

कम्पनी	कोकिंग		नॉन कोकिंग		कुल कोयला	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
ईसीएल	0.18	0.22	27.00	28.33	27.18	28.55
बीसीसीएल	12.82	12.53	11.33	12.72	24.15	25.25
सीसीएल	10.09	8.69	26.89	25.12	36.98	33.81
एनसीएल	—	—	45.10	42.46	45.10	42.46
डब्ल्यूसीएल	0.59	0.54	37.23	36.47	37.82	37.01
एसईसीएल	0.15	0.14	66.45	63.98	66.60	64.12
एमसीएल	—	—	52.23	47.81	52.23	47.81
एनईसी	—	—	0.63	0.64	0.63	0.64
सीआईएल	23.83	22.12	266.86	257.53	290.69	279.65

कोकिंग की श्रेणी में रखे गये कोयले सहित कोकिंग कोयला, जिसे अधातुकर उद्देश्यों के लिये उपयोग में नहीं लाया जाता है। कोयला उत्पादन माँग के आधार पर पिटहेड स्टॉक को ध्यान में रखकर प्रबन्धकीय स्तर पर नियमित किया गया था।



जयन्त खुली खान में शॉवेल एवं डम्पर

4.2 भूगर्भीय एवं खुली खदानों से उत्पादन

2002-03 में भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन खुली खदानों से 242.27 मि. टन की तुलना में 48.42 मि. टन था। खुली खदानों का उत्पादन कुल उत्पादन का 83.3% था। विवरण का संक्षेप नीचे दिया गया है :


(आँकड़े मिलियन टनों में)

कम्पनी	भूगर्भीय उत्पादन		उत्खनन उत्पादन		कुल उत्पादन	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
ईसीएल	10.95	11.66	16.23	16.89	27.18	28.55
बीसीसीएल	7.29	7.59	16.86	17.66	24.15	25.25
सीसीएल	2.76	2.73	34.22	31.08	36.98	33.81
एनसीएल	—	—	45.10	42.46	45.10	42.46
डब्ल्यूसीएल	9.39	9.50	28.43	27.51	37.82	37.01
एसईसीएल	16.16	15.91	50.44	48.21	66.60	64.12
एमसीएल	1.76	1.65	50.47	46.16	52.23	47.81
एनईसी	0.11	0.18	0.52	0.46	0.63	0.64
सीआईएल	48.42	49.22	242.27	230.43	290.69	279.65

भूगर्भिक खदानों से उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से एसईसीएल तथा डब्ल्यूसीएल की कई खदानों में नई आधुनिक/मास उत्पादन प्रौद्योगिकी तथा खनन की विकसित प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है।

4.3 सॉफ्ट कोक, हार्ड कोक एवं प्रक्षालित कोयला (कोकिंग)

सीआईएल का वर्ष 2002-2003 में सॉफ्ट कोक, हार्ड कोक एवं प्रक्षालित कोयले का समग्र उत्पादन क्रमशः शून्य, 0.4 लाख टन एवं 46.27 लाख टन था। अनुषंगीवार विवरण नीचे दिया गया है :



(आँकड़े लाख टनों में)

कम्पनी	सॉफ्ट कोक		हार्ड कोक		प्रक्षालित कोयला	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
ईसीएल	—	—	—	—	—	—
बीसीसीएल	—	—	0.61	0.89	21.64	23.39
सीसीएल	—	—	—	—	21.75	20.16
एनसीएल	—	—	—	—	—	—
डब्ल्यूसीएल	—	—	—	—	2.88	2.57
एसईसीएल	—	—	—	—	—	—
एमसीएल	—	—	—	—	—	—
एनईसी	—	—	—	—	—	—
सीआईएल (समग्र)	—	—	0.61	0.89	46.27	46.12

4.4 ओवर बर्डेन रिमूवल (अधिभार हटाव)

वर्ष 2002-2003 में 501.20 मिलियन घन मीटर ओवर बर्डेन हटाया गया जबकि 2001-02 में इसकी मात्रा 490.13 मिलियन घन मीटर थी। अनुषंगीवार स्थिति नीचे दी गई है :

(आँकड़े मिलियन घन मीटर में)

कम्पनी	2002-03	2001-02
ईसीएल	32.04	33.39
बीसीसीएल	45.18	45.57
सीसीएल	46.64	46.41
एनसीएल	137.73	136.01
डब्ल्यूसीएल	109.98	106.30
एसईसीएल	70.91	67.16
एमसीएल	54.05	50.56
एनईसी	4.67	4.73
कुल योग (सीआईएल)	501.20	490.13

5. उपकरणों की संख्या

1.4.2003 तथा 1.4.2002 को विद्यमान बड़े आकार के ओपनकास्ट उपकरण की संख्या उनके निष्पादन स्थिति के साथ प्रत्येक की उपलब्धता तथा उपयोगिता प्रदर्शित करते हुए सीएमपीडीआईएल के मानक का प्रतिशत संलग्न तालिका में नीचे दिया जा रहा है :

(आँकड़े लाख टन में)

उपकरणों के नाम	उपकरणों की संख्या		सीएमपीडीआईएल मानक के %के अनुसार निर्दिष्ट			
	1.4.2003 के अनुसार	1.4.2002 के अनुसार	उपलब्धता		उपयोग	
ड्रेगलाइन	42	41	100	101	107	108
शावेल	764	781	89	90	76	76
डम्पर	3,523	3,527	97	99	66	64
डोजर	1,077	1,074	87	89	55	55
ड्रिल	791	802	90	92	61	61

6. क्षमता उपयोगिता

वर्ष के लिए सीआईएल की समग्र क्षमता उपयोगिता (%) 2001-02 में 92.97%, से बढ़कर 95.07% हुई, जिसका अनुषंगीवार विवरण नीचे दिया गया है :

(आँकड़े प्रतिशत में)

अनुषंगी	2002-03	2001-2002
ईसीएल	77.94	77.85
बीसीसीएल	75.60	69.13
सीसीएल	81.43	80.01
एनसीएल	95.79	97.13
डब्ल्यूसीएल	112.95	112.91
एसईसीएल	99.44	98.28
एमसीएल	104.67	96.92
एनईसी	164.57	192.39
सीआईएल (समग्र)	95.07	92.97

7. उत्पादकता : प्रति व्यक्ति पाली उत्पादन (ओ.एम.एस.)

आलोच्य वर्ष में प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन (ओ.एम.एस.) गत वर्ष के 2.45 टन से बढ़कर 2.67 टन पहुँचा है, जो 9% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। कम्पनीवार स्थिति निम्नलिखित है :

(आँकड़े टनों में)

कम्पनी	भूगर्भीय		खुली मुख		कुल योग	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
ईसीएल	0.48	0.48	4.89	4.91	1.03	1.04
बीसीसीएल	0.58	0.49	2.32	2.70	1.21	1.15
सीसीएल	0.46	0.44	3.68	3.23	2.43	2.13
एनसीएल	—	—	10.58	10.39	10.58	10.39
डब्ल्यूसीएल	0.91	0.85	4.11	4.18	2.21	2.09
एसईसीएल	1.01	0.96	10.71	10.03	3.23	3.01
एमसीएल	0.91	0.77	19.59	17.32	11.57	9.98
एनईसी	0.18	0.28	4.17	3.79	0.85	0.84
सीआईएल	0.69	0.64	6.30	6.09	2.67	2.45

8.0 परियोजनाएँ

8.1 परियोजना प्रतिपादन

या तो नई खानों की शुरुआत करके अथवा वर्तमान खानों के विस्तार/पुनर्संगठन द्वारा जैसा भी उपयुक्त हुआ, माँग की अनुमानित आपूर्ति की सूचना को पूरा करने हेतु अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता विकसित की गई। कोल इण्डिया की एक सहायक कम्पनी सीएमपीडीआईएल की सेवायें उक्त के संबंध में आवश्यक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उनका परीक्षण करने हेतु पारिश्रमिक देकर ली गई। सीएमपीडीआईएल

ने उक्त सेवाओं के अतिरिक्त सुरक्षा पर विशेष रिपोर्ट तैयार करने और परीक्षण करने, संरचनात्मक विकास, बड़ी खुली खानों हेतु परिचालनात्मक योजना, पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना, रिमोट सेसिंग इनर्जी आडिट, पत्थर एवं कोयले के नमूने पर साइकोमैकेनिकल टेस्टिंग, धसान-अध्ययन, स्ट्राटा कण्ट्रोल, नान-डिस्ट्रिक्टिव टेस्टिंग, कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, वाइब्रेशन स्टडीज, इक्सप्लोसिव यूटिलाइजेशन, माइनिंग इलेक्ट्रानिक्स इत्यादि की परामर्शी सेवायें भी दिया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएमपीडीआईएल ने कुल 266 रिपोर्ट तैयार की जिनमें 4 परियोजना रिपोर्ट, 3 संशोधित परियोजना रिपोर्ट। संशोधित लागत आँकलन, 6 विशेष रिपोर्ट, 20 परिचालनात्मक योजना, 44 पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, 19 भू वैज्ञानिक रिपोर्ट और 196 अन्य अध्ययन रिपोर्ट सम्मिलित हैं।


8.2 परियोजना कार्यान्वयन

वर्ष 2002-03 को दौरान निम्नलिखित 4 (चार) खनन परियोजनायें पूरी की गई हैं।

20 करोड़ और उससे ऊपर की लागतवाली परियोजना:

क्र. सं.	कम्पनी	परियोजना का नाम	प्रकार	अनुमोदित क्षमता प्रति वर्ष (मि.टन में)	अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)
खनन परियोजना :					
1.	ईसीएल	सतग्राम	भूमिगत	0.51	118.87
2.	डब्ल्यूसीएल	निरगुडा	भूमिगत	0.75	95.03
3.	एसईसीएल	जिरो सिम चिरमिरी	भूमिगत	0.43	49.21
4.	एसईसीएल	झिलिमिली (गिरिजापुर)	भूमिगत	0.03	28.65

इस वर्ष के दौरान कोई भी गैर खनन परियोजना पूरी नहीं की गई।



इस समय 20 करोड़ और इससे ऊपर की लागत की 45 खनन एवं 6 गैर खनन परियोजनायें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 38 खनन परियोजनायें निर्धारित समय पर हैं। 7 खनन एवं 6 गैर खनन परियोजनायें विलम्बित हैं। विलम्बित खनन परियोजनाओं में 2 परियोजनायें प्रतिकूल खनन परिस्थितियों, 4 निधि की कठिनाइयों के कारण तथा एक आग लगने के कारण हैं। 3 गैर खनन परियोजनाओं भू एवं पुनर्वास समस्या के कारण और 3 अन्य विविध समस्याओं के कारण विलम्बित की गई हैं।

8.3 सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनायें

वर्ष 2002-03 के दौरान सीआईएल निदेशक मंडल ने निम्नलिखित तीन परियोजनाओं की परियोजना प्रतिवेदन (पीआर) स्वीकृत किया है :

क्र. सं.	कम्पनी	परियोजना का नाम	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (मि.टन में)	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)
1.	एमसीएल	लिंगराज विस्तार	खुली खान	5	98.89
2.	एमसीएल	हिंगुला- II विस्तार	खुली खान	2	89.78
6.	एमसीएल	तालचर पश्चिम	भूमिगत	0.52	85.08

वर्ष 2002-2003 के दौरान सीआईएल बोर्ड द्वारा किसी भी आरसीई/आरपीआर को स्वीकृत नहीं किया गया है।

8.4 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट एवं संशोधित परियोजना रिपोर्ट/संशोधित लागत आंकलन

वर्ष 2002-03 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई भी परियोजना रिपोर्ट अथवा संशोधित रिपोर्ट स्वीकृत नहीं की गयी है।

8.5 खनन परिक्षेत्रों का आबंटन

कैप्टिव खनन के लिए कोयला खनन ब्लाक उन निजी/सार्वजनिक कम्पनियों को आबंटित है जो विद्युत उत्पन्न करने, लोहा तथा इस्पात का उत्पादन करने तथा सीमेन्ट उत्पादन कार्य में लगी हुई हैं। उन्हें अपर सचिव कोयला विभाग, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में कोयला मंत्रालय द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी गठन कर चिन्हित किया गया है।

31 मार्च 2003 तक कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रमुख क्षेत्र वाले कैप्टिव खनन के लिए 121 कोयला ब्लाक चिन्हित किये गये हैं तथा इनमें से 27 ब्लाक विभिन्न कम्पनियों को आबंटित किये गये।

9. पूंजीगत व्यय

2002-03 के दौरान पूंजीगत खर्च में गत वर्ष के 1146.69 करोड़ रुपये की तुलना में 1192.18 करोड़ रुपये खर्च हुए जिसका अनुषंगीवार विवरण निम्नलिखित है :

(आँकड़े करोड़ में)

कम्पनी	2002-2003		2001-2002	
	आकलित बजट	वास्तविक	आकलित बजट	वास्तविक
ईसीएल	150.00	131.45	160.00	118.70
बीसीसीएल	200.00	55.39	155.00	59.84
सीसीएल	150.00	131.60	279.00	136.15
एनसीएल	750.00	432.08	839.00	226.76
डब्ल्यूसीएल	275.00	145.01	274.00	206.64
एसईसीएल	400.00	153.34	349.00	220.06
एमसीएल	250.00	139.83	238.90	175.79
सीएमपीडीआईएल	4.00	0.68	4.00	0.51
एनईसी एवं सीआईएल	11.00	2.80	11.00	2.24
कुल	2190.00	1192.18	2309.90	1146.69

10. पूंजीगत संरचना

दिनांक 31.3.2003 को कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 8,904.18 करोड़ रुपये थी, जिसे इक्विटी और नॉन-कम्युलेटिव रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर के बीच निम्नानुसार विभाजित किया गया है :

(i)	90,41,800 अ-संचयी शेयर 10 % के रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर 1000 रु. प्रत्येक	904.18 करोड़ रुपये
(ii)	8,00,00,000 इक्विटी शेयर जो प्रत्येक 1000/- रु. के हैं	8000.00 करोड़ रुपये
कुल		8904.18 करोड़ रुपये

दिनांक 31.3.2003 को प्रदत्त पूंजी 7220.54 करोड़ रुपये थी इसमें 904.18 करोड़ रुपये के अ-संचयी 10 % वाले रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर एवं 6316.36 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जो भारत सरकार के नाम जारी है और साथ ही जिसमें 256.93 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जो भारत सरकार के नाम अधिग्रहीत भूमि के मूल्य के एवज में जारी किया गये हैं, सम्मिलित हैं।

दिनांक 31.3.2003 तक भारत सरकार द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगियों में कुल निवेश 7462.38 करोड़ रुपये था जबकि गत वर्ष 8295.90 करोड़ रुपये था जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैं :

	(करोड़ रुपये में)	
	31.3.2003 तक	31.3.2002 तक
शेयर पूँजी — इक्विटी	6316.36	6316.36
— प्रीफरेंश	904.18	904.18
ऋण (उपार्जित ब्याज एवं बकाया सहित)	241.84	1075.36
योग	7462.38	8295.90

11. उधार

वर्ष 2002-03 के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड ने भारत सरकार के 1006.02 करोड़ रुपये के ब्याज सहित ऋण का भुगतान किया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:

	योजनागत ऋण	गैर योजनागत ऋण	कुल
ऋण का पुनर्भुगतान	249.34	432.64	681.98
ब्याज	97.91	226.20	324.11
योग	347.25	658.84	1006.09

वर्ष के दौरान सीआईएल ने सरकार से 12.62 करोड़ रुपये का ऋण भी प्राप्त किया है, जो सीआईएल के कोयला क्षेत्र पर्यावरण तथा सामाजिक न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा आईडीए से प्राप्त क्रेडिट के बराबर की निधि है।

इसके अतिरिक्त सीआईएल ने 2002-03 के दौरान कुल 203.23 करोड़ रुपये का भुगतान करके अपनी लम्बी अवधि के ऋण को पर्याप्त कम किया है।

	मूल	ब्याज	कुल
(क) 17% बाण्ड (0.44 करोड़ रु. मोचन होगा)	5.89	—	5.89
(ख) 12.25% बाण्ड	11.00	7.10	18.10
(ग) 13.00% आईडीबीआई ऋण	30.00	7.80	37.80
(घ) 12.50% आईसीआईसीआई ऋण	66.50	4.78	71.28
(ङ) 12.74% आईसीआईसीआई ऋण	42.86	27.30	70.16
	156.25	46.98	203.23

12. विदेशी सहयोग

2002-2003 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएँ विदेशी सहयोग से कार्याविन्वत हो रही है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुषंगी	सहयोगी देश
1.	चिरोमिरी "जीरो" सीम	एसईसीएल	जाय माइनिंग, यूके

2002-03 में विदेशी सहयोग से निम्नलिखित परियोजना पूरी की गई:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुषंगी	सहयोगी देश
2.	टाण्डसी परियोजना में स्ट्राटा नियंत्रण अध्ययन	डब्ल्यूसीएल	रॉक मेकेनिक्स टेक्नालॉजी, यूके

टाँडसी परियोजना में कान्टीनुअस माइनिंग के साथ कार्य करने के लिए मेसर्स जाय माइनिंग मशीनरी, यू के तथा डब्ल्यूसीएल के बीच रिस्क/गेन शेयरिंग आधारित संविदा पर हस्ताक्षर किये गये। मेसर्स जाय माइनिंग मशीनरी, यू के ने ईसीएल की कोट्टाडीह तथा मिलेनियम खानों में मास उत्पादन तकनीक को लागू करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव रिस्क/गेन शेयरिंग पर आधारित है तथा ईसीएल/सीआईएल में विचाराधीन है।

सीएमई चाइना द्वारा बीसीसीएल की मुनीडीह परियोजना के लांगवाल फेस में कार्य करने के लिए टेक्नो-“कामर्सियल प्रस्ताव किया है ताकि पांच वर्ष की अवधि में वार्षिक गारन्टेड उत्पादन 0.5 मिलियन टन हो, अभी इसकी जाँच की जा रही है। ठीक इसी प्रकार मेट-केम, कनाडा राजमहल खुली खान परियोजना से 10 मि.टन प्रतिवर्ष से 17 मि. टन प्रतिवर्ष के विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा इसका परीक्षण किया जा रहा है।

12.1 विश्व बैंक द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजनाएँ

31 मार्च 2002 तक, कोयला क्षेत्र पुनर्वास योजना (सीएसआरपी) के अन्तर्गत उपकरण खरीदने तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए आईबीआरडी की शुद्ध उपयोगिता तथा जे बी आई सी ऋण 475.55 मिलियन यूएसडी था। वर्ष के दौरान आईबीआरडी तथा जेबीआईसी ने कुल 8.53 मिलियन यू एस डी वितरित किये थे। इस प्रकार, 31 मार्च 2003 की स्थिति तक, आईबीआरडी तथा जेबीआईसी से कुल सीएसआरपी ऋण 477.40 मिलियन यूएसडी होता है। यह संवितरण 30 जून 2003 तक जारी रहा।

कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय तथा सामाजिक न्यूकरण परियोजना (सीएसईएसएमपी) तथा पर्यावरणीय कार्य योजना (ईएपी) पुनर्वास कार्य योजना (आर ए पी) आन्तरिक जन विकास योजना (आईपीडीपी) के अन्तर्गत प्रमुख गतिविधियाँ अनुसूची के अनुसार पूरी की गई हैं तथा आईडीए क्रेडिट का कुल उपयोग 39.25 मिलियन यूएसडी किया गया। आईडीए द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार परियोजना 30 जून 2002 को

बंद कर दी गई। कार्यान्वयन समापन प्रतिवेदन (आईसीआर) निर्माणाधीन है।

13. कोल बेडमीथेन (सीबीएम) परियोजना


कोल इण्डिया ने दो परियोजनाओं अर्थात् (1) सीआईएल तथा ओएनजीसी की सहायता से सीबीएम का सहयोगात्मक विकास (II) जीईएफ/यूएनडीपी-जीओआई निधि के अधीन सीबीएम प्रमाणन परियोजना में सीबीएम अन्वेषण तथा निष्कर्षण के नये क्षेत्र में साहसिक पूर्ण कार्य को पूरा किया है।

सीआईएल और ओएनजीसी के सम्मिलित प्रयास से दो सीबीएम ब्लॉकों का कार्य किया जाएगा - पहला रानीगंज (356 वर्ग कि.मी.) तथा दूसरा झरिया (85 वर्ग कि.मी.) प्रत्येक में जो कि जीओआई द्वारा आवंटित नामंकन के आधार पर है। जीओआई तथा सीआईएल ओएनजीसी संघ के बीच संविदा पर फरवरी 2003 में हस्ताक्षर किये गये। फेज-1 अर्थात् अन्वेषण फेज में, कोल इण्डिया सीएमपीडीआईएल की क्षमता का उपयोग करते हुए बिना किसी निधि प्रवाह के अन्वेषण के उद्देश्य के लिए अपनी सेवायें प्रदान करेगा।

बीसीसीएल की झरिया, मुनीडीह तथा सुदामाडीह की सक्रिय कोयला खनन क्षेत्रों में सीबीएम काम में लाने के लिए 76.85 करोड़ रुपये की लागत वाली सीबीएम प्रमाणन परियोजना आरम्भ की गई है। परियोजना का उद्देश्य कोल बेड मीथेन वसूली तथा कार्मिशयल उपयोग के क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण करना है। परियोजना विद्युत उत्पादन के लिए गैस की उपयोगिता तथा खान के वाहनों में स्थानापन्न ईंधन के रूप में प्रयोग को प्रदर्शित करेगी।

14. भूगर्भिक अन्वेषण

2002-03 में सीआईएल तथा सीआईएल क्षेत्रों के अतिरिक्त कोयला अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में परामर्शी समर्थन जारी था। ईएफसी/कोयला मंत्रालय ने दसवीं योजना में भी गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण करने के लिए सीएमपीडीआई के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। सीएमपीडीआई के संसाधन सीआईएल, गैर-सीआईएल में विस्तृत अन्वेषण के लिए तथा नये क्षेत्रों में (क्षेत्रीय) अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए लगाये गये थे। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य की सेवाएं सीमित रूप में विस्तृत बेधन (ड्रिलिंग) के लिए ली गई हैं।



सीसीएल, पीपरवार खुली खान में इन-पिट कोल क्लशर

वर्ष 2002-03 के दौरान सीएमपीडीआई के ड्रिल्स तथा इसकी ठेकेदारी एजेसियां (अर्थात् राज्य सरकारें) 103 ब्लॉकों/क्षेत्रों के अन्वेषण के लिए 15 कोयला क्षेत्रों में लगाई गई जिनमें से 54 ब्लॉक कोयले के अन्वेषण के लिए काम में लाये गये जबकि 49 क्षेत्र मौजूद खानों के विकास के लिए उत्पादन समर्थन बेधन के लिए काम में लाई गई।

गैर सीआईएल ब्लॉकों नार्थ कर्णपुरा (3) सोहागपुर (3) रायगढ़ (1) सिंगरौली मेन बेसिन (1) तथा तालचेर (2) कोयला क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किया गया है। नार्थ कर्णपुरा (2) कमिटी (1) तथा मकुम (1) कोयला क्षेत्रों के चार ब्लॉकों में अन्वेषण का खर्च सीआईएल की अनुषंगियों द्वारा वहन किया गया जबकि गैर सीआईएल प्रमोशन ब्लॉकों में अन्वेषण का खर्च कोयला मंत्रालय द्वारा वहन किया गया है।

सीएमपीडीआईएल और इसकी सांविधिक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान ड्रिलिंग का समग्र निष्पादन नीचे दिया जा रहा है।

एजेंसी	वार्षिक लक्ष्य 2002-03	2002-03 की उपलब्धि (सीआईएल तथा नान-सीआईएल और प्रमोशनल ड्रिलिंग)			2001-02 की उपलब्धियाँ (मि.)
		उपलब्धि (मि.)	उपलब्धि %	+/- (मि.)	
सीएमपीडी- आईएल	192,000	192,234*	100	234	196,678
एमईसीएल	—	—	—	—	38,518
राज्य सरकार	10,000	10,266	103	266	9,125
कुल	202,000	202,500	100	500	244,321

टिप्पणी :

- झारखण्ड सरकार के लिए नार्थ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के गरही जलाशय में 632 मीटर की ड्रिलिंग तथा सीसीएल के लिए 800 मीटर की जल भूगर्भिक ड्रिलिंग सीएमपीडीआईएल ड्रिलों की उपलब्धि में सम्मिलित है।
- प्रमोशनल ब्लॉकों में 5,641 मीटर की ड्रिलिंग तथा गैर सीआईएल ब्लॉकों में 31,540 मीटर की ड्रिलिंग भी सीएमपीडीआईएल ड्रिलों की उपलब्धि में सम्मिलित है।
- इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआईएल के पर्यवेक्षाधीन जेएसएमडीसी के परामर्शी कार्य के लिए एक निजी पार्टी ने औरंगा कोलफील्ड्स के सिकनी विस्तार ब्लॉकों में 1,671 मीटर का बेधन किया है।

15. परामर्शी सेवायें

सीएमपीडीआईएल (सीआईएल को एक अनुषंगी)

सीआईएल और इसकी अनुषंगी कम्पनियों की परामर्शी आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अपनी विशेषज्ञ सेवायें सीआईएल के बाहर के संगठनों को भी प्रदान करती है। वर्ष 2002-03 के दौरान 24 संगठनों के 28 कार्यों के लिए परामर्शी सेवायें प्रदान की गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण मुवक्किलों/संगठनों, जिनको सेवायें प्रदान की गई हैं- यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, टाटा आयरन तथा स्टील कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, जयसवाल नौको, डी.भी.सी. भेमो, आई.एस.एम, धनबाद, डी.एम. दार्जिलिंग, मैंगनीज ओर इंडिया लि., नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड इत्यादि। वर्तमान में 21 संगठनों जैसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स, दामोदर वैली कारपोरेशन, टाटा आयरन तथा स्टील कम्पनी लिमिटेड (टाटा स्टील) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, नेशनल एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड, द. सिंगरौली कालरीज कम्पनी लिमिटेड इण्डियन आयरन तथा स्टील कम्पनी, नार्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड, हिन्डालको रेनूसागर पावर डिवीजन) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड इत्यादि के लिए 29 बाह्य परामर्शी कार्य चल रहे हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान सीएमपीडीआईएल ने 28 संगठनों से 41 कार्यों हेतु 653.82 लाख रुपये प्राप्त किये हैं।

16. अनुसंधान एवं विकास

16.1 कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एस एण्ड टी परियोजनायें

कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास सम्बंधी गतिविधियां कोयला मंत्रालय से सम्बद्ध वैज्ञानिक परामर्शी समिति के माध्यम से संचालित होती है जिसे स्थाई वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के नाम से जाना जाता है। सचिव (कोयला) इसके अध्यक्ष हैं। समिति को कार्यक्रम निर्धारण वजटिंग तथा कोयला तथा लिग्नाइट क्षेत्रों में आर एण्ड डी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखने तथा अनुसंधान से प्राप्त उपलब्धियों को प्रयोग में लाने का भी दायित्व सौंपा गया है। इस एसएस आरसी को चार स्थाई उप समितियों द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र में चार महत्वपूर्ण सन्दर्भित विषयों में से एक एक के विषय में सहयोग दिया जाता है।

- उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा
- कोयला परिष्करण
- कोयला उपयोग
- पर्यावरण एवं परिस्थिकी विज्ञान

कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्रों में एस एण्ड टी/आर एण्ड डी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए सीएमपीडीआईएल नोडल एजेन्सी है और एसएसआरसी इसकी उप समिति को कार्य निर्वाहन में सहयोग करती है।

1.4.2002 तक 42 एस एण्ड टी परियोजनायें क्रियान्वयनाधीन थी। वर्ष 2002-03 के दौरान 10 नई परियोजनायें स्वीकृत की गई तथा कुल मिलाकर 52 परियोजनायें क्रियान्वयनधीन हैं, जिनमें से 10 परियोजनायें पूरी कर ली गई हैं।

16.2 सीआईएल आर एण्ड डी बोर्ड द्वारा वित्त पोषित आर एण्ड डी परियोजनायें

कोल इण्डिया लिमिटेड के आर एण्ड डी बोर्ड का गठन कोल इण्डिया द्वारा अगस्त 1985 में किया गया था। क्षेत्र आधारित अनुसंधान मूलक परियोजनाओं को, जिसमें नई तकनीक के स्थानान्तरण एवं अंगीकरण का काम सम्मिलित है, कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में चिन्हित कर लिया गया है।

1.4.2002 तक कुल 15 आर एण्ड डी परियोजनायें क्रियान्वयनधीन थी। 2002-2003 के दौरान, 2 नई परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया तथा इस प्रकार कुल 17 परियोजनाओं को क्रियान्वयनधीन हुई जिनमें से 5 परियोजनाओं पूरी कर ली गई है।

17. दूरसंचार प्रणाली

प्रभावकारी संचार का आधार बनाकर एवं विभिन्न आई.टी. समाधानों के क्रियान्वयन को मिलाकर सीआईएल के कारपोरेट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संरचना तैयार की गई है जिससे उच्चतर उत्पादकता, बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन, सर्वोत्तम दक्षता प्राप्त करने एवं उद्योग की त्वरित परिवर्तनशील घटनाओं के पृष्ठपट पर प्रशासनिक निर्णय लिया जा सकता है।

सीआईएल के लिए दसवीं योजना अवधि के निमित्त कोलनेट की आई.टी. आधारित कार्यवाही योजना के अनुसार नेशनल इन्फार्मेटिक सेण्टर सर्विसेज इन्स (NISCI), भारत सरकार ने सीआईएल मुख्यालय, अनुषंगी कंपनी मुख्यालय तथा कोयला

मंत्रालय, नयी दिल्ली में सीमलेस तरीके से इन्टिग्रेटेड वाइस तथा आँकड़े संचारित सुविधा के विस्तारीकरण के लिए आधुनिक तकनीक SCPC-DAMA आधारित माइक्रो सेटलाइट टर्मिनलस प्रदान किया एवं स्थापित किया है। V-SAT को विभिन्न स्थलों पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि डायरेक्ट इनवर्ड डायलिंग सुविधा (DID) के साथ सबसे अंतिम वाले उपभोक्ता की वाइस कम्युनिकेशन की आवश्यकतायें पूरी हो सके। सीआईएल 10, नेताजी सुभाष रोड तथा 15, पार्क स्ट्रीट के लिए ऑप्टिक फाइबर आधारित बैकबोन तथा आँकड़े आधारित सरवर/वेबसरवर इत्यादि के सात लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) पहले ही स्थापित किया जा चुका है। सीआईएल के परामर्श से प्रत्येक अनुषंगी कंपनी मुख्यालयों में भी LAN की स्थापना के लिए इसी तरह की कार्यवाही की जा चुकी है। सीआईएल तथा सभी अन्य अनुषंगी कंपनियों में लान (LANs) के वास्तु नेटवर्क को जोड़ा जायेगा ताकि विभिन्न MIS फारमेट के अनुसार वाइस एरिया नेटवर्क (WAN) के लिए आँकड़े आधारित सेवायें मिलती रहें एवं उसे अद्यतन रखा जा सके। इसके लिए सीआईएल के प्रणाली विभाग ने विकसित साफ्टवेयर पैकेज का निर्माण किया है।

सीआईएल कार्यालय में बीएसएनएल, कोलकाता के सहयोग से ओएससी आधारित एसटीएम-1 के उपर कार्य करने के लिए रिमोट एक्सचेंज डिजिटल लूप कैरियर (DLC) की कलात्मक तकनीक वाले मॉडल स्थापित किये गये हैं।

सभी टेलीफोन लाइनों के दोषमुक्त निष्पादन को सुनिश्चित करने के साथ ही उपलब्ध लीज्ड सर्किट (डेटा), आईएसडीएन (ISDN) सेवा तथा अंतर कार्यालय की लान से लान (LAN-to-LAN) सम्बद्धता के लिए अन्य उच्च बैंडविथ डेटा सर्किट प्रदान की गई है।

अनुषंगी कंपनी मुख्यालयों क्षेत्रीय कार्यालयों/रिजनल स्टोर्स, परियोजना/खानों इत्यादि के साथ संबंधित मुख्यालय कार्यालयों में कोलनेट फेज -II योजना के अंचर्गत अभिसारी दिशा में वाइस एवं डेटा के लिए लान (LAN) की स्थापना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अनुषंगी कंपनियों में सीआईएल के परामर्श से एनआईटी विनिर्देशों के साथ ऑप्टिक फाइबर केवल्स पर आई.पी. आधारित रेडियो तथा वीएसएनएल लीज्ड लाइनों इत्यादि से संचार स्थापित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

18. प्रणाली गतिविधियां

वर्ष 2001 में कोलनेट अप्लीकेशन साफ्टवेयर के विकास एवं क्रियान्वयन का कार्य आईआईटी, खडगपुर को सौंपा गया है। यह साफ्टवेयर अपने क्रिया-कलापों के लिए सीआईएल मुख्यालय में क्रियान्वित है। साफ्टवेयर का उद्देश्य उद्गम विन्दु



2002-2003


से सूचनाओं को प्राप्त करना तथा प्रबंधन के विभिन्न स्तरों तक कम्प्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से इसे संसूचित करना है। सीआईएल मुख्यालय में स्थापित किए गए आर आईएससी (RISC) आधारित सरवर में इस साफ्टवेयर का क्रियान्वयन किया गया है। वर्ष के दौरान प्रणाली को पहुंचाने के लिए 150 नोडस लान भी लगाये गये तथा सफल संचालित किये गये हैं। सीआईएल के बी-2बी पोर्टल को मिलाकर अनुषंगियों द्वारा आईआईटी, खड़गपुर सरवर पर पहुंचने तथा उसके फोड बैंक को प्राप्त करने के लिए साफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया है।

प्रणाली के संचालन के लिए आईआईटी, खड़गपुर द्वारा उपयोगकर्ता विभागों के लिए पैकेज पर यूजर ट्रेनिंग आयोजित किया गया है जिससे विभिन्न माड्यूल्स, आरेकल, आरडीबीएमएस (RDBMS) जिस पर कोलनेट साफ्टवेयर विकसित किया गया है सीआईएल के प्रणाली विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अनुषंगियों ने पैकेज के निष्पादन के लिए आवश्यक हार्डवेयर प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यवाई की गई है।

19. खान सुरक्षा

19.1 घातक दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति तथा मृत्यु संख्या

कैलेण्डर वर्ष 2002 में घातक दुर्घटनाओं तथा मृत्यु संख्या में कमी की प्रवृत्ति बनायी रखी गई जिसे नीचे ग्राफ में देखा जा सकता है।



नोट : (1) 2001 तथा 2002 के आँकड़े डीजीएमएस के समाधान के अधीन है।

(2) 2001 में बागडिगी जल-प्लावन के कारण 29 मृत्यु संख्या को छोड़कर।

19.2 सुरक्षा आंकड़े

2001 की तुलना में 2002 में सीआईएल के सुरक्षा आंकड़े नीचे दिये गये हैं

मानक	वर्ष 2002	वर्ष 2001
घातक दुर्घटनायें	62	69*
मृत्यु संख्या	69	76*
गंभीर दुर्घटनायें	382	504
गंभीर चोटें	411	528
मृत्यु दर प्रति मी. टन कांयला उत्पादन पर	0.24	0.28*
मृत्यु दर प्रति 300000 नियोजित मैनशिफ्ट पर	0.19	0.20*
गंभीर चोट दर प्रति मी. टन कांयला उत्पादन पर**	1.39	1.92
गंभीर चोट दर प्रति 300000 नियोजित मैनशिफ्ट पर **	1.1	1.39

टिप्पणी: सभी आंकड़े खान सुरक्षा महानिदेशक के सामंजस्य के अनुकूल हैं।

1 कैलेण्डर वर्ष में सुरक्षा आंकड़े डीजीएमएस के समरूपता के साथ बनाये गये हैं।

* 2001 में बागडिगी जल प्लावन में 29 मृत्यु संख्या को छोड़कर। बागडिगी जल प्लावन को मिलाकर घातक दुर्घटनाओं की संख्या 70 है मृत्यु संख्या = 105, मृत्यु संख्या दर/मि.टन = 0.38, मृत्यु संख्या दर/3 लाख मैनशिफ्ट = 0.28।

2001 की तुलना में 2002 के कम्पनीवार घातक दुर्घटनायें, मृत्यु संख्या, गंभीर दुर्घटनायें तथा गंभीर चोटें नीचे दी है:

कम्पनी	गंभीर दुर्घटनायें तथा मृत्यु संख्या				गंभीर दुर्घटनायें तथा चोटें			
	दुर्घटनायें		मृत्यु संख्या		दुर्घटनायें		गंभीर चोटें	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001
ईसीएल	10	18	13	19	141	204	150	210
वीसीसीएल	9	13	10	13	59	59	70	60
सीसीएल	10	5	10	5	16	17	18	25
एनसीएल	1	4	1	4	10	14	10	14
डब्ल्यूसीएल	15	11	15	16	53	91	54	100
एसईसीएल	13	14	16	15	86	107	92	107
एमसीएल	4	4	4	4	17	11	17	11
एनईसीएल	0	0	0	0	0	1	0	1
सीआईएल	62	69	69	76	382	504	411	528

नोट : खान सुरक्षा महानिदेशक के सामंजस्य के अनुकूल है।

19.3 खदानों में सुरक्षा को अधिक बढ़ावा देने के लिए गतिविधियाँ

वर्ष 2002 में सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों की खानों की सुरक्षा परिस्थिति में अत्यधिक सुधार करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का अनुसरण किया गया।

- (क) सभी खानों में सुरक्षा आडिट जारी रखा गया तथा विगत आडिट की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को मानीटर्ड किया गया और जहाँ कहीं भी आवश्यकता हुई, सुधारात्मक कार्यवाई की गई।
- (ख) भूमिगत खानों में रूफ तथा साइड फाल से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए कई कार्रवाइयाँ की गई।
- (ग) ज्वलनशील गैसों अथवा आग से विस्फोटन हो सकता है, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने से रोकने के लिए निम्नलिखित द्वारा खान पर्यावरण की नियमित मानिटरिंग की जा रही है।
 - (i) आधुनिक हल्के डिजिटल गैस डिटेक्टर्स/अलार्म तथा मीथेनोमीटर्स।
 - (ii) पर्यावरणीय टेलीमॉनीटरिंग प्रणाली (ईटीएमएस) उच्च कैपिटल इन्टेसिव कम्प्युटराईज्ड निरन्तर पर्यावरणीय टेलीमॉनीटरिंग प्रणाली की स्थापना के लिए 37 उच्च गैसी/आग संभावित खानों को चिन्हित किया गया है। ऐसी प्रणाली 13 खानों में पहले से ही प्रचलित हैं तथा दो अतिरिक्त प्रणाली को प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
- (घ) प्रत्येक खान में जलप्लावन का खतरा निर्धारित किया गया तथा खतरा, यदि कोई है, से निपटने के लिए कार्य योजना क्रियान्वित की गई।
- (ङ) भूमिगत खान के जल निकास को चिन्हित करने के लिए साथ ही साथ वर्तमान कार्य क्षेत्रों तथा जलमग्न (वाटर लाग्ड) जल निकाय के बीच पार्टिंग की स्थापना के लिए खानों में जल निकास बिना भौतिक बोरिंग/टेपिंग, जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी (विद्युत प्रतिरोधी) सर्वे, जल निकास को चिन्हित करने का सीसमिंग तरीका तथा बैरियरों (अवरोधों) की मोटाई का निर्धारण करने

के लिए ग्राउण्ड पेनेट्रेटिंग राडार का उपयोग जैसी नयी तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है।

- (च) कार्मिकों, ठेकेदारी कामगारों, पर्यवेक्षकों को सुरक्षामूलक प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया है। इसके लिए विभिन्न कार्यों/संचालकों के सुरक्षा पक्ष को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक खान में कार्मिकों को मानकीकृत आडिटों विजुअल प्रशिक्षण देने के लिए 58 वीडियो फिल्म निर्माणाधीन है।
- (छ) कोल हैण्डलिंग प्लाण्ट तथा बंकरों की संरचनात्मक स्थिरता की पुन-जांच प्रगति पर है।
- (ज) खान स्तर से क्षेत्र (खानों के समूह) स्तर तक, क्षेत्र स्तर से अनुषंगी कंपनी स्तर, अनुषंगी कंपनी स्तर से अपेक्स सीआईएल स्तर तक संगठन के विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुस्थापित की गई है।

20. खान बचाव सेवायें

सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के द्वारा किसी भी संकट की सूचना मिलने के 30 मिनट के अन्दर समस्त भूमिगत खदानों को रेस्क्यू सेवायें उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण गैलरी में प्रशिक्षित बचाव कर्मियों द्वारा अच्छी तरह से सुसज्जित बचाव सेवा संगठन बनाया गया है। वर्तमान में, 6 बचाव स्टेशन, पुनश्चर्या प्रशिक्षण सुविधा सहित 15 बचाव रूम और 17 बचाव कक्ष संस्थापित हैं।

21. मानव संसाधन विकास

21.1 समग्र निष्पादन

वर्ष 2002-2003 में 33358 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये जिनमें से 8853 अधिकारी 8210 पर्यवेक्षक तथा 16295 श्रमिक थे। इस निष्पादन में आंतरिक प्रशिक्षण, बाहरी प्रशिक्षण और विदेश प्रशिक्षण सम्मिलित है।

“सांविधिक दायित्वों” के अधीन श्रमिकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण पर अलग से विचार किया गया है।

21.2 आंतरिक प्रशिक्षण

2002-2003 की नैसर्गिक मानव संसाधन विकास की योजना सभी अनुषंगी कंपनियों के मा.सं.वि. के समकालीन



2002-2003

और कोल इण्डिया लिमिटेड में विभिन्न स्थानों पर 26 प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता का विस्तार करते हुए ढांचागत नीति के अंतर्गत विकसित की गई है।

मानव संसाधन विकास की औपचारिक योजना बनाते हुए विस्तृत मां.सं.वि. नीति का अनुसरण किया गया है। योजना में मा.सं.वि. नीति के तहत तकनीकी प्रशिक्षण, प्रबंधन प्रशिक्षण, श्रमिकों और पर्यवेक्षकों का सामान्य विकास और नये कर्मचारियों की शिक्षण कुशलता का समावेश करने का प्रयास किया गया है।

वर्ष 2002-2003 के दौरान आंतरिक प्रशिक्षण व्यवस्था के अधीन प्रशिक्षित कर्मियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

श्रेणी	प्रशिक्षित कर्मी
पदाधिकारी	6873
पर्यवेक्षक	7785
कर्मी *	15761
योग	30419

* ये आँकड़े श्रमिकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण को छोड़कर हैं। सांविधिक दायित्व को पूरा करने के लिए सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों में स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में श्रमिकों को दिया गया प्रशिक्षण अलग से दिखाया गया है।

21.3 कंपनी से बाहर प्रशिक्षण

(i) देश के भीतर :

कर्मचारियों के अर्न्तप्रतिष्ठानिक अनुभवों को प्राप्त के लिए तथा कंपनी के अंदर के प्रशिक्षण संपूरक के रूप में 8 अनुषंगियों एवं कोल इण्डिया मुख्यालय से निम्नलिखित कर्मचारियों को कंपनी के बाहर की एजेंसियों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

श्रेणी	प्रशिक्षित कर्मी
पदाधिकारी	1957
पर्यवेक्षक	419
कर्मी	532
योग	2908

(ii) विदेशों में प्रशिक्षण :

अप्रैल 2002 से मार्च 2003 तक 31 कर्मचारियों को

विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

श्रेणी	प्रशिक्षित कर्मी
पदाधिकारी	23
पर्यवेक्षक	6
कर्मी	2
योग	31

इन कर्मचारियों को संविदागत क्रय के माध्यम से प्राप्त स्लॉट्स पर उपकरण आधारित प्रशिक्षण दिया गया। प्रबंधन प्रशिक्षण पर कुछ स्लॉट्स को प्रबंधन सिद्धान्त पर उन्हें दिखाने और विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान के लिए भी उपयोग किया गया।

22. श्रम शक्ति

22.1 दिनांक 31.03.2002 को 5,19,922 की तुलना में दिनांक 31.03.2003 को कंपनी की कुल श्रमशक्ति अनुषंगियों की श्रमशक्ति सहित 5,01,419 थी। अनुषंगी कंपनीवार श्रमशक्ति निम्नलिखित है :

कंपनी	दिनांक के अनुसार	कुल
ईसीएल	31.3.2002	119,723
	31.3.2003	114,582
बीसीसीएल	31.3.2002	108,043
	31.3.2003	102,414
सीसीएल	31.3.2002	74,887
	31.3.2003	72,401
डब्ल्यूसीएल	31.3.2002	75,005
	31.3.2003	72,501
एसईसीएल	31.3.2002	93,397
	31.3.2003	91,390
एमसीएल	31.3.2002	22,216
	31.3.2003	21,661
एनसीएल	31.3.2002	17,212
	31.3.2003	17,278
एनईसी	31.3.2002	3,930
	31.3.2003	3,779
सीएमपीडीआईएल	31.3.2002	3,485
	31.3.2003	3,436
डीसीसी	31.3.2002	676
	31.3.2003	671
सीआईएल (मुख्या.)	31.3.2002	1,348
	31.3.2003	1,306
समग्र सीआईएल	31.3.2002	519,922
	31.3.2003	501,419

22.2 कोल इण्डिया लिमिटेड की सभी अनुषंगियों एवं इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति जी के निर्देशों का अनुपालन दिनांक 1.1.2002 तथा दिनांक 1.1.2003 तक किया गया है। सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के कुल श्रमशक्ति में अनु.जाति/अनु.जनजाति कर्मियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है।

स्थिति	कुल श्रमशक्ति	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.1.2002	526,398	124631	23.68	65562	12.45
1.1.2003	507,509	118,392	23.33	62233	12.26

23. औद्योगिक संबंध एवं प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में औद्योगिक संबंध मधुर रहा। संयुक्त सलाहकार समिति तथा विभिन्न द्विपक्षीय समितियाँ, इकाई स्तर, क्षेत्र तथा अनुषंगी मुख्यालय स्तर पर सामान्य रूप से कार्य कर रही है। सीआईएल में स्टैण्डर्डीजेशन समिति तथा अपेक्स जेसीसी की बैठकें नियमित अन्तराल में आयोजित की जाती हैं।

हड़ताल तथा बन्द

प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान गत वर्ष की तुलना में हड़तालों की संख्या में कमी का रूझान था। हड़तालों एवं श्रम दिवसों की हानि, उत्पादन हानि तथा घटनाओं का कंपनीवार विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत है :

कंपनी	हड़ताल/बन्द की संख्या		अन्य घटनाओं की संख्या		श्रम दिवसों की हानि		उत्पादन हानि (टनों में)	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
ईसीएल	2	6	46	43	235441	81439	266719	86809
वीसीसीएल	7	5	16	28	117608	49753	223648	71102
सीसीएल	2	1	38	26	124393	49256	301860	70022
डब्ल्यूसीएल	2	2	07	13	90317	67606	280370	162485
एसईसीएल	3	1	0	0	117567	43827	230323	101952
एनसीएल	1	3	20	13	16354	10627	26700	138013
एमसीएल	2	1	05	18	38227	10323	370754	104054
एनईसी	2	0	0	0	6,329	0	461	0
सोएनपीडीआई	1	1	0	0	2447	1094	872*	284*
सीआईएल	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	22	20	132	141	748683	313925	1700835	734437
							+ 872*	+284*

अन्य घटनाओं में कार्य में अवरोध के लिए गो-स्तो, घेराव/भारपीट/प्रदर्शन/बा-ने शामिल हैं।

* मीटरेंज

24.1 कर्मचारी कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजना

प्रबंधन ने कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु कल्याणकारी कार्यकलापों पर विशेष ध्यान दिया। आवास, जल वितरण, चिकित्सा सेवा इत्यादि मूल सुविधायें कर्मचारियों को दी जाती रही। कोयला कंपनियों के आस-पास चल रही कुछ शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान सहायता तथा आधारित संरचना दी गई जो कल्याण और सामुदायिक विकास कार्य-कलापों का एक भाग है। नीचे दी गई तालिका कर्मियों को प्रदत्त मूलभूत सुविधाओं को दर्शाती है :

क्रम संख्या	विषय	राष्ट्रीयकरण के समय उपलब्ध	2002-03 के दौरान अतिरिक्त	31.03.2003 की स्थिति	सर्वांगीण संतुष्टि
1	गृह	1,18,366	815	4,08,184	81.40%
2	जलापूर्ति (जनसंख्या कवर्ड)	2,27,300	3,255	23,22413	—
3	कोयला क्षेत्र में तथा आस-पास संचालित शैक्षणिक संस्थाएँ जो अनुदान सहायता तथा आर्थिक संरचना सुविधा प्रदत्त हैं	—	—	62	—
	(क) पूर्ण वित्त प्रदत्त परियोजना स्कूलों की संख्या (केवी, डीएवी एवं अन्य स्कूल)	—	—	16	—
	(ख) आर्थिक संरचना मात्र दिए गये परियोजना स्कूलों की संख्या	—	—	299	—
	(ग) आवर्तक अनुदान उपलब्ध कराये गये निजी प्रबंधकीय स्कूलों की संख्या	—	—	187	—
	(घ) अनुदान/यदाकदा सहायता दिए गये अन्य शैक्षणिक संस्थान	—	—	—	—
4	चिकित्सा सुविधाएँ	—	—	—	—
	(क) एम्बुलेंस	42	6	667	—
	(ख) अस्पताल	49	—	87	—
	(ग) अस्पताल शैया	1,482	—	5,979	—
	(घ) डिस्पेंसरी	197	—	436	—

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को देशी पद्धति की चिकित्सा सुविधा देने के लिए 15 आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी कोल इण्डिया की अनुषंगियों द्वारा चलाये जा रहे हैं। राम कृष्ण मिशन टी.बी. सेनेटोरियम, राँची में टी.बी. के मरीजों के उपचार हेतु 50 बिस्तर आरक्षित किये गये हैं।

24.2 वृक्षारोपण एवं वानिकीकरण

अच्छा पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए अपने वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों ने वर्ष 2002-2003 के दौरान कोयला क्षेत्रों में 30.86 लाख वृक्षारोपण किया है।

25. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

कोल इण्डिया लिमिटेड, राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित कराने में सतत् प्रयासरत है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, इस दिशा में अनेक कदम उठाये गये जो इस प्रकार हैं :

(i) मई 2002 में एक उच्च स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें सीआईएल के अध्यक्ष, निदेशक (का. एवं औ.सं.) तथा अन्य वरीय अधिकारियों के साथ कोयला मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को उनके विचार एवं अनुभव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(ii) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नयी दिल्ली तथा कोलकाता के सहयोग से दिनांक 9.9.02 से एक पाँच दिवसीय सघन अनुवाद पाठ्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 32 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

(iii) दिनांक 14.09.2002 से दिनांक 29.09.2002 तक "राजभाषा पक्ष" आयोजित किया गया। हिन्दी भाषी तथा अहिन्दी भाषी कर्मियों के लिए अलग-अलग हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद तथा अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई।

(iv) दिनांक 17.09.2002 को हिन्दी साफ्टवेयर पर एक दिवसीय कम्प्यूटर संचालन प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 25 कर्मियों को नामांकन किया गया था।

(v) लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरन्तर समीक्षा एवं निर्धारित जाँच विन्दुओं को कारगर बनाने के लिए दिनांक 31.10.2002 को सभी अनुषंगी कंपनियों के निदेशक (कार्मिक) तथा राजभाषा प्रमुख की एक पूर्ण दिवसीय उच्च स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई।



एमसीएल, केन्द्रीय अस्पताल, तालचेर का आपरेशन कक्ष

- (vi) राजभाषा संवर्ग में समुचित स्टाफ सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से 20 निजी सचिवों को विभिन्न कंपनियों में प्रोन्नत तथा पदस्थ किया गया। सचिवालनीय कर्मियों की संवर्ग योजना को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है।
- (vii) हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत गहन हिन्दी प्रशिक्षण के लिए 43 कर्मियों को मनोनित किया गया था। केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में सीआईएल से लगभग 45 अधिकारियों/कर्मचारियों को मनोनीत किया गया था।
- (viii) हिन्दी में अधिकतम कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है जो विभागीय स्तर पर हिन्दी के कार्यान्वयन की दिशा में जांच बिन्दु के रूप में काम करते हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के पूर्णतः पालन के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास किये जा रहे हैं और इसका अनुपालन कोल इंडिया लिमिटेड के साथ साथ अनुषंगी प्रतिष्ठानों द्वारा किया जा रहा है।

लोक उद्यम की पत्रिकाओं में कोल इण्डिया लिमिटेड की हिन्दी पत्रिका “खनन भारती” को कोलकाता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा द्वितीय पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय अकादमी, रूपाम्बरा, कोलकाता ने मैसूर में आयोजित अपने राष्ट्रीय कन्वेंशन में सीआईएल को “सहस्राब्दी राष्ट्रीय राजभाषा शील्ड” प्रदान किया है।

26. सतर्कता

26.1 सतर्कता विभाग की संरचना

सीआईएल का सतर्कता विभाग एक वरिय आईएएस (भाप्रसे) अधिकारी की अध्यक्षता में काम करता है जिसे मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदनाम दिया गया है। इस विभाग में एम-2 स्तर के 2 पदाधिकारियों को मिलाकर 14 पदाधिकारियों तथा 19 गैर पदाधिकारियों की पदस्थापना से मुख्य सतर्कता अधिकारी को सहायता मिलती है।

सीआईएल की इस संरचना के अतिरिक्त सीआईएल की सभी आठों अनुषंगी कंपनियों में भी पृथक सतर्कता विभाग है



एसईसीएल, पुनर्वास गाँव में एक कन्या विद्यालय

जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थ मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। सीआईएल की सतर्कता गतिविधियों की देखभाल करने के अलावा, सीआईएल का सतर्कता विभाग अनुषंगियों की निगरानी शाखाओं की गतिविधियों का भी समन्वय करता है। यह विभाग, विभागीय जाँचों द्वारा नियमित तथा आकस्मिक निरीक्षणों के अलावा प्राप्त शिकायतों तथा सामने आये मामलों के विरुद्ध जाँच पड़ताल भी समाविष्ट करता है। कोयला मंत्रालय एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सूचना, आंकड़ा इत्यादि देने के लिए यह विभाग एक नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करता है। सीबीओ तथा अन्य एन्टी करप्शन एजेंसियों के साथ संपर्क करना भी सीआईएल के सतर्कता विभाग की गतिविधियों का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, यह कोल इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष तथा अनुषंगी कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों को आवश्यकतानुसार सतर्कता पक्षों पर सलाह देता है। यह विभाग अनुषंगी कंपनियों को सतर्कता मूलक जांचों तथा अन्य संबंधित गतिविधियों में परामर्श एवं मार्गदर्शन भी देता है।

26.2 विशिष्ट गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

वर्ष 2002-2003 के दौरान, सीआईएल के सतर्कता विभाग द्वारा निवारक मूलक (प्रीवेंटीव) सतर्कता पर अधिक महत्व दिया गया है। इस विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यक्षेत्रों में आकस्मिक जांच के लिए विशेषरूप से उन संवेदनशील के लिए यहाँ अनियमिततायें पायी जाती है, साथ ही साथ अभ्यासों एवं प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने के लिए अनुषंगियों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। विगत वर्ष में प्रचलित प्रक्रिया के लिए किए गये उपाय, सीआईएल के साथ ही साथ अनुषंगी कंपनियों के संवेदनशील पद वाले अधिकारी रोटेशन में स्थानान्तरित किए जा रहे हैं। सीबीआई के परामर्श से और संवेदनशील पदों से स्थानान्तरण के लिए अनुरक्षित ऐसे संदिग्ध आचरण वाले अधिकारियों को नियमित आधार पर चिन्हित किया जा रहा है जिसे सतर्कता विभाग द्वारा सघन मानीटर किया जाता है। सतर्कता विभाग द्वारा सीआईएल की कोयला उत्पादक अनुषंगियों की विभिन्न खानों में उत्पादन से अधिक रिपोर्टिंग तथा कोयला स्टॉक की कमी पर नियंत्रण रखने के लिए कोल स्टॉक का मापन किया जा रहा है।

सीआईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी सभी अनुषंगी कंपनियों के लंबित मामलों, जांच के लिए उपयुक्त दण्डात्मक प्रक्रियाओं आदि की प्रत्येक माह समीक्षा करते हैं। साथ ही प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाई करते हैं।

सीआईएल के सतर्कता विभाग ने निरोधक सतर्कता के पक्ष को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं एवं ढाँचागत मार्गदर्शी रूपरेखा का आयोजन भी किया है।

विद्यमान प्रणाली की समीक्षा के लिए वर्तमान में “नोट प्रपत्र की टेंडरिंग प्रक्रिया तथा टेंडर अवार्ड” करने के लिए मानकीकरण पर एक समिति कार्य कर रही है।

26.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह, 2002-2003

इस वर्ष सीआईएल के साथ ही साथ अनुषंगी कंपनियों में भी 31 अक्टूबर -2002 से 6 नवम्बर-2002 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सीआईएल के सतर्कता विभाग द्वारा “समाज में भ्रष्टाचार तथा उसका प्रभाव” विषय पर समाज के विभिन्न पेशा के श्रेष्ठतम व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों जैसे - पत्रकारों, उपन्यासकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य को सार्वजनिक व्याख्यान में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया।

इस अवसर पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था।

26.3 दण्डात्मक सतर्कता के आँकड़े

		मामलों की संख्या		
		सीआईएल (मुख्यालय) सतर्कता विभाग	अनुषंगी कंपनियों के सतर्कता विभाग	कुल
(i)	जाँच पूर्ण किये गये (गत वर्ष की शिकायतों को शामिल करते हुए)	10	290	300
(ii)	जाँच के पश्चात कार्रवाई की अनुशासना : अधियोग	0	10	10
	बड़ी दण्डात्मक कार्रवाई	1	110	111
	छोटी दण्डात्मक कार्रवाई	4	76	80
	प्रशासनिक कार्रवाई	0	60	60
(iii)	विभागीय प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त आईए रिपोर्ट			
(क)	बड़े दण्डात्मक मामले (गत वर्ष के मामले सहित)	0	111	111
(ख)	छोटे दण्डात्मक मामले	3	74	77
(iv)	दिये गये दण्ड :			
	बड़े दण्ड का आरोपण	0	49	49
	छोटे दण्ड का आरोपण	3	43	46
	प्रशासनिक कार्रवाई	0	5	5

27. कर्मचारियों का विवरण

1975 में यथा संशोधित कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) कानून के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत वर्ष 2002-03 में किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सीमा से अधिक के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ।

28. लेखा परीक्षा समिति

सीआईएल में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाना कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार अनिवार्य नहीं है, जब से सीआईएल एक निजी कंपनी है लेकिन कारपोरेट संचालन में उत्कृष्टता को देखते हुए सीआईएल के निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए की दिशा के साथ वर्ष 2002-03 में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- (i) संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
- (ii) अनुषंगियों के दो अप्रनि जो सीआईएल बोर्ड के सदस्य हैं।
- (iii) निदेशक (तकनीकी), सीआईएल
डा. एस बेहुरिया, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं।

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय सहित संगठन के सभी वाणिज्यिक पहलुओं के साथ साथ अन्य बातें भी शामिल हैं:

- (i) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत वित्तीय विवरण की समीक्षा।
- (ii) आंतरिक नियंत्रण पद्धति की समयबद्ध समीक्षा।
- (iii) सरकारी लेखा परीक्षा तथा वैधानिक लेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा।
- (iv) संचालनात्मक निष्पादन की तुलना में उन अनुषंगियों सहित मानक पारामीटर की समीक्षा जिसमें अनुषंगियाँ शामिल हैं।
- (v) परियोजनाओं तथा अन्य कैपिटल योजनाओं की समीक्षा, जिसमें अनुषंगियाँ शामिल हैं।
- (vi) आतिरिक्त लेखा परीक्षा का परिणाम/अवलोकन की समीक्षा, जिसमें अनुषंगियाँ शामिल हैं।

(vii) कोल इण्डिया लिमिटेड के अनुरूप तथा प्रभावकारी आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य का विकास जिसमें अनुषंगियाँ शामिल हैं।

(viii) बोर्ड द्वारा विचारार्थ मुद्दों सहित किसी मामले का विशेष अध्ययन/अन्वेषण

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं को सीआईएल के कंपनी सचिव देखेंगे। सीआईएल के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सीआईएल के कंपनी सचिव को सहयोग करेंगे।

वर्ष 2002-03 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 4 बैठकें हुईं।

29. निदेशक मण्डल

आलोच्य वर्ष के दौरान श्री एन.के. शर्मा अध्यक्ष, श्री सी. एच. खिस्ती, निदेशक (का. एवं औ.सं.) तथा श्री शशि कुमार निदेशक (विष्पणन) बोर्ड में बने रहे। श्री ए. चटर्जी, निदेशक (वित्त) दिनांक 31.08.2002 तक बोर्ड में थे तथा श्री डी.के. वर्मा, निदेशक (वित्त) तथा श्री अब्दुल कलाम, निदेशक (तकनीकी) क्रमशः दिनांक 1.9.2002 तथा दिनांक 23.1.2003 से निदेशक मण्डल में शामिल किए गये।

श्री सी.डी. आढ़ा, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, डा. एस. बेहुरिया, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार कोयला मंत्रालय कंपनी के अंशकालीन निदेशक के रूप में बने हुए हैं। श्री के. के. सेनगुप्ता, अतिरिक्त सदस्य (यातायात), रेलवे बोर्ड दिनांक 16.07.2002 से कंपनी के अंशकालीन निदेशक मण्डल में शामिल किये गये।

श्री अशोक मेहता, अप्रनि, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (18.7.2001 से 18.7.2002 तक) तथा श्री जी.के. झा. अप्रनि, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (दिनांक 18.7.2001 से 31.5.2002 तक) निदेशक मण्डल में थे जबकि श्री बी.एन. पान, अप्रनि. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा श्री आर. के. चेचानी अप्रनि., महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड क्रमशः दिनांक 19.7.2002 तथा दिनांक 2.7.2002 से निदेशक मण्डल में शामिल किए गये।

आपके निदेशक बोर्ड के पूर्णकाली निदेशक के रूप में श्री ए. चटर्जी तथा अंशकालीन निदेशक के रूप में श्री जी.के. झा एवं अशोक मेहता का उनके कार्यकाल के दौरान दिए गये



2002-2003

मूल्यवान मार्गदर्शन एवं सेवाओं के लिए अभिलेख के आधार पर अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं।

कंपनी के अन्तर्नियम की धारा 33(डी) (iii) के अनुसार अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर सभी निदेशक आगामी वार्षिक बैठक के समक्ष निवृत्त हो जायेंगे तथा वे पुनः नियुक्ति के योग्य हैं।

वर्ष 2002-2003 के दौरान निदेशक परिषद की 6 (छः) बैठकें सम्पन्न हुईं।

30. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अनुसार अनुसूची एम. के भाग-ए की अर्थपूर्ण लेखीय नीति तथा अनुसूची-एम के भाग-बी पर लेखा टिप्पणी में बनाये गये लेखाओं के साथ पढ़ा जाय, से इस बात की पुष्टि होती है कि :

- (i) वार्षिक लेखा को तैयार करने में लागू लेखीय मानकों का पालन किया गया है तथा इससे अनुष्ठानों को कोई सामग्री प्रेषित नहीं की गई है।
- (ii) ऐसी लेखीय नीतियों का चयन किया गया तथा निर्णयों एवं आकलनों के माध्यम से समानुरूप लागू किया गया है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी की परिस्थितियों का सत्य एवं निष्पक्ष अवलोकन करते हुए कंपनी की उस अवधि के लाभ व हानि को यथोचित तथा विवेकपूर्ण माना जा सके।
- (iii) कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी का पता लगाने तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित तथा यथेष्ट सावधानियाँ अपनाई गई हैं। और
- (iv) प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया गया है।

31. अनुषंगियों का लेखा

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसार जरूरतों के अनुपालन में अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2002-

2003 की लेखा की प्रतिलिपि के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा कंपनी का लेखा खण्ड-II के रूप में संलग्न है।

32. बी.आई.एफ. आर. की स्थिति

31.1 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)

रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम (एसआईसीए) 1985 की धारा 3(1)(0) के अनुसरण में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने आदेश संख्या -501/2000 दिनांक 27 फरवरी, 2001 के द्वारा कंपनी को एक रुग्ण कंपनी घोषित किया है तथा भारतीय स्टेट बैंक को एसआईसीए की धारा 18 के अंतर्गत पुनर्स्थापन योजना बनाने के लिए आपरेटिंग एजेंसी नियुक्त किया है। जून, 2002 के दौरान आपरेटिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त सलाहकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात ईसीएल के लिए पुनर्स्थापन योजना तैयार की गई है।

योजना पर विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया गया किन्तु पुनर्स्थापन योजना पर कोई सर्वसम्मति नहीं प्राप्त हुई। फिर भी भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार तथा कोल इण्डिया लिमिटेड से विभिन्न सहायता के लिए कमेंट्स प्राप्त हुए तथा उनसे मिलने वाली छूट के लिए कोशिश की गई।

7 जुलाई, 2003 को बीआईएफआर की अंतिम सुनवाई के दौरान बीआईएफआर ने निर्देश दिया :

- (i) कंपनी के पुनरुद्धार हेतु भारत सरकार मदद की मात्रा और रियायत तथा निधि प्रयोज्यता के संबंध में निर्णय लेगी और 90 दिनों के अन्दर किन्तु 7.10.2003 के बाद नहीं, आपरेटिंग एजेंसी को सूचित करेगी।
- (ii) कंपनी श्रम संघों के साथ खान बन्द करने और वाह्य स्त्रोतों के विषय में वार्ता करेगी और उसे आपरेटिंग एजेंसी को 90 दिनों के अन्दर पूर्णतया बँधा हुआ पुनर्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। कंपनी को यह अन्तिम अवसर दिया जा रहा है।
- (iii) भारतीय स्टेट बैंक (ऑपरेटिंग एजेंसी) कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का परीक्षण अगले चार सप्ताह में करेगा और संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त के साथ अपनी यथास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (iv) यदि उक्त वर्णित अवधि के अंत तक व्यवहार्य योजना नहीं बनती है तो बोर्ड के पास इसके सिवा कोई विकल्प

नहीं बचेगा कि बिना कोई सुनवाई किए कंपनी को बन्द करने हेतु एससीएन जारी कर दें।

तदनुसार, 23 अगस्त 2003, को सभी को स्वीकार्य एवं संशोधित पुनर्वास योजना तैयार करने हेतु सभी पणधारियों को एक बैठक बुलाई गई। बहुत से श्रम संघ (सीआईटीयू, एटक एवं एचएमएस को छोड़कर) अस्थाई अवधि हेतु वाह्य स्रोत (आउट सोसिंग) पर सहमत थे किन्तु सभी श्रम संघ यह चाहते थे कि प्रबंधन के साथ प्रत्येक खदान पर वार्ता हो जिससे इस सम्भावना का पता लगाया जा सके कि कार्य के निलम्बन हेतु चिन्हित की गई खदानों में से क्या कोई खदान सीमान्त निवेश के साथ किफायती ढंग से चल सकती है। तदनुसार, बैठक में वार्ता की घोषणा 26 अगस्त, 2003 से 8 सितम्बर 2003 तक की गई। 9 सितम्बर, 2003 को पणधारियों की बैठक आयोजित की गई किन्तु सर्व सम्मति नहीं बन पाई।

32.2 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)

लेखा वर्ष 1999-2000 की समाप्ति के पश्चात कंपनी की शुद्ध सम्पत्ति 671.14 करोड़ रुपये नकारात्मक हो गई और बीआईएफआर में संदर्भित किए जाने के पश्चात बीसीसीएल को एक बार पुनः पंजीयन सं. 502/2001 के द्वारा रुग्ण कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया।

दिनांक 3.4.2002 को आहूत पहली सुनवाई में बीआईएफआर ने टाइम बार्ड और नान-मैटेनेबुल संदर्भ को समाप्त कर दिया। रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1985 की धारा-25 के तहत बीसीसीएल ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए एएआईएफआर को अपील सं. 92/2002 दिनांक 7.5.2002 दायर किया।

दिनांक 14.11.2002 को सम्पन्न सुनवाई में सभी तथ्यों एवं सामग्रियों पर विचार करने के बाद एएआईएफआर का निम्नलिखित निर्णय था:

“..... परिस्थितियों में सूचना देने में बिलंब के आधार पर संदर्भ को अस्वीकार कर बीआईएफआर न्याय संगत नहीं था। संदर्भ 14.10.2000 को दिया जाना उचित था जो कानून के अंतर्गत है। संदेहास्पद आदेश रद्द करने योग्य है। इस अपील को अनुमति दी जाती है, संदेहास्पद आदेश को रद्द किया जाता है और इस प्रकरण पर बीआईएफआर को कानून के अनुसार अग्रिम कार्रवाई करने हेतु वापस किया जाता है।

एएआईएफआर के दिनांक 14.11.2002 आज की तारीख तक उक्त निर्णय के अनुसार बीओएफआर से धारा -16 के तहत जांच की सुनवाई की सूचना प्राप्त होनी है।

32.3 सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)

वर्ष 2000-01 के लेखा विवरण के अनुसार 31.3.2001 को सीसीएल की शुद्ध सम्पत्ति नकारात्मक हो गई और सीसीएल रुग्ण औद्योगिक कंपनी हो गई। वर्ष 2001-02 को दौरान सीसीएल का शुद्ध घाटा 111.54 करोड़ रुपये हो गया। तथापि प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान सीसीएल ने 384.65 करोड़ रुपये शुद्ध मुनाफा अंकित कराया है और तदनुसार वर्ष 2002-03 के अंत तक इसकी शुद्ध सम्पत्ति सकारात्मक हो गई।

रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान (विशेष उपबन्ध) अधिनियम (सीसा) 1985 की धारा 15 के अनुसार वर्ष 2000-01 हेतु वार्षिक लेखा अंगीकरण के बाद वर्ष 2000-01 हेतु अंकेक्षित लेखा पर आधारित एक नया संदर्भ बनाया गया और बीआईएफआर इस प्रकरण को अपने पत्र सं. 3(सी-18) बी.सी./2001 दिनांक 10.01.2002 के द्वारा प्रकरण संख्या 502/02 के रूप में पंजीकृत किया। तदनुसार दिनांक 29.11.2002 को आहूत प्रथम सुनवाई के समय बीआईएफआर ने टाइम बार्ड के रूप में संदर्भ को अस्वीकार कर दिया। बीआईएफआर के निर्णय के खिलाफ एएआईएफआर (अपीलीय प्राधिकार) ने सीसीएल की अपील को अपील सं. 15/2003 के रूप में पंजीकृत कर लिया और सुनवाई 25.03.2003 को निश्चित की गई। निश्चित तारीख को सुनवाई प्रारंभ हुई। जैसाकि एएआईएफआर की इच्छा थी सुनवाई के दौरान उन्हें एक लिखित निवेदन प्रस्तुत किया गया। माननीय एएआईएफआर ने अगली सुनवाई 9 सितम्बर 2003 को निश्चित की जिसे अब 8 जनवरी, 2004 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

33. आभार

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल के सदस्य सभी स्तर के कर्मचारियों तथा श्रमिक संगठनों के उनके विशिष्ट योगदान के लिए हृदय से आभारी हैं। आपके निदेशकगण भारत के विभिन्न मंत्रालयों और विशेषकर कोयला मंत्रालय तथा राज्य सरकार से कम्पनी को प्राप्त सहयोग, समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिये कृतज्ञ हैं। आपके निदेशकगण, सांविधिक अंकेक्षक, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कम्पनी रजिस्टार, पश्चिम बंगाल तथा उपभोक्ताओं के प्रति भी उनके सहयोग एवं



2002-2003

मार्गदर्शन के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तथा उनसे प्राप्त संरक्षण के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं।

34. संलग्नक

निम्नलिखित संलग्नक हैं:

- (i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ एवं समीक्षा।
- (ii) दिनांक 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए

लेखाओं पर सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के विषय में दिये गये प्रत्युत्तर।

- (iii) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 212 (1) (ई) के अनुसरण में वक्तव्य।

निदेशक मण्डल की ओर से एवं वास्ते

लक्ष्मी चन्द्र

अध्यक्ष

कोलकाता

दिनांक : 25 सितम्बर, 2003



वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक लेखा
2002-2003



2002--2003

तुलन पत्र

31 मार्च, 2003 तक

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	(लाख रुपये में) विगत वर्ष
I. निधि के स्रोत			
(अ) अंशधारियों की निधि			
(क) शेयर पूँजी	क	722054.44	722054.44
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	ख	212514.12	198155.85
राष्ट्रीय मशीनीकरण निधि		8543.82	15092.83
(ब) ऋण निधि			
(क) सुरक्षित	ग	62550.88	53977.19
(ख) असुरक्षित	घ	273288.72	379628.22
		<u>335839.60</u>	<u>433597.41</u>
		1278951.98	1368900.53
II. निधि का प्रयोग			
(अ) स्थिर परिसंपत्तियाँ			
(क) स्थिर परिसंपत्तियाँ	च	34329.77	34790.70
मूल्य ह्रास को घटाकर		19673.43	18918.24
(ख) पूँजीगत कार्य प्रगति पर		14656.34	15872.46
(ग) सर्वे ऑफ परिसंपत्तियाँ		192.31	248.47
		13.03	13.91
(ब) निवेश			
	छ	722054.37	722054.48
(स) वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम सामग्री सूची			
विविध देनदार	ज	4190.44	3207.89
नकद एवं बैंकों में बचत राशि	झ	18.98	2.90
ऋण एवं अग्रिम	ट	13928.24	16029.01
	ठ	894375.78	894813.59
घटाकर : चालू देयतायें एवं प्रावधान	ड	912513.44	914053.39
		370891.96	283681.23
		541621.48	630372.16
(द) विविध खर्च (अभी तक बट्टे खाते में दर्ज अथवा समायोजित नहीं की गयी राशि की सीमा तक)			
	ढ	414.45	339.05
		<u>1278951.98</u>	<u>1368900.53</u>
अंकेक्षण नीति एवं उस पर की गई टिप्पणियाँ जो लेखा विवरण अंश का भाग हैं			
	त		

ह./-
(डा. एच. सरकार)
कंपनी सचिव

ह./-
(पी. के. दत्ता)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(डी. के. वर्मा)
निदेशक (वित्त)

ह./-
(लक्ष्मी चन्द)
अपर सचिव (कोयला)
एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

समतिथि को दिये गये हमारी संलग्न रपट के अनुसार
कृते एस. घोष एण्ड कंपनी
अंकेक्षक लेखाकार

ह./-
(ए. के. घोष)
(अंशधारक)
5 सितम्बर, 2003

दिनांक : 22 अगस्त, 2003
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	(लाख रुपये में) विगत वर्ष
आय			
विक्रय	1	8659.71	8151.90
अन्य उद्देश्य के लिए जारी कोयला	2	29.87	25.16
अन्य आय	3	65846.60	103982.83
स्टाक को अभिवृद्धि (+)/कमी (-)	4	1000.27	1380.85
		75536.45	113540.74
व्यय			
भण्डार एवं पुर्जों को खपत	5	635.01	614.50
अन्य कार्यों के लिए प्रति कान्ट्रा जारी किया गया कोयला	6	12.73	7.98
कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक एवं लाभ	7	10420.61	10163.75
सामाजिक दायित्व	8	1454.58	1399.47
विद्युत एवं ईंधन	9	719.21	945.77
मरम्मत	10	272.90	252.38
संविदात्मक व्यय	11	3903.28	3479.18
अन्यान्य व्यय	12	2427.31	2306.10
ब्याज	13	23055.43	33752.23
वित्तीय अधिभार	14	3061.00	2768.42
ह्रास		1490.42	1515.20
प्रावधान / बट्टे खाते में	15	44.82	126.41
		47497.30	57331.39
वर्ष के लिए लाभ		28039.15	56209.35
पूर्वावधि समायोजन	16	-30.60	-29.53
कर प्रदान से पूर्व लाभ		28008.55	56179.82
आयकर के लिए प्रावधान		3450.00	4500.00
कर प्रदान के बाद लाभ		24558.55	51679.82
बाण्ड क्षतिपूर्ति संस्करण से स्थानान्तरित राशि विगत वर्ष से लाभ		24357.05	0.27
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ (अग्रदर्शित)		48915.60	51680.09
विनियोग			
प्राधिकृत शेयर रिडेम्पशन रिजर्व		—	9676.00
विदेशी विनिमय मामलों के लिए संरक्षण		1557.01	3437.26
सामान्य संरक्षण मद में स्थानान्तरण		2455.85	5167.98
अधिमान शेयर पर प्रस्तावित लाभांश		9041.80	9041.80
लाभांश पर कर		1158.48	—
तुलन पत्र में अपेक्षित अधिशेष		34702.46	24357.05
महत्वपूर्ण अंकेक्षण नीतियों पर टिप्पणियाँ लेखाओं पर टिप्पणियाँ/लेखाओं के अंतर्निहित भाग के रूप में अनुसूचियाँ	एम		
ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(डा. एच. सरकार) कंपनी सचिव	(पी. के. दत्ता) मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	(डी. के. वर्मा) निदेशक (वित्त)	(लक्ष्मी चन्द) अपर सचिव (कोयला) एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

समतिथि को दिये गये हमारी संलग्न रपट के अनुसार

कृते एम. घोष एण्ड कंपनी

अंकेक्षक लेखाकार

ह./-

(ए. के. घोष)

(अंशधारक)

5 सितम्बर, 2003

दिनांक : 22 अगस्त, 2003

स्थान : कोलकाता



2002-2003

31 मार्च, 2003 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

अनुसूची - क

शेयर पूँजी	वर्तमान वर्ष	(लाख रुपये में) विगत वर्ष
प्राधिकृत		
(i) 9041800 असंचयी 10% रिडीमेबिल प्रिफरेंस शेयर जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1000 रुपये (गत वर्ष 9041800 नान-क्युमुलेटिव 10% रिडीमेबिल प्रिफरेंस शेयर जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1000 था)	90418.00	90418.00
(ii) 8,00,00,000 इक्विटी शेयर जो प्रत्येक 1000 रुपये के थे (गत वर्ष 8,00,00,000 इक्विटी शेयर के प्रत्येक थे)	800000.00	800000.00
	<u>890418.00</u>	<u>890418.00</u>
निर्गत पूर्वक्रीत एवं प्रदत्त :		
(i) 10% के आधार पर रिडीमेबुल, 9041800 नान-क्युमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1000 रुपये था, को भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में विधिवत् परिवर्तित करने से पूर्णतः प्रदत्त (गत वर्ष रुपये प्रत्येक के 9041800 नान-क्युमुलेटिव 10% पर रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर थे) (वर्ष 2003-2004 में होने वाले लाभ में से विमोचित होंगे)	90418.00	90418.00
(ii) प्रत्येक वर्ष 1000/- रुपये का 6,05,94,305 इक्विटी शेयर का पूरा नगद भुगतान किया गया (विगत वर्ष 1000/- रुपये प्रत्येक 6,05,94,305 इक्विटी शेयर थे)	605943.05	605943.05
नगद प्राप्त को छोड़कर दूसरे रूप से पूर्ण प्रदत्त 1000/- रुपये प्रत्येक के 25,69,339 इक्विटी शेयर संपूर्ण रूप से भुगतानित किये गये (गत वर्ष 1000/- रुपये 25,69,339 इक्विटी शेयर थे)	25693.39	25693.39
	<u>722054.44</u>	<u>722054.44</u>

टिप्पणी : संपूर्ण पेड अप शेयर (भुगतानित शेयर) भारत सरकार द्वारा धारित है।

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ख

आरक्षित एवं आधिक्य			(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
(अ) आरक्षित				
(क) बाण्ड रिडेम्पशन संरक्षण :				
गत लेखा के अनुसार अधिशेष	6433.40		58303.40	
घटाकर : लाभ एवं हानि लेखा से राशि स्थानान्तरित	—		—	
घटाकर : स्थानान्तरित राशि से सामान्य संरक्षण	1689.00		49870.00	
	<u>4744.40</u>		<u>6433.40</u>	
(ख) अधिमानी शेयर रिडेम्पशन संरक्षण :				
गत लेखा के अनुसार अधिशेष	90418.00		80742.00	
जोड़ : लाभ एवं हानि लेखा से स्थानान्तरित राशि	—		9676.00	
	<u>90418.00</u>		<u>90418.00</u>	
(ग) विदेशी विनिमय के लिए संरक्षण :				
गत लेखा के अनुसार अधिशेष	6899.09		3461.83	
जोड़ : लाभ एवं हानि लेखा से स्थानान्तरित राशि	1557.01		3437.26	
	<u>8456.10</u>		<u>6899.09</u>	
(घ) सामान्य संरक्षण :				
गत लेखा के अनुसार अधिशेष	70048.31		15010.33	
जोड़ : बाण्ड उद्धार्य संरक्षण से स्थानान्तरित राशि	1689.00		49870.00	
जोड़ : लाभ एवं हानि लेखा से स्थानान्तरित राशि	2455.85		5167.98	
	<u>74193.16</u>		<u>70048.31</u>	
(ब) आधिक्य				
लाभ एवं हानि लेखा				
अधिशेष पूर्व अग्रसारित		<u>34702.46</u>		<u>24357.05</u>
कुल (अ + ब)		<u>212514.12</u>		<u>198155.85</u>



2002-2003

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ग

सुरक्षित ऋण

(लाख रुपये में)

वर्तमान वर्ष

विगत वर्ष

अनुसूचित बैंकों से ऋण :

(भण्डारों में पड़ी सामग्रियों एवं अतिरिक्त उपस्करों कोयला भण्डारों एवं कोक और ऋण खाते एवं सीआईएल और अनुबंधी कंपनियों के अन्य परिसंपत्तियों द्वारा संरक्षित)

(अनुसूची - त की टिप्पणी संख्या 8.1 देखें)

नगद ऋण	4172.15	3269.38
कार्यकारी पूँजी माँग ऋण	31130.00	30000.00
विदेशी मुद्रा नान रसीडेन्ट बोरोइंग्स	27143.15	20006.46
सुरक्षित बाण्ड (बिना दावे की)		
(एनसीएल, एसईसीएल एवं डब्ल्यूसीएल के संयंत्रों एवं मशीनरी द्वारा संरक्षित)		
सभी समान रूप से रिडीमेबुल:		
17% (कर योग्य) अपरिवर्तनीय (शीघ्रतम रिडेम्पशन फरवरी - 2002)	13.00	200.00
17% (कर योग्य) अपरिवर्तनीय (शीघ्रतम रिडेम्पशन फरवरी - 2002)	31.00	433.00
13% (कर योग्य) अपरिवर्तनीय (शीघ्रतम रिडेम्पशन फरवरी - 1998)	0.40	0.40
	44.40	633.40
डब्ल्यूसीडीएल पर प्राप्त व्याज तथा देय	61.18	67.95
	62550.88	53977.19

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - घ

असुरक्षित ऋण :	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
भारत सरकार से लंबी अवधि का ऋण	14336.30	81272.38
विश्व बैंक से (भारत सरकार द्वारा प्रतिभूति)		
जेबीआईसी	108540.78	101202.79
आईबीआरडी	115714.50	116492.29
असुरक्षित बाण्ड्स		
12.25% अपरिवर्तनीय (कर योग्य) (शीघ्रतम रिडेम्पशन दिसम्बर, 2002)	—	1100.00
12.25% अपरिवर्तनीय (कर योग्य) (शीघ्रतम रिडेम्पशन दिसम्बर, 2003)	1100.00	1100.00
12.25% अपरिवर्तनीय (कर योग्य) (शीघ्रतम रिडेम्पशन दिसम्बर, 2004)	1100.00	1100.00
12.25% अपरिवर्तनीय (कर योग्य) (शीघ्रतम रिडेम्पशन दिसम्बर, 2005)	1100.00	1100.00
12.25% अपरिवर्तनीय (कर योग्य) (शीघ्रतम रिडेम्पशन दिसम्बर, 2006)	1400.00	1400.00
	<u>4700.00</u>	<u>5800.00</u>
सार्वजनिक जमा :		
स्थिर	0.91	2.64
संचित	1.91	2.32
	<u>2.82</u>	<u>4.96</u>
वित्तीय संस्थानों से अल्प अवधि ऋण	20142.86	34078.57
बैंक से अल्प अवधि के ऋण	—	14500.00
सरकारी ऋण पर उपाजित ब्याज एवं देयतायें	9847.22	26263.15
सार्वजनिक जमा तथा बाण्ड पर उपाजित ब्याज एवं देयतायें	4.24	6.08
	<u>273288.72</u>	<u>379620.22</u>



2002-2003

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - च

(लाख रुपये में)

स्थिर परिसंपत्तियाँ

	लागत				मूल्य ह्रास				शुद्ध अवरूद्ध	
	01.04.02 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	2002-03 के दौरान समा./ विक्रय स्थानान्तरण	31.03.03 को पूर्ण	01.04.02 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	2002-03 के दौरान समा./विक्रय स्थानान्तरण	31.03.03 को पूर्ण	31.03.03 के अनुसार	31.03.02 के अनुसार
भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	542.80	7.87	-3.30	547.37	—	—	—	0.00	547.37	542.80
(ख) पट्टा	133.79	—	—	133.79	24.56	1.32	—	25.88	107.91	109.23
भवन	6825.93	20.09	-10.01	6836.01	1547.37	137.06	-10.01	1674.42	5161.59	5278.56
संयंत्र एवं यंत्र	18570.49	185.57	-774.79	17981.27	11841.17	979.98	-775.15	12046.00	5935.27	6729.32
फर्नीचर एवं फिटिंग्स/कार्यालयी										
उपस्कर	1520.92	29.49	-0.04	1550.37	1100.05	57.19	-3.54	1153.70	396.67	420.87
रेलवे साइडिंग	771.25	—	—	771.25	399.50	36.63	—	436.13	335.12	371.75
वाहन	365.51	5.04	-9.09	361.46	274.71	16.87	-8.93	282.60	78.86	90.80
विमान	1665.38	—	—	1665.38	975.17	139.69	—	1114.86	550.52	690.21
दूरसंचार	423.86	72.92	—	496.78	363.63	14.51	—	378.14	118.84	60.23
विकास	3151.64	15.32	—	3166.96	1939.50	127.59	—	2067.09	1099.87	1212.14
सर्वेक्षण एवं वेधन	819.13	—	—	819.13	452.58	42.03	—	494.61	324.52	366.55
	34790.70	336.30	-797.23	34329.77	18918.24	1552.87	-797.68	19673.43	14656.34	15872.46
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	342.46	—	-38.51	303.95	—	—	—	—	303.95	342.46
घटाकर : प्रावधान	-93.99	—	-17.65	-111.64	—	—	—	—	-111.64	-93.99
सी. डब्ल्यू. आई. पी.	248.47	0.00	-56.16	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	192.31	248.42
सर्वे ऑफ परिसंपत्तियाँ (पी एण्ड एम)									13.03	13.91
विगत वर्ष										
स्थिर परिसंपत्तियाँ	34530.87	314.17	-54.34	34790.70	17338.19	1573.43	6.62	18918.24	15872.46	17192.68
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	338.83	55.97	-146.33	248.47	—	—	—	—	248.47	338.83
सर्वे ऑफ परिसंपत्तियाँ (पी एण्ड एम)									13.91	16.31

मूल्य ह्रास का आवंटन

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
लाभ एवं हानि लेखा	1490.42	1515.20
सामाजिक ऊपरी खर्च	54.52	54.30
विद्युत एवं ईंधन	5.25	5.25
पूर्वकालीन समायोजन	-3.55	17.17
स्थानान्तरित खातों में/बाहर	-8.35	-9.75
100% ह्रास परिसंपत्तियों के लिए समायोजन (नीति 7.5)	-784.14	—
अन्य समायोजन (सर्वे आफ परिसंपत्तियाँ शामिल)	-1.04	-2.12

कुल

755.19

1580.05

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - छ

निवेश (अनुद्धरित)	वर्तमान वर्ष	(लाख रुपये में) विगत वर्ष
I. अनुषंगी प्रतिष्ठानों के पूर्ण भुगतान किये गये प्रिफरेंशियल शेयर (व्यय पर मूल्यांकित) (ऋण रूपान्तरण के रूप में प्रदत्त)		
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रत्येक 1000/- रु. के 2041800 संचित 10 % रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 2041800 संचित 10 % रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर)	20418.00	20418.00
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रत्येक 1000/- रु. के 4000000 संचित 10 % रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 4000000 के संचित 10 % रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर)	40000.00	40000.00
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्रत्येक 1000/- रु. के 3000000 संचित 10 % रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 3000000 के संचित 10 % रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर)	30000.00	30000.00
II. अनुषंगी कंपनियों के पूर्णतः भुगतान किये गये इक्विटी शेयर के रूप में (व्यय पर मूल्यांकित)		
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1000/- रु. के प्रत्येक 22184500 पूर्णतः भुगतान किये गये इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 22184500 इक्विटी शेयर)	221845.00	221845.00
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 1000/- रु. के प्रत्येक 21180000 पूर्णतः भुगतान किये गये इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 22180000 इक्विटी शेयर)	211800.00	211800.00
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1000/- रु. के प्रत्येक 94,00,000 पूर्णतः भुगतान किये गये इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 94,00,000 इक्विटी शेयर)	94000.00	94000.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1000/- रु. के प्रत्येक 2971000 पूर्णतः भुगतान किये गये इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 2971000 इक्विटी शेयर)	29710.00	29710.00
सी.एम.पी.डी.आई.एल. में 1000/- रु. के प्रत्येक 1,90,400 पूर्णतः भुगतान किये गये इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 1,90,400 इक्विटी शेयर)	1904.00	1904.00
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1000/- रु. के प्रत्येक 18,64,009 पूर्णतः भुगतान किये गये इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 18,64,009 इक्विटी शेयर)	18640.09	18640.09
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1000/- रु. के प्रत्येक 17,76,728 पूर्णतः भुगतान किये गये इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 17,76,728 इक्विटी शेयर)	17767.28	17767.28
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1000/- रु. के प्रत्येक 35,97,000 पूर्णतः भुगतान किये गये इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 35,97,000 इक्विटी शेयर)	35970.00	35970.00
III. अन्य कंपनियों के पूर्णतः भुगतान किये गये इक्विटी शेयर :		
मैनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलॉजी एप्लीकेशन (इण्डिया) लिमिटेड में प्रत्येक 10 रु. के 16,334 पूर्णतः भुगतान प्राप्त इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 10/- प्रत्येक के 16,334 इक्विटी शेयर) (व्यय पर मूल्यांकित)	1.63	1.63
घटाकर : मूल्य में हास हेतु प्रावधान	1.52	1.52
घटाकर : समाप्ति पर प्राप्त राशि	0.11	—
	<hr/>	<hr/>
	722054.37	722054.48



2002-2003

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ज

सामग्री सूची

वर्तमान वर्ष

(लाख रुपये में)

विगत वर्ष

(जैसा कि प्रबंधन द्वारा आकलित एवं प्रमाणित की गई है)

भण्डारों में पड़ी सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जे (लागत पर)	335.74		389.57	
घटाकर : धीमी गति या पूर्ण स्थायित्व प्राप्त/अभाव के प्रावधान के साथ	135.75		171.86	
		199.99		217.71
कोयले का भण्डार (न्यूनतम मूल्य या बाजार भाव के आधार पर मूल्यांकित)	4761.79		4683.14	
कोक (न्यूनतम मूल्य या बाजार भाव के आधार पर मूल्यांकित)	0.75		0.75	
	4762.54		4683.89	
घटाकर : प्रावधान	772.09		1693.71	
		3990.45		2990.18
		4190.44		3207.89

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
कोल इण्डिया लिमिटेड
मार्गारिता : असम

एनईसी के कोयला भण्डार (समग्र) के विषय में 31.03.2003 के अनुसार विवरण

मात्रा '000 टन में
मूल्य लाख रुपये में

विवरण	समग्र भण्डार		अविक्रय योग्य		विक्रय योग्य भण्डार	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
(अ) बुक स्टॉक का समायोजन एवं स्टॉक का मापन						
1. 01.04.02 के अनुसार ओपनिंग भण्डार (लेखाओं के अनुसार)	480.31	4619.26			480.31	4619.26
2. वर्ष के दौरान उत्पादन जोड़कर स्थानान्तरण को जोड़कर	633.00	8452.11			633.00	8452.11
	0.00	0.00			0.00	0.00
3. उप योग (1+2)	1113.31	13071.37			1113.31	13071.37
4. वर्ष के दौरान प्रेषण घटाकर						
(अ) (i) बाहरी प्रेषण	639.78	8343.58			639.78	8343.58
(ii) बाहरी स्थानान्तरण	0.00	0.00			0.00	0.00
(आ) धुलाई हेतु आंतरिक खपत	3.84	29.88			3.84	29.88
(इ) बॉयलर एवं घरेलु कोयला के लिए खपत						
कुल (4)	643.62	8373.46			643.62	8373.46
5. व्युत्पन्न भण्डार (3-4)	469.69	4697.91			469.69	4697.91
6. परिमाणित भण्डार	457.33	4574.28			457.33	4574.28
7. अन्तर (5-6)	12.36	123.63			12.36	123.63
8. अन्तर का विभाजन						
(क) 5 % के भीतर अतिरिक्त						
(ख) 5 % के भीतर कमी	12.36	123.63			12.36	123.63
(ग) 5 % से अधिक अति						
(घ) 5 % से अधिक कमी						
9. अन्तःशेष भण्डार का लेखानुसार निर्धारण (6+8क+8ख)	469.69	4697.91			469.69	4697.91
(आ) अन्तःशेष भण्डार का लेखा के अनुसार समायोजन					469.69	4697.91
घटाकर : लेखा में कुल अधिक 5 % से अधिक कमी को जोड़ा गया है किन्तु लंबित राईट ऑफ करने के खाते से समायोजन नहीं किया गया है					—	—
घटाकर : मिश्रित भण्डार के साथ अविक्रय योग्य भण्डार एवं भण्डार जिसमें समतुल्य मूल्य के प्रावधान किये गये हैं परन्तु लेखा के साथ ब्लाक भण्डार में परिमाण समायोजित नहीं है					—	—
घटाकर : पिट हेड भण्डार के रिहेंडलिंग हेतु अधिभार					—	—
घटाकर : कोयला भण्डार के भविष्य में होनेवाले हास की देख-रेख को ध्यान में रख कर बनाया गया प्रावधान					—	707.46
सभी प्रावधानों के बाद लेखा के अनुसार भण्डार					469.69	3990.45



2002--2003

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - झ

विविध देनदार (असुरक्षित)	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
छ: महीने से अधिक अवधि से बकाया पड़े ऋण	1074.82	1074.67
अन्यान्य ऋण	18.00	0.59
	<u>1092.82</u>	<u>1075.26</u>
घटाकर : प्रावधान	1073.84	1072.36
	<u>18.98</u>	<u>2.90</u>
वर्गीकरण :		
जिन्हें उचित पाया गया	18.98	2.90
जिनकी स्थिति संदिग्ध है	1073.84	1072.36

किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि

शेष बचत

	किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि		शेष बचत	
	चालू वर्ष के दौरान	विगत वर्ष के दौरान	चालू वर्ष के दौरान	विगत वर्ष के दौरान
एक ही प्रबंधन के अधीनस्थ कंपनियों के पास बकाया राशि, कंपनियों के नाम सहित	—	—	—	—
उन पक्षों के पास बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक रूचि रखते हैं	—	—	—	—

अनुसूची - ट

नकद एवं बैंक में जमा राशि	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
नकद, चेक, ड्राफ्ट, स्टाम्प आदि जो हाथ में हैं	3.89	5.15
आवागमन के भुगतानादि	3.58	566.65
अनुसूचित बैंकों के चालू खातों में	13891.32	15429.84
अनुसूचित बैंकों के जमा खातों में	26.15	24.16
पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक खातों के साथ	3.30	3.21
	<u>13928.24</u>	<u>16029.01</u>

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ठ

ऋण एवं अग्रिम	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित) (नगद या सामग्री रूप में अग्रिम प्राप्तियों या प्राप्त होने वाले मूल्य)		
संभरकों को अग्रिम		
पूँजीगत	1774.28	1781.54
अन्यान्य के लिए	185.14	191.11
	<u>1959.42</u>	<u>1972.65</u>
कर्मचारियों को अग्रिम		
भवन निर्माण के लिए (सुरक्षित)	320.94	346.52
मोटर कार एवं वाहनों के लिए (अग्रिम)	20.45	26.80
अन्यान्य के लिए	96.85	83.96
	<u>438.24</u>	<u>457.28</u>
जमा राशियाँ		
सीमा शुल्क एवं पत्तन प्रभार	97.29	113.83
अन्य जमा राशियों के लिए	179.63	182.26
	<u>276.92</u>	<u>296.09</u>
कारपोरेट प्रतिष्ठानों से अल्पावधि ऋण	150.00	150.00
अन्य प्राप्तियाँ	49575.59	88115.90
अन्य अग्रिम	306.47	275.91
ईसीएल की अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग	1310.92	360.06
भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि		
पूर्व कोल बोर्ड के एवज में लेन-देन के लिए	65.78	53.51
प्राप्तव्य दावे	362.53	362.36
पूर्व भुगतानित व्यय	33.00	25.02
टीडीएस/अग्रिम कर	9029.29	5355.35
अनुषंगियों के साथ इतिशेष		
ऋण खाते में	279879.40	293723.57
चालू खाते में	322969.95	282909.99
	<u>602849.35</u>	<u>576633.56</u>
अनुषंगियों के साथ इतिशेष (विश्व बैंक ऋण)		
ऋण खाते में	224255.29	217694.99
चालू खाते में	4500.37	3783.87
	<u>228255.66</u>	<u>221478.86</u>
	<u>895113.17</u>	<u>895536.55</u>
घटाकर : प्रावधान	737.39	722.96
	<u>894375.78</u>	<u>894813.59</u>
वर्गीकरण		
जिन्हें उचित पाया गया	894375.78	894813.59
जिनकी स्थिति संदिग्ध है	737.39	722.96



2002-2003

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ठ (जारी...)

(लाख रुपये में)

अनुषंगी कंपनियों से बकाया राशि

	वर्ष के दौरान किसी समय अधिकतम देय राशि		समापन अधिशेष	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	210026.96	174869.03	205160.77	174869.03
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	253968.50	216720.15	253968.50	216720.15
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	186507.17	172231.54	142873.30	172231.54
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	32561.99	49548.60	21879.18	28692.51
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	91133.71	103056.65	-85971.22	-46906.98
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	59153.20	78894.47	55475.83	58463.30
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	10361.00	19382.06	-83123.29	-32309.24
सेंट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड	17210.57	12203.91	8987.49	6096.84
	860923.10	826906.41	519250.56	577857.15

टिप्पणी : गृह निर्माण और कार/स्कूटर अग्रिम राशि जो 341.39 लाख (गत वर्ष 373.32 लाख) है, जिसे ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित) में सम्मिलित किया गया है, वह वास्तव में पुर्ण प्राप्ति योग्य है और वे संबंधित परिसम्पदा के समानान्तर प्रतिबंधन से सुरक्षित भी हैं।

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ड

वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	वर्तमान वर्ष		(लाख रुपये में) विगत वर्ष	
(क) वर्तमान देयताएँ				
विविध लेनदार				
पूँजी राजस्व भण्डार सहित कोयले के लिए	284.29 63.85		311.11 63.85	
उपभोक्ताओं से अग्रिम जमा		348.14 1986.05		374.96 612.32
अग्रिम जमा (राष्ट्रीयकरण से पूर्व)		892.68 20.85		1542.57 20.85
कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक एवं लाभादि				
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	542.49		426.71	
उपस्थिति बोनस	4.20		4.23	
अनुग्रह राशि	177.21		172.77	
भुगतान नहीं हुई वेतन, मजदूरी आदि	0.25		0.32	
उपादान	2937.21		2825.76	
अवकाश नगदीकरण	868.39		450.57	
		4529.75		3880.36
अन्य व्यय				
विद्युत एवं ईंधन	78.18		246.75	
संविदामूलक व्यय	904.21		852.99	
अन्यान्य	4067.55		3752.08	
		5049.94		4851.82
भारत सरकार का बकाया (पूर्व मालिकों के लेखाओं सहित)		149.90		149.90
उपार्जित व्यय जो ऋण पर देय नहीं है		14576.45		19521.42
विक्रय कर				
राज्य	15.35		18.82	
केन्द्र	52.08		54.26	
		67.43		73.08
कोयले पर रॉयल्टी एवं सेस		300.51		97.61
भविष्य निधि		111.14		316.27
पेंशन निधि		66.74		93.95
आय कर				
कर्मचारी	20.16		190.56	
ठीकेदारी	3.91		0.33	
अन्यान्य	2017.84		3340.42	
		2041.91		3531.31
व्यावसायिक कर		7.20		6.51
अनुषंगियों से अतिरेक निधि		303763.06		208258.06
अनुषंगियों के चालू खाते में शेष राशि		8591.39		11997.21
अग्रिम जमा अन्य सरकारी निधि		6635.00		6635.00
अन्य देयताएँ		1797.96		1693.72
(ख) प्रावधान				
आयकर के लिए प्रावधान		3002.81		4763.09
अन्य विविध प्रावधान				0.27
प्रस्तावित लाभांश		9041.80		9041.80
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश		1158.48		—
बकाया वेतन/मजदूरी हेतु प्रावधान		—		942.03
एनसीडब्ल्यूए - VII हेतु तदर्थ प्रावधान		1295.65		553.94
		365434.84		278958.05
आई आई सी एम में शेष चालू खाता		5457.12		4723.18
		370891.96		283681.23

टिप्पणी : कंपनी द्वारा किसी लघु उद्योग को दिये गए ऐसे ऋण की राशि व्याज सहित उक्त राशि में शामिल नहीं की गई है, जो 30 दिनों से अधिक समय से बकाया हो।



2002-2003

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ढ

मिश्रित खर्चें

(लाख रुपये में)

(जो अभी लिखित नहीं हैं या समायोजित नहीं किए गये हैं)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के खाते में अग्रसारित	414.45	339.05
	<u>414.45</u>	<u>339.05</u>

31 मार्च, 2002 को समाप्त लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

अनुसूची - 1

विक्रय	(लाख रुपये में)			
	उत्पाद		योग	
	कच्चा कोयला	साफ्ट कोयला	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
मात्रा (000 मि. टनों में)	639.80	—	639.80	620.31
कुल विक्रय मूल्य	9748.42	—	9748.42	8976.86
जोड़कर : सेवा अधिभार प्राप्त	316.13	—	316.13	299.33
(क)	10064.55	0.00	10064.55	9276.19
घटाकर : सांविधिक उगाही				
कोयले पर रॉयल्टी	994.55	—	994.55	748.04
स्टोविंग पर उत्पाद कर	22.40	—	22.40	21.71
विक्रय कर :				
केंद्रीय	268.94	—	268.94	227.80
राज्य	118.95	—	118.95	126.74
कुल उगाही (ख)	1404.84	0.00	1404.84	1124.29
शुद्ध मूल्य (क - ख)	8659.71	0.00	8659.71	8151.90

अनुसूची - 2

अन्य कार्यों के लिए जारी किया गया कोयला	(रुपये लाख में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
आन्तरिक खपत	15.42	15.50
कर्मचारियों को निःशुल्क आबंटन	1.72	1.68
अन्यान्य	12.73	7.98
कुल	29.87	25.16



2002--2003

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 3

अन्य आय	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
सहायता (स्टोविंग)	21.03	16.07
शीर्ष कार्यालय प्रभार	10087.40	9569.85
ब्याज प्राप्ति	100.97	30.13
किराया (बाहरी) (टीडीएस - 1.82 लाख रुपये)	12.59	11.50
एल.डी./जुर्माना प्राप्ति	6.67	4.36
निविदा शुल्क	2.70	3.15
प्रावधान/पहले से चली आ रही देयतायें	79.23	165.46
स्क्रेप की बिक्री	—	0.32
किराया अधिभार	1562.38	1567.90
दिया गया भाड़ा (टीडीएस - 48.96 लाख रुपये)	393.00	393.00
अंतरिम लाभांश/अनुषंगियों से लाभांश	48527.52	85508.31
अनुषंगियों से प्रतिभूति शुल्क	3363.83	3265.43
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभांश	0.45	3.65
विदेशी विनिमय से लाभ	1557.01	3437.26
लाभ/विदेशी विनिमय दर अंतर से हानि	76.68	-32.59
अन्यान्य	55.14	39.03
योग	65846.60	103982.83

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 4

भण्डारों की अभिवृद्धि (+) हास (-)	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
कोयले/कोक इत्यादि के भण्डार		
(क) 31.03.2003 के अनुसार अवशेष भण्डार (केवल राजस्व खानों के लिए)		
कच्चा कोयला	4524.12	3452.11
साफ्ट कोक	0.75	—
घटाकर : आग लगने एवं लम्बी अवधि तक स्टॉकिंग के कारण कोयले के मूल्य में गिरावट	534.42	461.93
कुल (क)	<u>3990.45</u>	<u>2990.18</u>
(ख) 01.04.2002 के अनुसार ओपनिंग भण्डार (केवल राजस्व खदानों)		
कच्चा कोयला	3515.99	1996.67
साफ्ट कोक	0.75	—
घटाकर : आग लगने एवं लंबी अवधि तक स्टॉकिंग के कारण कोयले के मूल्य में गिरावट	526.56	387.34
कुल (ख)	<u>2990.18</u>	<u>1609.33</u>
शुद्ध योग (योग क - योग ख)	<u>1000.27</u>	<u>1380.85</u>

अनुसूची - 5

भण्डार सामग्रियों एवं पार्ट-पुर्जों की खपत	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
विस्फोटक	197.41	155.17
लकड़ी	120.11	117.99
पेट्रोल, तेल एवं तरल पदार्थ	175.75	160.65
अन्य खपत योग्य भण्डारक सामग्री एवं पुर्जे		
(क) एच.ई.एम.एम.	7.58	17.53
(ख) अन्यान्य	244.36	273.16
	<u>251.94</u>	<u>290.69</u>
	745.21	724.50
घटाकर : निम्न में स्थानान्तरित		
सामाजिक कार्य मद	17.60	25.97
विद्युत एवं ईंधन	51.21	35.82
अन्यान्य व्यय	41.39	48.21
	<u>110.20</u>	<u>110.00</u>
योग	<u>635.01</u>	<u>614.50</u>



2002-2003

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 6

अन्य कार्यों के लिए जारी किया गया कोयला प्रति कॉन्ट्रा

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
आन्तरिक खपत	15.42	15.50
कर्मचारियों को निःशुल्क आबंटन	1.72	1.68
अन्यान्य	12.73	7.98
	<u>29.87</u>	<u>25.16</u>
घटाकर : इन मदों में स्थानान्तरित		
विद्युत एवं ईंधन	15.42	15.50
सामाजिक कार्यों में	1.72	1.68
	<u>17.14</u>	<u>17.18</u>
योग	<u>12.73</u>	<u>7.98</u>

अनुसूची - 7

कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं लाभ

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
वेतन, मजदूरी एवं भत्ता		
वेतन, मजदूरी (यातायात सुविधा सहित)	6896.11	6804.76
एनसोडब्ल्यूए - VII का तदर्थ प्रावधान	741.71	553.94
अधिककाल		
(क) सामान्य	136.79	126.20
(ख) रविवार संरक्षण	137.70	133.95
	<u>274.49</u>	<u>260.15</u>
अवकाश नगदीकरण	484.85	152.74
भविष्य निधि एवं अन्य कोषों में अंशदान (प्रशासनिक अधिभार सहित)	812.73	779.75
उपस्थिति बोनस	296.98	300.76
अनुग्रह लाभांश		
(क) पीपीएलबी - कर्मचारी	159.42	158.92
(ख) पीपीएलआर - अधिकारी	13.87	13.94
	<u>173.29</u>	<u>172.86</u>
एलटीसी/एलएलटीसी/आरआरएफ	254.28	76.98
पेंशन	56.04	51.31
उपादान	589.54	1078.43
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	12.55	2.06
सामूहिक बीमा	8.68	10.83
डी. एल. आई.	8.17	6.69
जीवन सुरक्षा योजना	13.90	12.30
वी.आर.एस.	107.23	199.44
	<u>10730.55</u>	<u>10463.00</u>
घटाकर : इन मदों में स्थानान्तरित		
सामाजिक कार्य मद	304.14	293.45
विद्युत एवं ईंधन	5.80	5.80
	<u>309.94</u>	<u>299.25</u>
योग	<u>10420.61</u>	<u>10163.75</u>

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 8

सामाजिक कार्य मद	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	304.14	293.45
कर्मचारियों को निःशुल्क कोयले का वितरण	1.72	1.68
चिकित्सा सुविधायें		
(क) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	314.01	336.16
(ख) चिकित्सा	29.70	48.54
(ग) आहार व्यय	6.97	7.86
	<u>350.68</u>	<u>392.56</u>
अनुदान :		
(क) स्कूल एवं संस्थान	33.08	24.58
(ख) खेल-कूद, मनोरंजन	13.12	9.58
	<u>46.20</u>	<u>34.16</u>
कैंटीन एवं क्रेच		
कैंटीन रख-रखाव	16.42	16.01
घर भाड़ा	31.10	43.91
विद्युत	366.47	309.06
मरम्मत एवं रख-रखाव		
(क) टाउनशिप (कल्याण भवनों सहित)	84.62	79.31
(ख) संयंत्र एवं यंत्र	0.31	1.38
	<u>84.93</u>	<u>80.69</u>
गाड़ियों का रख-रखाव		
(क) पेट्रोल एवं डीज़ल	3.01	3.76
(ख) मरम्मत	4.06	2.16
(ग) बीमा	0.45	0.52
	<u>7.52</u>	<u>6.44</u>
भण्डार एवं पुर्जों की खपत	14.59	22.21
मूल्य हास	54.52	54.30
सामुदायिक विकास	24.90	10.06
पर्यावरण व्यय		
वृक्षारोपण	0.63	0.61
यूनिफार्म	8.73	5.22
प्रशिक्षण व्यय		
(i) कंपनी के अन्दर	5.70	9.39
(ii) कंपनी के बाहर	3.39	4.32
	<u>9.09</u>	<u>13.71</u>
अन्यान्य कल्याणकारी व्यय	160.30	146.81
	<u>1481.94</u>	<u>1430.88</u>
घटाकर : वसूलियाँ		
घर भाड़ा	8.06	11.47
अस्पताल प्रभार	3.15	3.07
विद्युत	16.15	16.87
	<u>27.36</u>	<u>31.41</u>
योग	<u>1454.58</u>	<u>1399.47</u>

2002-2003

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 9

विद्युत एवं ईंधन		(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	
बिजली की खरीद	1004.87	1190.64	
विद्युत उत्पादन			
वेतन एवं मजदूरी	5.80	5.80	
कोयले की खपत	15.42	15.50	
भण्डारों की खपत	15.21	35.82	
मरम्मत एवं रख-रखाव	13.13	1.82	
हास	5.25	5.25	
	80.81	64.19	
घटाकर :	1085.68	1254.83	
सामाजिक खर्च में स्थानान्तरित	366.47	309.06	
योग	719.21	945.77	

अनुसूची - 10

मरम्मत		(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	
भवन	113.06	95.76	
संयंत्र एवं उपकरण			
बाहरी एजेंसियाँ	32.03	22.83	
अन्य :			
(क) कार्यालय उपकरण	28.82	26.89	
(ख) अन्य	191.11	191.57	
	219.93	218.46	
घटाकर : स्थानान्तरित	365.02	337.05	
(क) सामाजिक कार्य मद	88.99	82.85	
(ख) विद्युत एवं ईंधन	3.13	1.82	
	92.12	84.67	
योग	272.90	252.38	



वार्षिक प्रतिवेदन

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 11

सांविदिक व्यय

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
परिवहन प्रभार		
(क) कोयला, कोक	48.87	26.12
(ख) भण्डार सामग्री	—	2.37
	<u>48.87</u>	<u>28.49</u>
अन्य संविदात्मक कार्य	3854.41	3450.69
	<u>3903.28</u>	<u>3479.18</u>
योग		

2002-2003

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 12

अन्य व्यय

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
यात्रा		
(क) देश के अंदर	279.52	281.67
(ख) देश के बाहर	13.13	26.04
	<hr/>	<hr/>
	292.65	307.71
मूद्रण एवं लेखन सामग्री	68.76	94.74
डाक व्यय	23.31	14.26
टेलीफोन	92.90	112.52
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार		
(i) विज्ञापन		
(क) निविदा के लिए	79.74	59.51
(क) नियुक्ति के लिए	—	13.44
	<hr/>	<hr/>
	79.74	72.95
(ii) प्रचार-प्रसार के लिए	66.18	35.13
विलम्ब शुल्क	13.67	1.87
अनुदान	10.76	11.47
सब्सक्रिप्शन	25.64	21.19
सुरक्षा प्रभार	128.95	128.02
भाड़ा प्रभार		
(क) कम्प्यूटर	125.38	98.74
(ख) अन्य	195.12	153.46
	<hr/>	<hr/>
	320.50	252.20
वाहनों का रख-रखाव		
(क) पेट्रोल एवं डीज़ल	41.39	48.21
(ख) मरम्मत	33.66	31.39
(ग) मार्ग कर एवं बीमा	4.94	5.84
	<hr/>	<hr/>
	79.99	85.44
वैधानिक व्यय	48.35	51.28
बैंक प्रभार	7.48	9.44
अतिथि गृह व्यय	31.14	34.32
घटाकर : वसूलियाँ	6.22	5.60
	<hr/>	<hr/>
	24.92	28.72
सलाहकारिता शुल्क	627.85	575.06
आकस्मिक कार्यालयी व्यय	33.04	40.18
अण्डर लोडिंग प्रभार	29.70	29.60
बिक्री में घाटा/परिसंपत्ति की क्षति	0.23	—
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		
(क) अंकेक्षण शुल्क	1.76	1.61
(ख) यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.88	0.76
	<hr/>	<hr/>
	2.64	2.37
कर अंकेक्षण शुल्क	0.52	0.52
आंतरिक अंकेक्षण/अन्य अंकेक्षण शुल्क एवं अन्य	2.06	1.69
रॉयल्टी एवं सेस	5.21	3.67
भाड़ा दर एवं कर	282.77	269.13
बीमा	30.99	16.36
डेड भाड़ा	23.31	22.43
भूतल भाड़ा	0.99	0.97
अन्य	104.20	117.18
	<hr/>	<hr/>
योग	2427.31	2306.10

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 13

व्याज	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(क) सरकारी ऋण		
(i) योजनागत ऋण	4989.77	7177.62
(ii) गैरयोजनागत ऋण	6549.46	8962.44
(ख) बैंक ओवर ड्राफ्ट	1889.59	247.24
(ग) अनुबन्ध (बांड्स)	665.83	7654.13
(घ) अन्तर कार्पोरेट/वित्तीय संस्थानगत ऋण	3306.28	5089.52
(ङ) पेंशन फण्ड	3.99	4.28
(च) आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋणों पर व्याज	5091.19	6376.53
(छ) अन्यान्य	9819.68	14334.73
	<u>32315.79</u>	<u>49846.49</u>
घटाकर : (क) जमा से प्राप्ति व्याज	78.86	2515.37
(ख) अनुषंगियों से वसूली	4090.31	7202.36
(ग) आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋणों के लिए अनुषंगियों के खाते में स्थानान्तरित	5091.19	6376.53
	<u>9260.36</u>	<u>16094.26</u>
योग	<u>23055.43</u>	<u>33752.23</u>

अनुसूची - 14

वित्तीय प्रभार	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋणों पर गारंटी शुल्क बाण्ड के लिए अन्य व्यय	2691.06	2612.34
सार्वजनिक जमा एवं सी.पी.		
ट्रस्टी शुल्क - बाण्ड	0.01	—
सी.पी. पर छूट	325.24	—
अन्य	44.69	15.81
	<u>369.94</u>	<u>15.81</u>
अन्य बैंक प्रभार	—	140.27
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋणों पर अन्य अधिभार	6.09	5.66
	<u>3067.09</u>	<u>2774.08</u>
घटाकर : आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋणों को अनुषंगी के खातों में स्थानान्तरित	6.09	5.66
योग	<u>3061.00</u>	<u>2768.42</u>



2002--2003

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 15

प्रावधान/बट्टे खाते में डालना	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
जिनके लिये प्रावधान किया गया		
संदिग्ध अग्रिम (भण्डार)	0.52	0.53
अन्य अग्रिम	—	28.53
प्राप्य दावे	—	1.84
अन्यान्य (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	42.81	95.51
संदिग्ध कर्ज	1.49	—
योग	44.82	126.41

अनुसूची - 16

पूर्वावधि समायोजित	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
व्यय :		
अन्य आय	0.28	—
भण्डार खपत	2.24	0.13
ब्याज	—	2.17
ह्रास	—	17.17
विद्युत एवं ईंधन	16.16	1.66
मरम्मत	2.55	8.36
सामाजिक ओवर हेड	1.00	8.14
अन्य व्यय	26.01	19.36
	48.24	56.99
प्राप्तियाँ		
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	2.93	21.84
अन्य आय	—	1.41
ह्रास	3.55	—
संविदात्मक व्यय	11.16	4.21
	17.64	27.46
शुद्ध : क्रेडिट (साख (+) / डेबिट (नामे) (-)	- 30.60	- 29.53

अनुसूची - त

(क) महत्वपूर्ण लेखा शास्त्रीय नीतियाँ

1. पारंपरिक लेखाकरण:

जहां अन्यथा अन्यत्र नियत न हो लेखाकरण मानकों तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर प्रचलित व्यवहार का अनुसरण करते हुए प्रोद्भूत सामग्री और ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं।

2. लेखा विधि का आधार :

प्रथमतः सभी आय एवं व्यय स्वाभाविक शीर्षों में निर्धारित किये गये हैं और बाद में जहां आवश्यक हुआ है प्रकार्यात्मक शीर्षों में स्थानान्तरित किये गये हैं।

3.0 सरकार से आर्थिक सहायता/अनुदान :

3.1 पूंजीगत लेखा पर अनुदान/आर्थिक सहायता को उन आस्तियों से घटा दिया गया है जिन से वे संबंध रखती हैं। वर्ष के अन्त में खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो तो, को वर्तमान देयता में दर्शाया गया है।

3.2 आर्थिक सहायता/राजस्व पर अनुदान लेखा की अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष के अन्तर्गत लाभ एवं हानि लेखा में रखा गया है और खर्चों को उससे संबंधित शीर्ष में डाला गया है।

4.0 स्थिर परिसंपत्तियाँ :

4.1 भूमि : भूमि में अर्जन की लागत, क्षतिपूर्ति और संबंधित भू-विस्थापितों के पुनर्वास पर किया गया नकद खर्च सम्मिलित है। अन्य खर्च में भू-अर्जन पर किया गया खर्च जैसे पुनर्वास खर्च इत्यादि को कम्पनी से असम्बन्धित परिसम्पत्ति माना गया है और उसे 5 वर्षों के बाद परिशोधित किया जायेगा।

4.2 संयंत्र एवं मशीनरी : संयंत्र एवं मशीनरी में इनकी स्थापना/संस्थापना पर तथा उन परिसम्पत्तियों को कार्यगत स्थिति में लाने हेतु आने वाली अन्य लागत को शामिल किया गया है।

4.3 रेलवे साईडिंग : रेलवे साईडिंग के निर्माण हेतु रेलवे प्राधिकारियों को की गई भुगतान को विकासशील पूंजी (कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस) के अधीन दर्शाया गया है।

4.4 विकास : विकासशील परियोजनाओं/खानों के आय/व्यय को विकासशील खाते में डाला गया है और उसे विकासशील पूंजी के तहत तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक परियोजना/खान राजस्व खाते में न आ जाय। विकासशील परियोजनाओं/खानों को निम्नलिखित के अधीन राजस्व में लाया जाता है-

(क) स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार जिस वर्ष परियोजनायें अपने कोयला उत्पादन की वास्तविक क्षमता का 25% लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, उस वर्ष के ठीक बाद के वित्तीय वर्ष से, या

(ख) कोयला खनन के 2 वर्ष के; या

(ग) जिस वित्त वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक हो, इनमें से पहले जो भी हो।

4.5 पूर्वेक्षण एवं बेधन तथा अन्य विकास खर्च:

एक पंचवर्षीय योजना अवधि में गवेषणा एवं अन्य विकास पर खर्च की लागत को परियोजनाओं के निर्माण हेतु पंचवर्षीय

2002--2003

योजना अवधि के अन्त तक विकासशील पूंजी में रखा जायेगा किन्तु बिक्री हेतु चिन्हित या बाह्य एजेन्सियों को बिक्री हेतु प्रस्तावित ब्लॉक छोड़ दिये जायें।

5.0 निवेश

निवेश का विवरण लागत में दिया गया है।

6.0 सम्पत्ति सूची

- 6.1 लेखा में कोयला/कोक के अंकित भण्डार और मापित भण्डार में $\pm 5\%$ के अन्तर को स्वीकार किया गया है और जिन मामलों में मापित भण्डार में $\pm 5\%$ से अधिक का अन्तर पाया जाता है, ऐसे भण्डारों का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्ति मूल्य (नेट रियलाइजेबुल वैल्यू) या लागत जो भी कम हो, पर किया जाता है।
 - 6.1.1 आग लगने एवं लंबी अवधि तक भण्डारण इत्यादि के कारण हास का ध्यान रखते हुए कोयले के अन्त शेष भण्डार के मूल्य का 10% हास का प्रावधान किया गया है।
 - 6.1.2 स्लरी, वाशरियों की मिडलिंग्स का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्ति मूल्य पर किया जाता है।
- 6.2 केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय भण्डारों के स्टॉल एवं स्पेयर पार्ट्स के मूल्यांकन की गणना वजनीकृत अनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर की जाती है। वर्ष के अन्त में कोलियरी/उप भण्डार/उपभोक्ता केन्द्रों में रखी गई स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की इन्वेन्ट्री को आद्यतः क्षेत्रीय भण्डार लागत/अनुमानित लागत/के निर्गमन मूल्य पर प्रभारित किया गया है। चालू कार्यों सहित वर्कशॉप कार्यों को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।
 - 6.2.1 स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स में लूज टूल्स सम्मिलित हैं।
 - 6.2.2 अप्रयोज्य नुकसान और अप्रयुक्त भण्डार हेतु 100% की दर से और बीमा मदों को छोड़कर 5 वर्षों तक अप्रयुक्त स्टोर्स एवं स्पेयर्स हेतु 50% का प्रावधान किया गया है।
- 6.3 लेखन सामग्री के भण्डार (प्रिन्टिंग में रखी गई के अलावे) बालू, दवाइयां (केन्द्रीय अस्पताल में रखी गई के अतिरिक्त), ईटे, वायुयान के कल-पुर्जे और स्क्रेप को इन्वेन्ट्री नहीं माना गया है।

7. मूल्य हास :

- 7.1 दूर संचार उपकरणों को छोड़कर स्थिर परिसम्पत्तियों पर हास को कम्पनी अधिनियम 1956 (संशोधित) की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दर से सीधी रेखा सिद्धान्त पर प्रावधानित किया गया है। इस प्रकार के उपकरणों के आकलित तकनीकी जीवन पर मूल्य हास ऊँचे दर जैसे 15.83% एवं 10.55% की दर पर प्रभारित किया गया है। वर्ष के दौरान सम्मिलित की गई/समाप्त की गई परिसम्पत्तियों पर मूल्य हास यथानुपात सम्मिलित/समाप्त किये गये महीने के अनुसार किया जाता है।
- 7.2 कोल वियरिंग एरिया (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के अधीन अर्जित भूमि के मूल्य का परिशोधन परियोजना के शेष जीवन के आधार पर किया जाता है। पट्टे की भूमि के मूल्य का परिशोधन पट्टा अवधि या परियोजना का शेष जीवन जो भी पहले हो, के आधार पर किया जाता है।
- 7.3 विकास खर्च का परिशोधन परियोजना को राजस्व खाते में लाने के 20 वर्षों या परियोजना आयु जो भी पहले हो, में किया जाता है।
- 7.4 कम्पनी से असम्बन्धित परिसम्पत्तियों पर पूंजी गत व्यय को 5 वर्षों में परिशोधित किया जाता है और जिस वर्ष उन परिसम्पत्तियों का पूर्णतया अवमूल्यन हो जाता है उसके अगले वर्ष उन्हें लेखा से निकाल दिया जाता है।

- 7.5 5000=00 रुपये मूल्य वाली परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त 100% अवमूल्यन वाली परिसम्पत्तियों के पूर्णतया अवमूल्यन होने वाले वर्ष के दो वर्षों के बाद उन्हें लेखा से निकाल दिया जाता है।

8. अधिभार हटाव व्यय (ओवर बर्डेन रिमूवल व्यय)

- 8.1 1 मि.टन और इससे उच्च क्षमता की खुली खदानों में प्रत्येक खान में ओ.बी.आर. की लागत को औसत अनुपात (कोयला: ओ.बी.) पर प्रभारित किया जाता है। खान को राजस्व में लाने के पश्चात् अग्रिम स्ट्रिपिंग और अनुपात अन्तर लेखा का विधिवत समायोजन किया जाता है। वर्ष के अन्त में अग्रिम स्ट्रिपिंग और अनुपात अन्तर के शुद्ध शेष को निलंबित राजस्व व्यय या वर्तमान देयता जैसा भी मामला हो, में दर्शाया गया है।

निम्नलिखित विवरण के अनुसार उचित परिसीमा (परमिशिवल लिमिट) के अन्दर ओवर बर्डेन की रिपोर्ट की गई मात्रा और मापित मात्रा के बीच अन्तर को लेखा में परिलक्षित किया गया है :-

खान की ओबीआर की प्रमात्रा	उचित परिसीमा का अन्तर (जो भी कम हो)	
	%	प्रमात्रा (मि. क्यु. मी. में)
1 मि. क्यु. मी. से कम	+/- 5 %	0.03
1 से 5 मि. क्यु. मी. के बीच	+/- 3 %	0.2
5 मि. क्यु. मी. से अधिक	+/- 2 %	शून्य

9.0 बिलम्बित राजस्व व्यय:

- 9.1 एच ई एम एम पुनर्स्थापना पर व्यय जो प्रत्येक मामले में 5.00 लाख और उससे अधिक है, अधिकतम चार वर्ष परिसम्पत्ति की उपयोग अवधि तक प्रभार मुक्त रखा गया है।
- 9.2 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अधीन प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त आवधिक लाभ को 5 वर्षों की अवधि तक प्रभार मुक्त रखा गया है।

(ख) लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ/पूँजीगत प्रतिबद्धतायें

- 1.1 कैपिटल एकाउन्ट में निष्पादित की जाने वाली शेष राशि 5140.88 लाख (9356.70 लाख) जिसमें अनुषंगियों की राशि भी शामिल है और लेखा में समाहित है, को प्रावधानित नहीं किया गया है।
- 1.2 कम्पनी के विरुद्ध दावे की राशि 35304.01 लाख रुपये (47766.97 लाख रुपये) है जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।
- 1.3 बाजार मूल्यांकन की बकाया स्थिति विदेशी मुद्रा के आदान-प्रदान को शामिल कर दिनांक 31.3.2003 तक 1592.36 लाख) (2435.00 लाख) विपरीत आंकी गई है।
- 1.4 अग्रसारण विनिमय अनुबन्ध में संबंधित प्रतिबद्धता वर्ष के अन्त में शून्य रुपये (3056.89 लाख रुपये) थी।

2002-2003

- 1.5 दिनांक 31.3.03 तक साखपत्रों की उधार राशि 4600.89 लाख रुपये (गत वर्ष 8685.98 लाख रुपये) थी तथा बैंकों द्वारा जारी लम्बित बकायों की राशि 7801.64 लाख रुपये (गत वर्ष 9347.34 लाख रुपये) थी।

2. स्थिर परिसम्पत्तियाँ

- 2.1 कुछ मामलों में कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज कम्पनी के पत्र में कार्यान्वित नहीं हो पाये हैं तथा कुछ मामलों में खारिज दाखिल करना है।

2.2 डानकुनी कोल काम्प्लेक्स/इण्डियन इंस्टीच्यूट ऑफ कोलमैनेजमेन्ट :

(क) दिनांक 31.3.95 को पंजीकृत मूल्य के अनुसार स्थाई परिसम्पत्तियां जिनमें 6064.71 लाख रुपये के मूल्य का तापगृह एवं 3652.25 लाख रुपये मूल्य के संबंधित भवन और अन्य परिसम्पत्तियाँ एसईसीएल को किराये पर दी गई है। इन परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त दिनांक 31.3.2003 को निकाले गये मूल्य के अनुसार 581.09 लाख रुपये के मूल्य के प्लांट एवं 155.98 लाख रुपये के मूल्य के भवन और अन्य परिसम्पत्तियाँ हैं। अवमूल्यन हेतु दिनांक 31.3.03 तक संचित प्रावधान 8794.33 लाख रुपये हैं। (वर्तमान अवधि हेतु 657.24 लाख रुपये अवमूल्यन प्रभार सम्मिलित है। (31.3.03 को बुक के अनुसार पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों का शुद्ध डब्ल्यू.डी.वी. 5303.20 लाख रुपये है जिसमें सीडब्ल्यूआईपी सम्मिलित है।

(ख) इसके अतिरिक्त स्थिर सम्पदा जिसमें 218.99 लाख रुपये के संयंत्र एवं यंत्र सम्मिलित हैं, के साथ भवन एवं अन्यान्य सम्पत्ति जो दोनों मिलकर 31.3.95 को 1625.37 लाख रुपये के थे, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट -1861 के अधीन पंजीकृत एक सोसाईटी आईआईसीएम को भाड़े पर दी गई है। इस परिसम्पत्ति पर दिनांक 31.3.03 तक संयंत्रों के मूल्य एवं यंत्र पर 351.08 लाख रुपये तथा भवन एवं अन्य सम्पत्तियों पर 293.86 लाख रुपये की राशि जुटी हैं। दिनांक 31.3.03 तक अवमूल्यन हेतु संचित प्रावधान 722.16 लाख है (इसमें वर्तमान अवधि हेतु 77.80 लाख रुपये अवमूल्यन प्रभार सम्मिलित है)। दिनांक 31.3.03 को बुक के अनुसार पट्टे की परिसम्पत्ति का शुद्ध डब्ल्यूडीवी 1901.09 लाख रुपये है।

3. निवेश

3.1 अनुषंगियों में निवेश :

शेयर पूंजी के रूप में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का निवेश दिनांक 31.3.2003 तक क्रमशः 211800.00 लाख रुपये, 221845.00 लाख रुपये तथा 94000.00 लाख रुपये था। ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल रुग्ण हो चुके हैं तथा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 के अन्तर्गत बीआईएफआर को सन्दर्भित किया गया है। ईसीएल तथा बीसीसीएल के पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार की योजना अग्रिम स्थिति में है। ईसीएल की पुनर्निर्माण योजना की अनुसंशा ऑपरेटिंग एजेन्सी द्वारा तैयार की गई है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। बीसीसीएल के मामले में पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार प्रस्ताव निर्माणाधीन है। मूलतः सीसीएल को बीआईएफआर हेतु संदर्भित किया गया है जिस पर बीआईएफआर के अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा। सीसीएल की पुनरुद्धार योजना निर्माणाधीन है। जैसे ही पुनरुद्धार योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाता है तथा लागू किया जाता है इन कम्पनियों की वित्तीय अवस्था में महत्वपूर्ण सुधार आयेगा जिससे वे व्यवहार्य कम्पनी में बदल सकेगी। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निवेश के मूल्य में होने वाली अवनति यदि कोई है, तो अस्थायी रूप में है और इसलिए इसे व्यय के अनुकूल आंका गया है।

3.2 अन्य कम्पनियों में निवेश

वर्ष के दौरान मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नालॉजी अप्लीकेशन (इण्डिया) लिमिटेड में जिसमें कोल इण्डिया लिमिटेड ने प्रत्येक

10/- रु. के 16334 इक्विटी शेयर (पूर्ण भुगतानित) का निवेश किया गया है, कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी मामलों के अन्तिम भुगतान के रूप में प्रतिशेयर 0.68 रुपये की दर से औसत शेयर राशि की वापसी के रूप में 0.11 लाख रुपये प्राप्त हुए।

निवेश के मूल्य में हास का प्रावधान जो पिछले वर्ष के लेखा में रखा गया था, को कम्पनी के परिसमापन पर समायोजित कर दिया गया है।

4.0 सामग्री सूची

- 4.1 भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जे : भण्डारिक सामग्रियों एवं अतिरिक्त पुर्जे को लेखा में आंचलिक भण्डारों में शेष बची सामग्रियों को भण्डार पूंजी में अंकित मूल्यों और आलेखों और कोलियरियों/इकाइयों में वास्तविक रूप से बचे हुये भण्डार मात्रा के आधार पर प्रावधानित किया गया है।
- 4.2 अप्रयोज्यनीय या प्रायः रद्द हो गये अतिरिक्त पुर्जों के खाते में 135.75 लाख रुपये (171.86 लाख रुपये) का प्रावधान किया गया है और इसे पर्याप्त माना गया है।
- 4.3 भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों में बिखरे/छितरे हुए और वायुयान के कल-पुर्जे भी सम्मिलित हैं, इन्हें पृथक रूप से मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है।
- 4.4 एक रूप पद्धित के अनुसार, पारा 6.1.1 (इस अनुसूची के भाग "क" में) में दिये गये प्रावधान के अतिरिक्त (इस अनुसूची के भाग-"क" में) सर्वे मापी दल की रिपोर्ट के अनुसार 90 प्रतिशत बकाया मूल्य के स्लो-मूविंग कोयले के लिए खातों में 237.67 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

5.0 विविध देनदार

- 5.1 अपरिशोधित एवं संदिग्ध ऋणों के लिये लेखाओं में 1073.84 लाख रुपये (रु. 1072.36 लाख) रुपये प्रावधानित किये गये हैं और इन्हें पर्याप्त माना गया है।

6.0 बॉण्ड

- 6.1 वर्ष के दौरान कम्पनी ने (I) 17% के अपरिवर्तनीय संरक्षित बॉण्ड को (डी-सीरीज) निष्क्रीत किया है जिनका मूल्य 589.00 लाख रुपये (II) 12.25 % के अपरिवर्तनीय असंरक्षित बाण्ड (के-सीरीज) जिसका मूल्य 11 करोड़ रुपये है।

7.0 ऋण एवं अग्रिम

- 7.1 कम्पनी के पास नगद, बैंक शेष, रोड कूपन इत्यादि के रूप में निधि प्राप्त है, जो कम्पनी के नान-कोकिंग कोल माइन्स के प्रबन्धन अवधि से अर्थात् दिनांक 1.5.73 को प्राप्त हुई थी, इसे कम्पनी द्वारा भुगतान आयुक्त को भारत सरकार की ओर से दी गई है। जमा के लिए जो उस समय नॉन-कोकिंग कोयले के खदानों के प्रबन्धन अवधि के लिये अतिरिक्त थी, समंजित कर दिया गया है।
- 7.2 प्रायों से संबंधित दावों में रेलवे से 218.40 लाख रुपये की प्राप्य राशि जो बैंगनों के पथ परिवर्तन (डाइवर्शन) या खो जाने इत्यादि के कारण देय है (विगत वर्ष 215.23 लाख रुपये) सम्मिलित है।
- 7.3 कुछ मामलों में पत्तन प्राधिकरण को देयताओं से संबंधित लंबित समाधान की शुद्ध राशि प्रदर्शित की गई है।
- 7.4 सीएमपीडीआईएल द्वारा ईसीएल को अन्वेषण सेवाएँ देने हेतु निधि : ईसीएल के नियंत्रण वाले ब्लॉकों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग हेतु सीआईएल ने 950.86 लाख रुपये की राशि प्रदान की और उसे सीआईएल की बुक में 'ऋण एवं अग्रिम'



2002-2003

अनुसूची में “ईसीएल में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य” में दर्शाया गया है। 31.3.2003 को इस शीर्ष में कुल अग्रिम 1310.92 लाख रुपये हैं।

8.0 सुरक्षित ऋण

8.1 नकद ऋण

पूर्ववर्ती सीएमएएल एवं इसके प्रभागों की परिसम्पत्तियों के पंजीकरण तथा हस्तांतरण के लंबित होने की दशा में, सीआईएल की नकद आय स्थिति को कोयला भण्डार के लिए अनुषंगियों के भण्डारिक स्टॉक, अतिरिक्त पुर्जों के स्टॉक तथा बुक के ऊपर, मूल्य प्रभारित कर, संतुलन कर, रक्षित किया गया है।

कुल 700 करोड़ रुपये नकद उधार की कुल सीमा में से एक उप सीमा 87 करोड़ रुपये अनुषंगियों को प्रदान की गयी है जिसके लिए दिनांक 31.3.03 तक इस सुविधा का अनुषंगियों ने वास्तविक लाभ उठाया है, इसकी जिम्मेदारी सीआईएल की है।

9. वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

- 9.1 मन्दगति से आगे बढ़ने/स्थिर एवं रद्द भण्डारिक सामग्रियों, प्राप्त होने वाले दावों, अग्रिम इत्यादि के लिए प्रावधान किया गया है जो इन मदों हेतु पर्याप्त माना गया है।
- 9.2 कर्मचारियों से पेंशन योजना के अन्तर्गत संग्रहित राशि जो कम्पनी द्वारा रखी गयी है, पर प्रदत्त देय ब्याज को कोयला खान पेन्सन योजना 1998 के नियमों के अनुसार लेखा में दर्शाया गया है।
- 9.3 अनुषंगी कम्पनियों के साथ अवशेषों का समायोजन निरन्तर किया जाता रहा है एवं दिनांक 31.3.2003 का विवरण कोल इण्डिया लिमिटेड के खाते के अनुसार बहुत दूर तक समंजित कर दिया गया है जबकि शेष बचे का समंजन प्रगति पर है।
- 9.4 आईआईसीएम के लिये चालू लेखा संतुलन में (तुलन पत्र की वर्तमान देयताओं और प्रविधान अनुसूची में) प्रत्येक अनुषंगी से 50 पैसे प्रति टन उत्पादन को समाहित कर राशि/निधि के रूप में आईआईसीएम को प्रेषित किया हुआ दर्शाया गया है।

10.0 लाभ एवं हानि लेखा

- 10.1 वर्ष के लेखा में ईसीएल एवं बीसीसीएल को आरोप्य 22309.10 लाख (24159.33 लाख) रुपये के ब्याज के दावे तथा 4417.55 लाख रुपये (4381.00 लाख रुपये) एपेक्स चार्ज के संबंध में राजस्व की पहचान को आस्थगित रखा गया है। इनका लेखा मानक 9 के अनुसरण में राजस्व पहचान के लिए आईसीएआई द्वारा प्रकाशित को ध्यान में रखकर किया गया है।
- 10.2 वर्ष 2002-2003 हेतु चार अनुषंगियों एनसीएल, एमसीएल, ईसीएल एवं डब्ल्यूसीएल ने 48527.52 लाख रुपये अतिरिक्त लाभांश घोषित किया है जिसकी गणना इस वर्ष की आय के रूप में की गई है।
- 10.3 कम्पनी द्वारा अपनी अनुषंगियों के लिये विदेशी मुद्रा ऋण अग्रसारण अनुबन्ध को रद्द करने से हुई उपलब्धि 1557.01 लाख रुपये (3437.26 लाख रुपये) जो उनके खाते में पड़े हैं, को अलग निधि में रखा गया है।
- 10.4 मूल्य हास के लेखा मानक (ए.एस-6) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 2000-01 में खरीदे गये हेलीकॉप्टर इंजन पर मूल वायुयान के शेष जीवन (बैंक के अनुसार) के आधार पर मूल्य हास दिखाया गया है। 51.74 लाख (59.41 लाख) रुपये के मूल्यहास का अतिरिक्त प्रभार लगाया गया है।
- 10.5 मूल्य हास में पट्टे वाली भूमि के लागत परिशोधन के कारण प्रभारित राशि शामिल है।
- 10.6 30.06.2001 तक गैर अधिकारियों से प्रचलित मूल वेतन के 10% की दर से 741.71 लाख रुपये (553.94 लाख रुपये)

की राशि की तदर्थ व्यवस्था की गई है जिससे यह राशि एनसीडब्ल्यू ए-VII के साथ गैर अधिकारियों के वेतन में संभावित वृद्धि के सभी तत्वों को पूरा किया जा सके, जिसका समझौता तथा कार्यान्वयन 1.7.2001 से विचाराधीन है।

11. ब्याज :

सीआईएल से अनुषंगी कंपनियों द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज को ऋण अनुबन्ध में निहित प्रावधानों के साथ साथ बोर्ड द्वारा अंगीकृत नैगमिक वित्तीय गतियों के सिद्धान्त पर विचारित निर्धारित दर को उनके खाते में अथशेष में प्रभारित किया गया है। उक्त राशि का उपयोग वर्ष के दौरान सरकारी ऋण, इन्टरकारपोरेट ऋण पर ब्याज, निधि आधारित सुविधायें, बॉण्ड, अल्पकालीन जमा पर विविध ब्याज से संबंधित सीआईएल के दायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया है।

12. विदेशी विनिमय ऋण :

विभिन्न अनुषंगियों में कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु आईबीआरडी एवं जेबीआईसी बैंकों से लिए गये ऋण को असुरक्षित ऋण (अनुसूची-डी) शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

आईबीआरडी एवं जेबीआईसी बैंकों से अनुबन्ध के समय कोल इण्डिया लिमिटेड ने इसमें हिस्सेदार अनुषंगियों के साथ बैंक टू बैंक ऋण अनुबन्ध किया है और विनिमय दर के अन्तर के प्रभाव सहित ऋण को "अनुषंगियों को ऋण" के अन्तर्गत दर्शाया गया है और अन्य सभी वित्तीय प्रभार यथा ब्याज, उत्तरदायित्व प्रभार इत्यादि तथा अर्जित ब्याज को "अनुषंगियों के साथ चालू खाता" के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

13. अन्य:

- 13.1 प्रबंधन के विचार में वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम, विविध देनदारों इत्यादि व्यवसाय के अनुक्रम में कम से कम घोषित मूल्य के अनुसार प्राप्ति की योग्यता से सम्पन्न हैं।
- 13.2 नकद एवं बैंक शेष (अनु. आई) में उड़ीसा साइक्लोन राहत निधि हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों, इसकी अनुषंगियों एवं अन्य से प्राप्त राशि शामिल हैं।
- 13.3 अनुसूची-आई (नकद एवं बैंक शेष) में डाकघर बचत खाता शेष में रू. 0.27 लाख शामिल है जो वर्ष 91-92 में डाकघर में कम पोस्टल ऑर्डर जमा करने के कारण हैं, जिसके लिये खाता में पूरा प्रावधान बनाया गया है।
- 13.4 एनसीएल, एमसीएल तथा डब्ल्यूसीएल (कोल इण्डिया लिमिटेड की सभी अनुषंगियों) द्वारा रखे गये अतिरिक्त फण्ड पर ब्याज रहित निधि को ध्यान में रख कर किया गया है। जिसे इन दो अनुषंगियों ने वर्ष के दौरान रखे गये अपने अतिरिक्त निधि में से प्राप्त किया है।
- 13.5 पार्टियों, विविध देनदारों, जमाकर्ताओं, ऋण एवं अग्रिम तथा निक्षेप लेखा द्वारा अतिशेष प्राप्ति की पुष्टि के अभाव में उसे उनके खाते में दर्शाये गये मूल्य के अनुसार लिया गया है।
- 13.6 अनुषंगियों की ओर से सीआईएल द्वारा क्रय की गई वस्तुओं का लेखा-जोखा प्रचलित पद्धति के अनुसार अनुषंगी कम्पनियों के खाते में दिखाया गया है।
- 13.7 (क) कर्मचारियों को अग्रिम यथा घर भवन, गाड़ी की खरीद इत्यादि पर ब्याज की गणना मूलधन की वसूली के बाद प्राप्ति पर की गई है।
(ख) बीमा और दावे में वृद्धि की गणना स्वीकृति/अन्तिम निर्णय के आधार पर की गई है।
(ग) रॉयल्टी उपकर इत्यादि हेतु अतिरिक्त देयता यदि कोई हो तो की गणना जिस वर्ष अन्तिम ऑकलन आदेश प्राप्त होते हैं, पर की गई है।

- 13.8 लेखा में आयकर हेतु 3450.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उक्त राशि में मिनिमम अल्टर्नेट टैक्स प्रावधान के आधार पर वर्तमान वर्ष में आयकर हेतु परिकलित 2214.14 लाख रुपये और विगत वर्ष के आयकर से संबंधित 1235.86 लाख रुपये का प्रावधान शामिल है। शेष को वित्त कर इत्यादि की किसी देयता हेतु पर्याप्त माना गया है।

आय पर कर हेतु गणना (ए एस - 22) के अनुसार परिकलित आधार पर कम्पनी के पास बिलम्बित कर परिसम्पत्ति है। चूँकि कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश जिसे कोल इण्डिया लिमिटेड की आय माना गया है वित्तीय वर्ष 2003-04 से कर मुक्त रखा गया है और चूँकि बिना इस प्रकार के लाभांश पर विचार किये सीआईएल की भविष्य में संभावित हानि को देखते हुए दूरदर्शी अनुभव के रूप में आय पर कर गणना (ए एस-22) के प्रावधान का ध्यान रखते हुए लेखा में किसी बिलम्बित कर सम्पत्ति को चिन्हित नहीं किया गया है।

लेखा नीति में परिवर्तन का प्रभाव :

- 13.9 कुल मिलाकर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत प्राप्त अनुदान से संबंधित अग्रस्थ लाभ की नीति को प्रभार मुक्त करके 4 वर्ष से 5 वर्ष बदल दिया गया है। (इस अनुसूची के भाग क में नीति सं. 9.2 देखें)

उक्त की वजह से लाभ में 122.29 लाख रुपये वृद्धि हुई हैं।

इसके अतिरिक्त अप्रयोज्य नुकसान और अप्रयुक्त भण्डार हेतु 100% की और बीमा मदों को छोड़कर (नीति सं. 6.2.2 का संदर्भ) 5 वर्षों तक प्रयोग में न लाये गये भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों हेतु 50% की नीति के अंगीकरण तथा प्रतिकूल तदर्थ आधार पर इस प्रकार के प्रावधान कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप 46.97 लाख रुपये में वृद्धि हुई है।

- 13.10 वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण (अप्रत्याशित विधि) नीचे दिया गया है:

	(लाख रुपये में)	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
अ. संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो कर पूर्व शुद्ध लाभ समायोजित	28008.55	56179.82
अवमूल्यन	755.19	1580.05
ब्याज प्राप्ति (निवेशी गतिविधियों में स्थानान्तरित)	(100.97)	(30.13)
भुगतानित ब्याज (वित्तीय गतिविधियों से स्थानान्तरित)	23055.43	33752.23
लाभांश आय (निवेशी गतिविधियों में स्थानान्तरित)	(48527.52)	(85508.31)
कार्यगत पूँजी बदलावों के पूर्व संचालित लाभ (अ) समायोजित	<u>3190.68</u>	<u>5973.66</u>
(वृद्धि)/विविध देनदारों में कमी	(16.08)	26.39
(वृद्धि)/सम्पत्ति सूचियों में कमी	(982.55)	(1373.12)
(वृद्धि)/ऋणों तथा अग्रिम में कमी	437.81	(138557.48)
(वृद्धि)/विविध खर्चों में कमी	(75.40)	(18.92)
(वृद्धि)/वर्तमान देयताओं में कमी (राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि सहित)	<u>80661.72</u>	<u>122436.98</u>
कुल (ब)	<u>80025.50</u>	<u>27486.15</u>
संचालन से प्राप्त रोकड़ (ए+बी)	83216.18	(21512.49)
कर प्रावधान	(3450.00)	(4500.00)
संचालित गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ (स)	<u>79766.18</u>	<u>(26012.49)</u>

(ब) निवेशी गतिविधियों से कैश फ्लो:		
(क्रय)/स्थिर परिसंपत्तियों का विक्रय (समायोजन सहित)	517.97	(167.07)
(वृद्धि)/निवेश में (कमी)	0.11	1.52
ब्याज प्राप्ति/संचालित गतिविधियों से स्थानान्तरित	100.97	30.13
लाभांश आय/संचालित गतिविधियों से स्थानान्तरित	48527.52	85508.31
कुल (द)	49146.57	85372.89
निवेशी गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध रोकड़ (स+द)	128912.75	59360.40
(स) वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो :		
(वृद्धि)/विश्व बैंक ऋण में कमी	6560.20	4423.39
(वृद्धि)/शासकीय/अन्य ऋणों में कमी	(104318.01)	(23104.53)
भुगतानित ब्याज (संचालित गतिविधियों को स्थानान्तरित	(23055.43)	(33752.23)
भुगतानित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	(10200.28)	(9041.80)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध रोकड़	(131013.52)	(61475.77)
रोकड़ में शुद्ध कमी	(2100.77)	(2114.77)
यथा 01.04.2002 तक रोकड़ एवं समान रोकड़	16029.01	18143.78
यथा 31.03.2003 तक रोकड़ तथा समान रोकड़	13928.24	16029.01

13.11 विगत वर्ष के अंकों को जहाँ आवश्यक समझा गया है, पुनर्संगठित एवं पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

13.12 दर्शाये गये अंश लेखा के आधार पर विगत वर्ष से संबंधित है।

13.13 निदेशक मण्डल द्वारा लेखा के साथ टिप्पणियाँ दिनांक 25 जून 2003 को संपन्न कंपनी के निदेशक परिषद की 208वीं बैठक में मद सं.-208.4 (एम) द्वारा अनुमोदित की गयी तथा और वैधानिक अंकेक्षण द्वारा 30 जून 2003 को दी गयी रिपोर्ट को भारत सरकार के महालेखाकार की टिप्पणियों के साथ पालन हेतु संशोधित किया गया है। इस संशोधन ने वर्ष के लेखा एवं इसकी टिप्पणी को निम्नलिखित रूप से प्रभावित किया है:

(लाख रुपये में)

(क) लाभ एवं हानि लेखा :

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को स्वीकार कर लेने से कंपनी का बढ़ा हुआ लाभ	4.32
विनियोजन :	
सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण से वृद्धि	0.43

(ख) तुलन पत्र :

(I) निधि एवं अतिरिक्त	
सामान्य निधि में वृद्धि	0.43
लाभ एवं हानि लेखा बकाया की वृद्धि	3.89
(II) पूंजीगत कार्य की प्रगति में कमी	17.65



2002--2003

- (III) सामग्री सूचियों (इनवेंट्रीज) में वृद्धि 46.97
- (IV) वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान में वृद्धि 25.00
- (V) लेखा टिप्पणियों में टिप्पणी सं. -4.2 तथा 13.9 का संशोधन
(संशोधित लेखा का भाग-बी अनुसूची -एम)
- (VI) कैश फ्लो विवरण का संशोधन (टिप्पणी सं. -13.10, भाग बी, अनुसूची-एम
तुलन पत्र सार तथा सामान्य कारोबार की रूपरेखा (अनुसूची-एम का अनुलग्नक)

31 मार्च, 2003 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची 'क' से 'ड' भाग और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए भाग -1 से 16 तक लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूची-'त' में लेखा नीतियाँ और लेखा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गयी हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI- (भाग II- एवं III) के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनायें अनुसूची-'त' के अनुलग्नक में दी गई हैं।

अनुसूची 'क' से 'त' तथा 1 से 16 तक के लिए हस्ताक्षरित।

ह./-
(डा. एच. सरकार)
कंपनी सचिव

ह./-
(पी. के. दत्ता)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(डी. के. वर्मा)
निदेशक (वित्त)

ह./-
(लक्ष्मीचन्द)
अपर सचिव (कोयला)
एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक

दिनांक : 22 अगस्त, 2003
स्थान : कोलकाता

समतिथि को दिये गये हमारी संलग्न रपट के अनुसार
कृते ए. घोष एण्ड कंपनी
अंकेक्षक लेखाकार
ह./-
(ए. के. घोष)
(अंशधारक)
5 सितम्बर, 2003

अनुसूची-त के संलग्नक

(I) निदेशकों का पारिश्रमिक :

(रु. लाख में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(i) वेतन	27.94	50.23
(ii) भविष्यनिधि एवं अन्य निधियों में कम्पनी का अंशदान	2.95	5.86
(iii) चिकित्सा सुविधाएँ	2.83	2.77
(iv) परिलब्धियाँ	3.60	1.00

टिप्पणी : (क) कम्पनी के नियमों के अनुसार बिजली ऊर्जा के अधिभार को जो बसूली की गई है वह परिलब्धि में सम्मिलित नहीं है।

(ख) उपर्युक्त के अलावे सेवा शर्तों के अनुसार प्रति माह रु. 400/-, रु. 250/- के भुगतान पर निदेशकों को 1000/750 कि.मी. की दूरी तक निजी यात्रा के लिये गाड़ी का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।

(II) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI खण्ड 3 तथा 4 के भाग (II) के अधीन अनुसूची 3 (ख) के अन्तर्गत सीआईएफ के आधार पर आयतों के मूल्य की वांछित आवश्यक सूचना :

(रु. लाख में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(i) कच्ची सामग्री	शून्य	शून्य
(ii) पूँजीगत सामान	शून्य	शून्य
(iii) स्टोर उपस्कर एवं पार्ट-पुर्जे	20.51	शून्य

(लाख रुपये में)

(III) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय :

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(i) ज्ञान आदान-प्रदान	शून्य	शून्य
(ii) ब्याज एवं सुपुर्दगी प्रभार	5354.73	6631.14
(iii) विनिमय में परिवर्तन	शून्य	32.59
(iv) विदेशी एजेंटों को कमीशन	शून्य	शून्य
(v) प्रशिक्षण व्यय एवं विदेशी तकनीशियनों को भुगतान	शून्य	शून्य
(vi) यात्रा	9.67	12.60
(vii) चिकित्सा उपचार	शून्य	शून्य
(viii) सदस्यता शुल्क	शून्य	शून्य
(ix) विज्ञापन	शून्य	शून्य



2002-2003

अनुसूची-त के संलग्नक (जारी)

(IV) विदेशी मुद्रा के कारण हुई आय :

(रु. लाख में)

	<u>वर्तमान वर्ष</u>	<u>विगत वर्ष</u>
(i) सामानों का निर्यात (एफओबी आधार पर गणना)	शून्य	शून्य
(ii) विनिमय में परिवर्तन	76.57	शून्य
(iii) विविध	शून्य	3437.26

(V) वर्ष के दौरान भण्डार की कुल खपत :

(रु. लाख में)

	<u>वर्तमान वर्ष</u>	<u>विगत वर्ष</u>
(i) आयातित सामग्रियाँ	शून्य	शून्य
(ii) घरेलू	745.21	724.50

31 मार्च, 2003 को समाप्त लेखा वर्ष हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के खण्ड-II के पैरा 3 एवं 4 के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनायें :—

(i) स्थापित क्षमता	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) लाइसेंस प्राप्त क्षमता	लागू नहीं	लागू नहीं

(VI) अथशेष भण्डार, उत्पादन, क्रय, टर्नओवर एवं कोयले का इतिशेष भण्डार कोक एवं अन्य उत्पादनों तथा उप-उत्पादनों का तथा उनकी व्यापारिक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण :

(रु. लाख में)

	<u>वर्तमान वर्ष</u>		<u>विगत वर्ष</u>	
	<u>मात्रा</u>	<u>मूल्य</u>	<u>मात्रा</u>	<u>मूल्य</u>
अथशेष भण्डार :				
कोयला एवं कोक समायोजन	489.09	2990.18	472.66	1609.33
उत्पादन :				
कोयला	633.00	—	640.02	—
क्रय : कोयला	—	—	—	—
विक्रय : (समायोजित एवं लेवी तथा सेवा प्रभार को छोड़कर)				
कोयला	639.78	8343.58	620.31	7852.57
निजी खपत :				
कर्मचारियों को निःशुल्क जारी एवं आंतरिक खपत	3.84	29.88	3.28	25.16
इतिशेष भण्डार :				
कोयला एवं कोक	478.47	3990.45	489.09	2990.18

अनुसूची-त का परिशिष्ट (जारी)

तुलन-पत्र का सार तथा सामान्य व्यापारिक रूप-रेखा

I. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या

	2	8	8	4	4
--	---	---	---	---	---

 राज्य कोड

2	1
---	---

तुलन-पत्र दिनांक

3	1
---	---

0	3
---	---

2	0	0	3
---	---	---	---

दिनांक माह वर्ष

II. वर्ष के दौरान पूँजी की उगाही (राशि '000 रु. में) :

सार्वजनिक निर्गम	राइट्स निर्गम																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;">—</td><td style="width: 20px; height: 20px;">—</td></tr></table>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;">—</td><td style="width: 20px; height: 20px;">—</td></tr></table>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
बोनस निर्गम	प्राइवेट प्लेसमेंट																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;">—</td><td style="width: 20px; height: 20px;">—</td></tr></table>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;">—</td><td style="width: 20px; height: 20px;">—</td></tr></table>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												

III. निधि के संग्रहण एवं प्रयोग की स्थिति (राशि '000 रु. में) :

कुल देयताएँ	कुल परिसम्पत्तियाँ																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">9</td></tr></table>		1	6	4	9	4	2	9	4	9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">9</td></tr></table>		1	6	4	9	4	2	9	4	9
	1	6	4	9	4	2	9	4	9												
	1	6	4	9	4	2	9	4	9												

निधि के स्रोत :

प्रदत्त पूँजी	आरक्षित एवं अधिशेष																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td></tr></table>		7	2	2	0	5	4	4	4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td></tr></table>		2	1	2	5	1	4	1	2
	7	2	2	0	5	4	4	4											
	2	1	2	5	1	4	1	2											
सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td></tr></table>		6	2	5	5	0	8	8	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px;">3</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td><td style="width: 20px; height: 20px;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td></tr></table>		2	7	3	2	8	8	7	2	
	6	2	5	5	0	8	8												
	2	7	3	2	8	8	7	2											
राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td><td style="width: 20px; height: 20px;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">3</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td></tr></table>		8	5	4	3	8	2												
	8	5	4	3	8	2													

निधि का प्रयोग :

शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	निवेश																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td></tr></table>		1	4	8	6	1	6	8	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">3</td><td style="width: 20px; height: 20px;">7</td></tr></table>		7	2	2	0	5	4	3	7
	1	4	8	6	1	6	8											
	7	2	2	0	5	4	3	7										
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	विविध व्यय																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td></tr></table>		5	4	1	6	2	1	4	8	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">5</td></tr></table>		4	1	4	4	5		
	5	4	1	6	2	1	4	8										
	4	1	4	4	5													
संग्रहित हानि																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;">—</td><td style="width: 20px; height: 20px;">—</td></tr></table>	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
—	—	—	—	—	—	—	—	—										



2002-2003

अनुसूची-त का परिशिष्ट (जारी)

IV. कम्पनी का निष्पादन (राशि '000 रु. में) :

आदान प्रदान (शुद्ध)							कुल व्यय										
			8	6	5	9	7	1			4	6	4	9	7	7	6
अन्य आय																	
		6	5	8	4	6	6	0									
+/- कराधान के पहले लाभ/हानि																	
+			2	8	0	0	8	5	5								
+/- कराधान के बाद लाभ/हानि																	
+			2	4	5	5	8	5	5								

अधिमान शेयर सहित प्रतिशेयर आय (रु.)										लाभांश %			
					3	0	.	0	3	1	0	नान कम्युलेटिव रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों पर 10%	

V. प्रतिष्ठान के तीन प्रमुख प्रजातीय उत्पादों/सेवाओं के नाम :

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)

2	7	0	1	1	2	.	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

उत्पाद विवरण

बिटुमिनस कोयला

मद कोड सं. (आईटीसी कोड)

2	7	0	4	0	0	.	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

उत्पाद विवरण

कोयले का कोक्स

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 212 (1) (ई) के अनुसार 31 मार्च 2003 तक का अनुवर्ती विवरण

अनुषंगी (सम्पूर्ण स्वामित्व वाली)	कोल इण्डिया लि. द्वारा नियंत्रित इक्विटी शेयरों की संख्या	मनोनीत नामों में सीआईएल द्वारा नियंत्रित इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त मूल्य (करोड़ रुपये में)	कराधान से पूर्व समाप्त वर्ष 31.3.03 को लाभ (+) हानि (-) (करोड़ रुपये में)	31.3.2003 संचित लाभ (+) हानि (-) का तुलन (कर प्रावधान, लाभांश एवं संरक्षित प्रावधान के उपरान्त (करोड़ रुपये में)	
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	22,184,500	3	2,218.45	(-)	338.78	(-) 4462.92
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	21,180,000	3	2,118.00	(-)	507.13	(-) 5327.98
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	9,400,000	3	940.00	(+)	384.65	(-) 718.11
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2,971,000	3	297.10	(+)	472.52	(+) 742.45
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,776,728	3	177.67	(+)	1293.01	(+) 2021.47
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3,597,000	3	359.70	(+)	882.13	(+) 1003.78
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,864,009	3	186.40	(+)	882.31	(+) 1204.51
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड	190,400	3	19.04	(+)	1.99	(+) 22.25
सीआईएल				(+)	280.08	(+) 347.03
कुल				(+)	3350.78	(-) 5167.52

घटाकर : अनुषंगियों से मिले लाभांश से आय को कम करके प्राप्त लाभ को सीआईएल के लाभ में शामिल किया गया है।

= (-) 485.28

= (+) 2865.50



2002--2003

**कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत
31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु
कोल इण्डिया लिमिटेड की लेखा पर
नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार
की टिप्पणी**

जैसा कि अंशधारकों को अंकेक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 11 और लेखा पर टिप्पणियों की मद संख्या 13.13 में दर्शाया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के परिणाम स्वरूप लेखा में किये गये संशोधनों को दृष्टिगत रखते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड के लेखा पर कोई अतिरिक्त या पूरक टिप्पणी नहीं करनी है।

ह./-

(बी. मजुमदार)

वाणिज्यिक अंकेक्षक के प्रधान निदेशक

और पदेन सदस्य

आडिट बोर्ड- II, कोलकाता

कोलकाता,
दिनांक 10 सितम्बर, 2003

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक भारत सरकार द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लेखा का पुनरावलोकन

टिप्पणी : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) एवं सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट अर्हता के अन्तर्गत लेखा टिप्पणियों का बिना ध्यान दिये ही लेखाओं का पुनरावलोकन तैयार किया गया है।

1. वित्तीय स्थिति :

नीचे दी गई सारिणी में कम्पनी की विगत तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विस्तृत शीर्ष में दी गई है :

देयताएँ : (लाख रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03
(क) प्रदत्त पूँजी :			
(i) सरकार : इक्विटी शेयर	631636.44	631636.44	631636.44
प्रिफरेंस	90418.00	90418.00	90418.00
(ii) अन्य	—	—	—
(ख) निक्षेप एवं अतिरिक्त :			
(i) मुक्त निक्षेप एवं अतिरिक्त	15010.60	94405.36	108895.62
(ii) शेयर प्रीमियम लेखा	—	—	—
(iii) पूँजी आरक्षित	140507.23	103750.49	103618.50
(ग) ऋण :			
(i) भारत सरकार से	89856.26	81272.38	14336.30
(ii) वित्तीय संस्थानों से	48014.29	34078.57	20142.86
(iii) विदेशी मुद्रा ऋण	221207.52	237701.54	251398.43
(iv) नकद ऋण	1844.29	3269.38	4172.15
(v) अन्य (अल्प कालीन ऋण सहित)	74932.19	50938.38	35877.22
(vi) ब्याज अर्जित एवं देय	16423.60	26337.18	9912.64
(घ) (i) चालू देयतायें एवं प्रावधान	183775.39	295497.73	375630.18
(ii) उपदान के प्रावधान	2126.93	2825.76	2937.21
(iii) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	435.13	450.57	868.39
(ड.) आस्थगित कर देयताएँ	—	—	—
कुल	1516187.87	1652581.76	1648843.94

परिसम्पत्तियाँ :

(च) सकल ब्लॉक	34530.87	34790.70	34329.77
(छ) घटाकर : हास	-17338.19	-18918.24	-19673.43
(i) सर्वे ऑफ परिसम्पत्तियाँ	16.31	13.91	13.03
(ज) नेट ब्लॉक	17208.99	15886.37	14669.37
(झ) पूँजीगत कार्य प्रगति	338.83	248.47	192.31
(ञ) निवेश	722056.00	722054.48	722054.37
(ट) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	776263.92	914053.39	912513.44
(ठ) बट्टे खाते में निहित विविध व्यय	320.13	339.05	414.45
(ड) संचित हानि	—	—	—
(ढ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	—	—	—
कुल	1516187.87	1652581.76	1649843.94

	(लाख रुपये में)		
	<u>2000-01</u>	<u>2001-02</u>	<u>2002-2003</u>
(ण) कार्यगत पूँजी [ट-घ(i)-ग (vi)]	575629.80	591767.91	526970.62
(त) नियोजित पूँजी (ज+ढ)	592838.79	607654.28	541639.99
(थ) शुद्ध सम्पदा [क+ख (i)(ii) (ट) - i]	736744.91	816120.75	830535.61
(द) प्रति रुपये की दर पर जमा की गई पूँजी का शुद्ध मूल्य (रुपयों)	1.02	1.13	1.15

2. (क) कार्यगत परिणाम :

31 मार्च, 2003 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए कम्पनी के निष्पादन परिणाम निम्नलिखित हैं :

	(लाख रुपये में)		
	<u>2000-01</u>	<u>2001-02</u>	<u>2002-2003</u>
(i) विक्रय	9974.69	9276.19	10064.55
(ii) घटाकर : सांविधिक लेवी	1320.37	1124.29	1404.84
(iii) शुद्ध विक्रय	8654.32	8151.90	8659.71
(iv) अन्य समायोजन एवं विविध आय	69575.52	105380.86	66864.01
(v) कर पूर्व लाभ/हानि एवं पूर्व अवधि समायोजन	28061.54	56209.35	28039.15
(vi) पूर्व अवधि समायोजन	-40.52	29.53	- 30.60
(vii) कर पूर्व लाभ/हानि	28021.02	56179.82	28008.55
(viii) कर प्रावधान	—	4500.00	3450.00
(ix) कर पश्चात लाभ	28021.02	51679.82	24558.55
(x) प्रस्तावित लाभांश (प्रिफरेंस शेयर)	9041.80	9041.80	9041.80

2. (ख) अनुपात विश्लेषण :

विगत तीन वर्षों का कम्पनी की वित्तीय स्वास्थ्य स्थिति एवं निष्पादन का कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात निम्नवत है :

	<u>2000-01</u>	<u>2001-02</u>	<u>2002-03</u>
(अ) लिक्विडिटी अनुपात : (वर्तमान अनुपात वर्तमान सम्पत्ति की देयतायें एवं प्रावधान तथा अर्जित ब्याज और देय किन्तु उपदान के प्रावधान को छोड़कर [ट-घ(i)+ग (vi)]	3.87	2.84	2.37
(ब) ऋण इक्विडिटी अनुपात : लम्बी अवधि के लिए ऋण इक्विटी [ग (i) से (v) परन्तु अल्पावधि ऋण को छोड़कर / क]	0.60	0.54	0.51
(स) लाभगत अनुपात :			(प्रतिशत में)
(क) कर से पहले लाभ :			
(i) नियोजित पूँजी	4.73	9.25	5.17
(ii) शुद्ध मूल्य	3.80	6.88	3.37
(iii) विक्रय	323.78	689.16	323.44
(ख) इक्विटी संबंधित लाभ कर के बाद	4.44	8.18	3.89
(ग) प्रति शेयर पर (रुपये में) आय (कर के बाद लाभ/शेयर की संख्या)	44.36	81.82	38.88

3. **स्रोत एवं निधि प्रयोग :**

वर्ष के दौरान आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतों से 91608.95 लाख रुपये अर्जित किए गये और उसका उपयोग किया गया, जिसका विवरण नीचे अंकित है :—

निधि के स्रोत :

(लाख रुपये में)

(अ) संचालन के लिए निधि का निवेश :		
हास	755.19	
उपदान के प्रावधान में वृद्धि	111.45	
अवकाश नगदीकरण के प्रावधान में वृद्धि	417.82	
		1284.46
(ब) वर्ष में लाभ		24558.55
(स) निवेश में हास		0.11
(द) कार्यगत पूँजी में हास		65247.86
(प) स्थिर परिसम्पत्तियों में हास		517.97
(फ) आस्थगित कर देयता में वृद्धि/आस्थगित कर परिसम्पत्तियों में कमी		—
		91608.95

निधि का प्रयोग :

(क) ऋण में कमी	81333.27
(ख) विविध व्यय में बढ़ोत्तरी	75.40
(ग) प्रस्तावित लाभांश	9041.80
(घ) लाभांश पर कर	1158.48
(ङ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियों में वृद्धि/ आस्थगित कर देयता में कमी	—
	91608.95

4. **सम्पत्ति स्तर :**

31 मार्च, 2003 को समाप्त विगत तीन वर्षों के सम्पत्ति स्तर निम्नवत हैं :

(लाख रुपये में)

	<u>2000-01</u>	<u>2001-02</u>	<u>2002-03</u>
(अ) कोयला, कोक एवं उपउत्पाद प्रावधान घटाकर कोयले का भण्डार, कोक का भण्डार वर्ष 2000-01 में 2.23 महीने का विक्रय 2001-2002 में 4.40 महीने का विक्रय एवं 2001-2002 में 5.53 महीने का विक्रय प्रदर्शित किया गया है।	1609.33	2990.18	3990.45

5. **विविध देनदार :**

विगत तीन वर्षों में विक्रय के लिए विविध देनदारों का प्रतिशत नीचे प्रदर्शित है :

(लाख रुपये में)

	<u>2000-01</u>	<u>2001-02</u>	<u>2002-03</u>
(i) विक्रय	8654.32	8151.90	8659.71
(ii) कुल विविध देनदार	1111.77	1075.26	1092.82
(iii) संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	1082.48	1072.36	1073.84
(iv) विक्रय में विविध देनदारों के लिये विक्रय का प्रतिशत	12.85	13.19	12.62

ह./-

(बी. मजुमदार)

वाणिज्यिक अंकेक्षण के प्रधान निदेशक एवं
पदेन सदस्य अंकेक्षक बोर्ड- II
कोलकाता

कोलकाता
दिनांक 10 सितम्बर, 2003

अंकेक्षक की रिपोर्ट

प्रबंधन का उत्तर

सेवामें,

कोल इण्डिया लिमिटेड के सदस्यगण

हमने कोल इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2003 तक के संलग्नित तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा का अंकेक्षण किया है।

ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ हैं। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर आधारित हमारे अंकेक्षण पर विचार व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुसार अपना अंकेक्षण किया है। उन मानकों की अपेक्षा के अनुसार हम अंकेक्षण की ऐसी योजना बनाते हैं जिससे वित्तीय विवरण सामग्री अभाव विवरण से मुक्त हो, इस विषय में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके। अंकेक्षण में जाँच के आधार पर परीक्षण समर्थन के आधार पर राशि एवं वित्तीय विवरण में प्रदर्शन सम्मिलित है। अंकेक्षण में व्यवहार्य लेखा सिद्धान्त तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलन के साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें आशा है कि हमारा अंकेक्षण हमारे विचार हेतु युक्तिसंगत आधार प्रदान करता है।

जैसा कि निर्माण करने वाली एवं अन्य कंपनियों (अंकेक्षण प्रतिवेदन) 1988 में प्रावधान है और जैसाकि कंपनी की पुस्तकों एवं लेखाओं के उस परीक्षण के आधार पर जिन्हें हमने समुचित माना है, साथ ही हमारे अंकेक्षण के दौरान हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमारे विचार से--

1. कंपनी उन समुचित अभिलेखों का रख-रखाव कर रही है जिसमें स्थिर परिसंपत्तियों का सम्पूर्ण परिमाणात्मक विवरण तथा स्थानगत स्थिति दर्शायी गयी है। फिर भी कुछ मामलों में जैसे क्रय आदेश का संदर्भ, प्रारंभ की तिथि एवं स्थान का कोड आदि का संपूर्ण विवरण गायब है। एक कार्ड में अथवा इसके विपरीत विभिन्न प्रकृति के मदों का वर्गीकरण भी पाया गया है। सामान्यतया चिन्हित संख्याओं को कायम नहीं रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप इन परिसंपत्तियों का वित्तीय खाता के साथ भौतिक सत्यापन एवं सामंजस्य कठिन हो गया है। प्रिसंपत्ति खाता में कुछ समाप्त कर दी गई परिसंपत्तियाँ

अचल परिसंपत्ति रजिस्ट्रों का रख-रखाव परिसंपत्ति के प्रत्येक मद के सभी सम्बद्ध विवरणों सहित सुरक्षित रखा गया है। कुछ सूचनाओं के अभाव में तथा कुछ परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन जिनमें शेष असत्यापित हैं, के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अंकेक्षक की रिपोर्ट

प्रबंधन का उत्तर

शेष हैं। लीज पर दी गई परिसम्पत्तियों सहित विभिन्न स्थलों की स्थाई परिसंपत्तियों के बहुत से मद असत्यापित रह गए हैं। जहाँ कहीं भी पूरा किया हुआ सूचित किया गया है पुस्तक रिकार्ड और भौतिक सत्यापन में कोई अंतर नहीं है।

- | | | |
|-------|--|--|
| II. | वर्ष के दौरान किसी भी अचल परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| III. | प्रबंधन द्वारा कोक, कोयला भण्डारों का क्षेत्रीय विक्रय कार्यालयों के भण्डार को छोड़कर भौतिक सत्यापन किया गया है। वर्ष के दौरान भण्डारों एवं अतिरिक्त पुर्जों के मामले में केवल सम्पत्ति सूची के एक भाग को ही सत्यापित किया गया है। | स्टाक यार्ड में कोयले का स्टॉक बहुत पुराना है तथा लेखा में पूरा है। फिर भी इसके सत्यापन पर प्रयत्न किये जाएंगे। चालू वर्ष के दौरान भण्डारों तथा अतिरिक्त पुर्जों के सत्यापन की कार्यवाई की जायेगी। |
| IV. | हमारे विचार से, हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर भण्डार के भौतिकीय सत्यापन की प्रक्रिया, जो प्रबंधन द्वारा अंगीकृत की गई है, वह प्रतिष्ठान के आकार एवं व्यवसाय के रूप को दृष्टि में रखते हुए समुचित है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| V. | भण्डारों एवं अतिरिक्त पुर्जों का भौतिक सत्यापन करते समय भौतिक भण्डार एवं अभिलेख पुस्तिकाओं में दिये गये विवरण में किसी सामग्री का अन्तर नहीं पाया गया है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| VI. | हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर भण्डार का मूल्यांकन उचित है और लेखा निधि साधारणतया स्वीकार्य सिद्धान्त के अनुरूप है। भविष्य में विभिन्न कारणों से कोयले के स्टॉक के मूल्य में हास को पूरा करने के लिए सम्पत्ति सूची के विरुद्ध रु. 772.09 लाख (विगत वर्ष 1693.71 लाख) का प्रावधान किया गया है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| VII. | कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाये गये रजिस्टर के अनुसार सूचीबद्ध किसी कंपनी, फर्म, पार्टी से कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 370 (1बी) कंपनी पर लागू नहीं है। | यह मात्र तथ्यों पर आधारित वक्तव्य होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। |
| VIII. | कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगियों की निधि को ऋण के स्वरूप में स्वीकृत किया गया है एवं चालू खाते में रखा गया है, इसके अतिरिक्त किसी कंपनी | यह मात्र तथ्यों पर आधारित वक्तव्य होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। |

अंकेक्षक की रिपोर्ट

प्रबंधन का उत्तर

फर्म या दूसरे पक्षों, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाये गये रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं, को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

IX. ऋण के रूप में प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम के संबंध में, जहां पुनर्भुगतान निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया गया है, निम्नलिखित को छोड़कर शेष सभी पक्ष निर्धारित मूल धन राशि एवं ब्याज का भुगतान कर रहे हैं:

(क) अनुबंध के अनुसार कुछ अनुषंगी कंपनियों द्वारा ऋण के मूलधन तथा ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(ख) कुछ ऋण एवं अग्रिम के संबंध में जिसे संदेहास्पद माना गया है और पूर्णतया संभरक किया गया है।

(ग) कुछ मामलों को छोड़कर जहाँ भी उपयुक्त हुआ है, कंपनी द्वारा ऋण के रूप में कर्मचारियों को प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम को सामान्यतया ब्याज के साथ वसूल किया गया है।

X. हमारे विचार में यद्यपि कंपनी द्वारा अपने आकार व्यवसाय की प्रकृति जो कल पुर्जो एवं इसके अलावा संयंत्र एवं मशीनरी उपकरणों के क्रय एवं माप की बिक्री के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में आंतरिक नियंत्रण पद्धतियाँ हैं, फिर भी इसे और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है।

XI. वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाई गई पंजिका में अंकित करने योग्य 50,000 रु. राशि का ठीका कार्य या प्रबंधन के अनुसरण में किसी भी सामग्री का व्यवसाय चार्ट, वस्तुओं का क्रय या विक्रय सम्पादित नहीं हुआ है।

XII. कंपनी के पास इस तरह का कोई कच्चा माल या तैयार की गई सामग्री नहीं है। फिर भी, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त सामग्री एवं पुर्जो का निर्धारण अभी भी लंबित है, जिसके

अनुषंगियां जो रुग्णता के कारण बीआईएफआर में चली गई हैं, उनके ऋण तथा ब्याज का पुनर्भुगतान स्थगित है। फिर भी सीसीएल ने वर्ष के दौरान ब्याज मुक्त ऋण का पुनर्भुगतान प्रारंभ कर दिया है।

यह मात्र तथ्यों पर आधारित वक्तव्य होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

कुछ मामलों में जिनके समाप्त हो जाने की सूचना दी गई है। फिर भी जहाँ भी आवश्यक है, सभी कर्मचारियों से अग्रिम तथा ब्याज को वसूल करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा की जा रही है तथा जहाँ कहीं भी आवश्यकता है इनके सुधार की कार्यवाही की जा रही है।

यह मात्र तथ्यों पर आधारित वक्तव्य होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी की लेखा नीति के अनुक्रम में अप्रयुक्त/क्षतिग्रस्त तथा गैर चलित (नान मूविंग) भण्डारों के मूल्य निर्धारण के लिए लेखा में प्रावधान बने हुए हैं तथा ये प्रावधान पर्याप्त मान गये हैं।

अंकेक्षक की रिपोर्ट

प्रबंधन का उत्तर

लिए प्रावधान बनाया जा रहा है, जिसकी उपयुक्तता अथवा अन्य ऐसे प्रावधान जिस पर कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती है। फिर भी सीएजी के आंकलन के आधार पर कंपनी ने 46.97 लाख रुपये की बढ़ोतरी का पुरांकित प्रावधान बनाया है।

- | | |
|--|---|
| <p>XIII. हमारे विचार से और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुकूल प्रतिष्ठान ने विगत वर्षों जनता से प्राप्त निधि की स्वीकृति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 58(ए) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।</p> | <p>यह मात्र तथ्यों पर आधारित वक्तव्य होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।</p> |
| <p>XIV. प्राप्य योग्य स्ट्रैप के विक्रय एवं निस्तारण के लिए कंपनी द्वारा समुचित अभिलेख व्यवस्थित किया गया है।</p> | <p>यह मात्र तथ्यों पर आधारित वक्तव्य होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।</p> |
| <p>XV. प्रतिष्ठान के पास अपना आंतरिक अंकेक्षण विभाग है जिसे शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है।</p> | <p>अंकेक्षण के विस्तार में सुधार करने के लिए ध्यान दिया गया है। इस पर आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।</p> |
| <p>XVI. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लागत अभिलेख रखने का निर्धारण नहीं किया गया है।</p> | <p>यह मात्र तथ्यों पर आधारित विवरण होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।</p> |
| <p>XVII. कंपनी के अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि के लिये देय राशि वर्ष के दौरान नियमित रूप से उचित प्राधिकारी के यहाँ जमा की गयी है। प्रतिष्ठान में राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम लागू नहीं है।</p> | <p>यह मात्र तथ्यों पर आधारित विवरण होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।</p> |
| <p>XVIII. 31 मार्च, 2003 को भुगतान योग्य आयकर, सम्पत्ति कर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क से संबंधित कोई भी विवादास्पद राशि देय होने की 6 महीने की अवधि तक लंबित नहीं है।</p> | <p>यह मात्र तथ्यों पर आधारित विवरण होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।</p> |
| <p>XIX. हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संविदात्मक दायित्व के अधीन देय और/या परंपरा के अनुसार और सामान्यतया स्वीकृत व्यवसायगत नियमों के अनुसार देय के अतिरिक्त हमने पता लगाया है कि व्यक्तिगत व्ययों को राजस्व में प्रभारित नहीं किया गया है।</p> | <p>यह मात्र तथ्यों पर आधारित विवरण होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।</p> |
| <p>XX. रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3(1)(0) के अनुकूल कंपनी रुग्ण प्रतिष्ठान नहीं है।</p> | <p>यह मात्र तथ्यों पर आधारित विवरण होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।</p> |



2002-2003

अंकेक्षक की रिपोर्ट

प्रबंधन का उत्तर

XXI. जहाँ तक कंपनी के व्यावसायिक गतिविधियों का प्रश्न है, प्रबंधन द्वारा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रदत्त प्रावधानों के अतिरिक्त कंपनी के पास कोई भी क्षतिग्रस्त वस्तु नहीं है।

यह मात्र तथ्यों पर आधारित विवरण होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

(1) ईसीएल, बीसीसीएल एवं सीसीएल घाटे में है। इन कंपनियों की संचित हानियाँ कुछ मामलों में निवेश के प्रत्यक्ष मूल्य से अधिक है। भू-क्षरण अस्थाई प्रकृति पर आधारित है, कंपनी ने इसका कोई प्रावधान नहीं किया है। वर्ष के लिए लाभ के इस गैर प्रावधान का प्रभाव तथा वर्ष के अंत तक शुद्ध परिसंपत्तियों की स्थिति निश्चित नहीं है। (संदर्भ सूचना 3.1 पार्ट-बी, अनुसूची - एम ए एस 13)।

कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं।

(2) डिब्बा बन्दी पर स्टाकयार्ड हेतु भाड़ा देयता अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। देयता का निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सका।

संविदा की शर्तों के अनुसार कंपनी में प्रारंभ से ही ऐसी कोई देयता विद्यमान नहीं है और वर्तमान में ऐसी कोई देयता स्वीकृत नहीं है अतः इसकी व्यवस्था नहीं है।

(3) ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल से ब्याज तथा प्रभार शुल्क के रूप में प्राप्त होनेवाली 26725.65 लाख रुपये (गत वर्ष ईसीएल तथा बीसीसीएल से 28540.33 लाख रुपये) की राशि कंपनियों की संकटपूर्ण वित्तीय स्थिति के कारण स्थगित कर दी गयी। (संदर्भ-टिप्पणी 10.1 पार्ट-बी, अनुसूची-एम)। इसके फलस्वरूप वर्ष का लाभ 26726.65 लाख रुपये कम हुआ है।

कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं।

(4) एनसीडब्ल्यू- VII के समापन के लिए गैर अधिकारियों के वेतन के सभी तत्वों में हुई बढ़ोत्तरी को पूरा करने के लिए दिनांक 30.06.2001 की स्थिति तक गैर अधिकारियों के मूल वेतन के 10% की दर से 741.71 लाख रुपये की राशि (विगत वर्ष 553.94 लाख) का तदर्थ प्रावधान बनाया गया है, जिसपर बातचीत किया जाना है तथा दिनांक 1.7.2001 से प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाना है। सं. 10.6 भाग बी (अनुसूची-एम) पूर्वोक्त प्रावधान की पर्याप्तता अथवा भिन्नता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं।

(5) कंपनी ने अपनी कुछ अनुषंगियों को उनके द्वारा बनाये गये सरप्लस फण्ड के लिए 9605.12 लाख रुपये के ब्याज (गत वर्ष का 14334.73 लाख रुपये) का भुगतान किया है।

यह मात्र तथ्यों पर आधारित विवरण होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

अंकेक्षक की रिपोर्ट

प्रबंधन का उत्तर

- (6) कुछ पुराने विविध ऋण दाताओं तथा ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम तथा विविध देनदारों के भुगतान/समायोजन/वसूली वर्षों से लंबित है, उसके छानबीन को पूरा किया जाना है।
- (7) उपरोक्त पैराग्राफ-3 में हमारे द्वारा किए गये अवलोकन से उक्त पैराग्राफ 1, 2, तथा 4 के अंतर्गत हमारी टिप्पणी को ध्यान में रखे बिना ही मान लिया गया है जिसका प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जिससे 54765.80 लाख रुपये प्रतिवेदित लाभ की तुलना में 28039.15 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया गया है।
- (8) (क) सम्भूति आधार के विपरीत लेखाकरण के विभिन्न आधार पर अनुपालन किया है। संदर्भ मद 13.7, भाग-बी, अनुसूची -एम, एएस-1)
- (ख) भण्डार एवं कल-पुर्जों का मूल्यांकन: एनईसी में भण्डारों तथा कल-पुर्जों, भाड़ा (माल), परिवहन का मूल्यांकन तथा सैद्धान्तिक आधार पर अन्य प्रासंगिक प्रभार एवं आकलन के आधार पर चार्ज्ड आफ स्टाक्स का मूल्यांकन किया गया है। स्टेशनरी का स्टाक (प्रिंटिंग प्रेस को सामग्री को छोड़कर) बालू, दवाई (केन्द्रीय चिकित्सालयों के अतिरिक्त) ईटों, विमान के पुर्जों तथा सक्नेप्स इनवेंट्री में विचारित नहीं है (संदर्भ मद सं. 6.3 भाग -ए अनुसूची-एम, एएस-2)
- (9) उपर्युक्त संदर्भित अपनी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :
- (I) अपने अंकेक्षण के उद्देश्य से हमने सभी वांछित सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण, को जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार अनिवार्य थे, प्राप्त किया गया है।
- (II) हमारे विचार से विधि संबंधी लेखा रिकार्ड कंपनी द्वारा समुचित रूप से रखे गये हैं जैसाकि हमारे दस्तावेजों के परीक्षण से प्रमाणित होता है।
- (III) तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा जो इस रिपोर्ट के साथ व्यवहृत किया गया है, वह खाते की किताबों के अनुरूप हैं।
- (IV) हमारे विचार से लाभ एवं हानि लेखा एवं तुलन पत्र कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3-सी) के अंतर्गत एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड का अनुपालन करता है।

जहाँ कहीं भी आवश्यक है इसके समाधान तथा समायोजन को पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कोई टिप्पणी नहीं।

जहाँ कहीं भी राशि सामग्री में शामिल है संभूति आधार पर उसके लेखाकरण के लिए आवश्यक प्रभावकारी कदम उठाये जायेंगे।

अगले वित्त वर्ष के दौरान जहां कहीं भी आवश्यक होगा, अवश्यक/सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

अंकेक्षक की रिपोर्ट

प्रबंधन का उत्तर

- (V) हमको दी गई सूचना तथा व्याख्याओं के आधार पर तथा कम्पनी को प्राप्त अभ्यावेदन से कम्पनी के निदेशकों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1)(जी) में यथा संदर्भित प्रथम दृष्टि में कोई अयोग्यता नहीं है।
- (VI) हमारे विचार से तथा प्राप्त सूचनाओं की सम्पूर्णता तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर उपरोक्त पैराग्राफ-7 के अन्तर्गत हमारी टिप्पणी में वर्ष के लाभ के प्रमुख के तदनुसार उसमें वृद्धि निर्दिष्ट है साथ ही लाभ एवं हानि लेखा के साथ साथ उसपर टिप्पणियाँ एवं उसकी अनुसूचियाँ संलग्न है जिसकी कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन वांछित सूचना की भाँति आवश्यकता है तथा यहाँ इसे सत्य एवं निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है:
- (क) तुलन पत्र के संबंध में 31 मार्च 2003 तक कम्पनी के कार्य की स्थिति।
- (ख) लाभ एवं हानि लेखा की स्थिति में उस दिनांक को समाप्त वर्ष का लाभ।
10. 31 मार्च, 2003 तक के लिये तुलन पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा, उन पर दी गई टिप्पणियाँ, जिसे 25 जून 2003 को आयोजित 208वीं बैठक की मद सं. 208 : 4 एम द्वारा कम्पनी के निदेशक परिषद में अनुमोदित किया गया था तथा 30 जून, 2003 को हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में संशोधित किया गया है। कम्पनी के लेखा का फार्मिंग भाग यथा टिप्पणी सं. 13.13. के भाग-बी, अनुसूची-एम का संसोधन प्रभावित है।

कृते, एस. घोष एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
ह./

(ए.के. घोष)
पार्टनर

कोलकाता
दिनांक 5 सितम्बर, 2003